खण्ड-200, अंक-10
शुक्रवार, 24 माघ, शक संवत् 1880
(13 फरवरी, 1959 ई0)

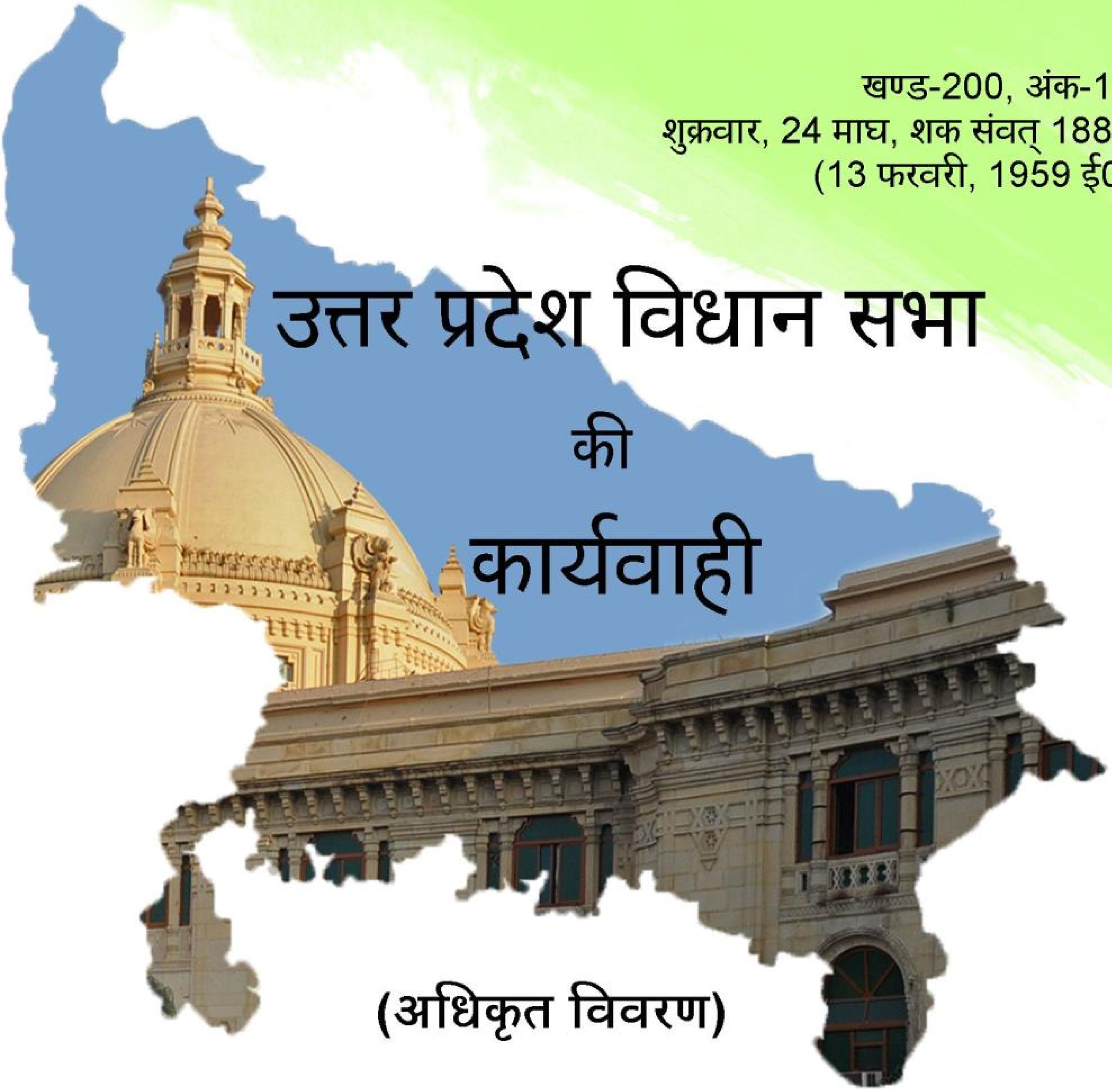

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धिसिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द्र, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त , श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप शर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विशेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खाँ, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अध्यापकों की मांगें

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपया कर बतायेगी कि उसे सूचना मिली है कि ३१-१-५९ को प्रदेश के अध्यापकों ने कोई मांग दिवस मनाया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या हैं ?

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां। माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से एक लम्बा मांग, पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी मुख्य मांगें निम्नांकित हैं —

१—वेतन-क्रम तथा महंगाई भत्ता में राजकीय विद्यालयों से समानता।
२—सेवा सुरक्षा।
३—चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं।
४—बोर्ड की परीक्षा कन्द्रों पर रक्षा।

**२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सेवा सुरक्षा के संबंध में इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ बनाया जा चुका है जिसकी विभिन्न धाराओं के लागू होते ही समस्या स्वयमेव हल हो जायगी।

बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों पर होने वाले तथा उससे संबंधित गड़बड़ियों के लिये एक दूसरा इंटरमीडिएट एजूकेशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक सदन के समक्ष पारण के लिये प्रस्तुत किया जा चुका है जिससे परीक्षा काल के लिये इनविजीलेटर तथा केन्द्र सुपरिन्टेन्डेन्ट राजकीय कर्मचारी माने जायेंगे।

अन्य मांगों का सम्बन्ध वित्त से है। इन पर पूर्ण प्रकाश वित्त मन्त्री के बजट पर भाषण में श्री गौरी शंकर राय के प्रश्न के उत्तर में दिये जाने वाले गृह मन्त्री के बयान में डाला जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया वेतन सम्बन्धी मामले पर इस प्रश्न के उत्तर में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने तो उत्तर में निवेदन किया है कि आज ही शाम को बजट आ रहा है, उसमें प्रकाश डाल दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या शिक्षा मन्त्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने लिखा है कि गौरीशंकर राय जी के प्रश्न के उत्तर में प्रकाश डाला जायगा, तो इस प्रश्न के उत्तर में प्रकाश डालने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष--इसका तो वह एक बार जिक्र कर चुके हैं कि बजट के बाद यह होगा। कारण यह है कि बजट में उससे संबंधित आंकड़े होंगे इस वास्ते यह बात है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बतायेंगे कि सेवा सुरक्षा के संबंध में जो संशोधन विधेयक सन् १९५८ में पास हुआ है वह कब तक पूर्ण रूप से लागू हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--उसके संबंध में हर हफ्ते एक न एक विज्ञप्ति निकाली जा रही है । कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही लागू हो जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या प्रदेशीय सरकार ने उनके वेतन व भत्ते के संबंध में केन्द्रीय सरकार से रुपया मांगा ? यदि हां, तो कितना ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि बजट के बाद इसका उत्तर देना जनहित में होगा ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों की जो सबसे प्रमुख मांग है कि पे में इक्वैलिटी हो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अनुसार, इसके बारे में सरकार ने कितना कदम उठाया है और उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, इस संबंध में शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि उनकी इच्छा है कि किसी तरह जहां तक हो सके उनमें पैरिटी कर दी जाय, लेकिन उसके लिये पैसे का प्रश्न उठता है । इसके लिये प्रयत्नशील हैं, जब बजट में रुपये का प्रबन्ध कर सकेंगे तब यह कर देंगे ।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना की गन्ना हड़ताल सम्बन्धी मांगें

****३--**श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी के अध्यक्ष प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना द्वारा भेजी हुई गन्ना हड़ताल के सम्बन्ध में जनवरी के द्वितीय सप्ताह में मांगों की सूची तथा पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां । कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मांगें उस पत्र में आयी थीं और जिन कारणों से वे प्रभावित हुये कि उन पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, वे क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सबसे पहले तो इस बात की शिकायत थी कि मुख्य मंत्री ने कोई वायदा किया था कि एक त्रिदलीय कान्फ्रेंस को बुलाया जायगा । इसके संबंध में मैं कह चुका हूं कि ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया था इसलिये यह शिकायत गलत है । उसके सिवाय ५-६ मुख्य-मुख्य बातें थीं । एक यह कि १ रुपया १२ आना गन्ने का मूल्य कायम किया जाय । इसके बारे में सदन में ५-७ बार जिक्र हो चुका है । अतः स्पष्ट है कि इस पर और कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है । दूसरे यह था कि जो गन्ने का उत्पादन हो उसमें जो अधिक मुनाफा होता है उसमें हिस्सा मिले । इसका भी सदन में जिक्र आ चुका है, लेकिन फिर थोड़े

में कह देता हूं । मैं यह बतला चुका हूं कि जो यू० पी० और बिहार के बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उसने यह निश्चय किया था कि एक समिति बनाई जाय जो इस बात पर गौर करे कि वह कौन सा फार्मूला निकाला जाय कि जिस से एक्सेस प्राफिट में हिस्सा इंडस्ट्री को भी मिले और दूसरों को भी मिले । वह सुझाव केन्द्रीय सरकार के पास गया है और आशा है कि कोई फार्मूला केन ग्रोअर्स और इंडस्ट्रीज के लिये निकल आयेगा और इसलिये अब किसी तरह की कार्यवाही की जरूरत नहीं है ।

तीसरा सुझाव यह था कि मिल के बाहर फाटक से ५–५ मील के फासले पर वे ब्रिज लगाये जायं और रात को तौलना बन्द हो जाता है उसके विषय में है । वे ब्रिजेज का जहां तक सवाल है वह इस तरह से ५–५ मील पर नहीं बनाये जाते बल्कि उत्पादकों के हित से जहां उनकी आवश्यकता होती है वह मिल गेट के अलावा बनाये जाते हैं । जहां तक रात की तुलाई की बात है उस के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक तौल नहीं होती तब तक की पूरी तरह से रोशनी का इंतजाम न हो । तौल बराबर होती रहती है और अगर लाइट का इंतजाम होता है तो बाद में भी होती रहती है । इस सब के लिये इंस्पेक्टर हैं वह सब इस तरह के इंतजाम को देखते रहते हैं, अलग किसी के इंतजाम की जरूरत नहीं है ।

आगे उनका कहना है कि बगैर देर किये उनको गन्ने के दाम दिये जायं । तो इसके लिये तो नियम हैं कि गन्ने के दाम उन को फौरन दिये जायं और अगर १५ दिन से ज्यादा देर हो तो साढ़े ७ परसेंट और दिया जाय इसलिये इसके लिये अलग किसी कायदे या प्रबन्ध की जरूरत नहीं है । जहां तक यह मांग है कि कटौती न हो तो कोई मिल मालिक कटौती नहीं करता सिवा इसके कि कन यूनियन्स ही करती हैं, मिल मालिक कोई कटौती नहीं करता ।

एक मांग यह है कि केन यूनियनों से कहा जाय कि केन कमीशन में कोई लाभ हो तो काश्तकारों को भी हिस्सा मिले । जहां तक मुनाफे की बात है इस तरह का मुनाफा बहुत कम होता है और वह ज्यादातर विकास के काम में लगाया जाता है । इसलिये इन पर किसी तरह की कार्यवाही की जरूरत नहीं है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वार्ता मिल मालिकों, किसानों के बीच सरकार की मध्यस्था से हो रही थी उसके फिर होने की सम्भावना है और उस के फलस्वरूप गन्ना मिलों में किसानों को हिस्सा दिये जाने की बात है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका मैंने परसों ही जवाब दिया है कि लाभांश का सवाल नहीं है, न कोई बातचीत ही है और न केनग्रोअर्स की तरफ से तकाजा था लेकिन कीमत के बढ़ाने की बातचीत अभी जारी है । इसके अलावा कोई और बातचीत है ऐसा कहने की पोजीशन में मैं नहीं हूं ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि किसी स्टेज पर सरकार ने चीनी मिल मालिकों से आग्रह किया था कि वे प्रतिमन २ आना दाम बढ़ा दें लेकिन चीनी मिल मालिकों ने उस दिशा में अपनी बिलकुल असमर्थता प्रकट की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त इस का ठीक ध्यान मुझे नहीं है ।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि त्रिदलीय सम्मेलन को बुलाने का कोई वादा नहीं भी किया था तो उसे प्रदेश के इस संकट को तय करने के लिये अब बुलाने में क्या आपत्ति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---संकट है या नहीं यह विवादास्पद प्रश्न है और जैसा कि मैंने परसों कहा था इस सम्बन्ध में इस से अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह जो लाभांश का फार्मूला केन्द्रीय सरकार को भेजा गया ह वह क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने कोई लाभांश के फार्मूला की बात नहीं कही, मैंने यह कहा था कि जो सिसमा फार्मूला कहलाता है और जो दक्षिण भारत में चलता था एक फार्मूला केन्द्रीय सरकार ने निकाला था। जो केन्द्रीय सरकार ने बाद को निकाला था उस पर मैंने कहा था कि यह बात कम्पलीकेटेड है, बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है, जल्दी समझना कठिन होता है और उससे काश्तकारों को दिक्कत होती है, मिल-मालिकों को दिक्कत हो सकती है। यह उनसे कहा गया है कि आप कृपा करके कोई ऐसा फारमूला निकालें जो सब की समझ में आ सके।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में फिर वह लाभांश पर और गन्ने के दाम बढ़ाने के सम्बन्ध में मिल-मालिकों से बात करने वाले हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---लाभांश पर तो बात कोई नहीं करने वाला है, लेकिन गन्ने के मूल्य पर मैं परसों निवेदन कर चुका हूं। उसके बाद कुछ नहीं कहना है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने फार्मूला निकालने के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार को किस वक्त लिखा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य अखबार तो पढ़ते होंगे। जब यू० पी० और बिहार बोर्ड की मीटिंग हुई उसके बाद, दो-चार दिन बाद, लिखा गया होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि केन्द्रीय सरकार अब अगले दो वर्षों के लिये गन्ने का भाव तय करने जा रही है और इस सदन ने १ रुपये १२ आने मन गन्ने के भाव का प्रस्ताव पास किया है, उसके सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में वे जवाब दे चुके हैं।

गोरखपुर जिले में सरदारनगर चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना हड़तालियों पर गोली चलाना

****४---श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में सरदार नगर चीनी मिल जोन में गन्ना हड़ताल में भाग लेने वाले किसानों पर गत ७ जनवरी, १९५९ को पुलिस द्वारा गोली वर्षा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गोली वर्षा का क्या कारण था तथा उससे कितने व्यक्ति हत या आहत हुये?

श्री रामस्वरूप यादव---गत ७ जनवरी, १९५९ को गोरखपुर जिले में सरदार नगर के क्षेत्र में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित गन्ना आन्दोलन में भाग लेने वाले उपद्रवियों की भीड़ पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। गोली चलाने का कारण यह था कि उपद्रवियों ने हिंसात्मक कार्यवाहियां शुरू कर दी थीं और घटनास्थल पर उपस्थित सरकारी कर्मचारियों को चारों ओर से घेर कर उन पर ईंटों की भीषण बौछार शुरू कर दी थी। गोली द्वारा ११ व्यक्ति घायल हुये थे जिनमें से २ बाद को मर गये।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि वहां के श्री शिब्बनलाल सक्सेना, एम० पी० तथा अन्य नेताओं और जिम्मेदार लोगों ने यह आरोप लगाया है कि जो गोली चलायी गयी वह अनियमित थी और गैर-कानूनी ढंग से चलायी गयी थी और २ के बजाय ५ आदमियों की मृत्यु हुई? क्या वह इसकी जांच कराने जा रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मेरे पास शिब्बन लाल जी का तार आया था और हमने हर तरह से जांच की। कोई पता नहीं लगा कि दो से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और न कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने कहा कि हमारा कोई आदमी मरा है।

श्री मदन पांडेय---क्या इस मामले में सरकार कोई न्यायी जांच कराने जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जांच तो सभी न्यायी होती हैं, अन्यायी तो होती नहीं ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को चोटें लगीं उनमें से कितने आदमियों को पुलिस ने अस्पताल में दाखिल कराया या पहुंचाया ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी कि कितने आदमियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय गृह मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया है या दिये जाने की जरूरत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय पालीवाल जी स्वयं मंत्री रह चुके हैं । वह जानते होंगे कि ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई दस्तूर रहता नहीं ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी सूचना के अनुसार गोली चलाने के पहले पुलिस ने अश्रु गैस इस्तेमाल की थी ? यदि हां, तो कितनी और नहीं तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, टीयर गैस इस्तेमाल की थी । पहले कायदे के अनुसार उनको डिस्परसल के लिए कहा गया कि आपको हट जाना चाहिये, यह अनलाफुल असेम्बली है, लेकिन वह नहीं हटे । तब टीयर गैस छोड़ी गयी, लाठी चार्ज भी हुआ, लेकिन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को चारों तरफ से घेर लिया । ट्राम और जीप को घेर लिया और ट्राम के इंजिन को नुक्सान पहुंचाया, इस वास्ते गोली चली ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब भीड़ ने पुलिस को घेर लिया तो उसमें कितने पुलिस वालों को चोटें आयीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन सरकारी कर्मचारी केवल २५ थे और ८०० आदमी वहां पर इकट्ठे हो गये थे ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जुडीशल इन्क्वायरी की मांग की गयी वह क्यों नहीं बिठायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जुडीशल इन्क्वायरी की जरूरत नहीं मालूम होती । बहुत साधारण सी बात है, ऐसी बातें हो ही जाया करती हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय गृह मंत्री जी जांच की वह रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करेंगे जो कि उनके अधिकारियों ने वहां से दी ?

श्री अध्यक्ष---पूरी रिपोर्ट पढ़ने की तो मैं इजाजत नहीं दूंगा । संक्षेप में आप उसकी फाइन्डिंग्स दे सकते हैं ।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी ने गन्ने के दाम बढ़ाने के सिलसिले में १५ दिसम्बर, १९५८ से सारे प्रदेश में "गन्ना आन्दोलन" आरम्भ किया । ५ जनवरी, १९५९ से यह आन्दोलन सरदारनगर क्षेत्र में शुरू हुआ और गन्ना उत्पादकों को वहां की सरैया चीनी मिल को गन्ना न देने के लिये भड़काने का प्रयत्न किया । अपने इस भड़काने का कोई फल न देखकर सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं ने दिनांक ६ जनवरी, १९५९ को उक्त चीनी मिल को जाने वाले समस्त मार्गों पर धरना दे कर गन्ना ले जाने वाली गाड़ियों को रोका और किसी-किसी स्थान पर बैलगाड़ियों से बैलों को खोला तथा गाड़ीवानों को पीटा । इस सिलसिले में उस दिन २१ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । ७ जनवरी को इन सोशलिस्ट

कार्यकर्ताओं ने अपनी कार्यवाहियां और भी उग्ररूप से शुरू कीं और छबेला ग्राम के पास ट्राम लाइन पर धरना दे कर ट्राम को चलने नहीं दिया। धरना देने वालों के हाथों में लाठियां थीं। इन लोगों ने ट्राम के ड्राइवर तथा फायरमैन को भी ट्राम के इंजन से नीचे उतार कर घेर लिया। ऐसी स्थिति को देख कर जिलाधीश ने शान्ति व व्यवस्था को काबू में रखने के लिये दो मैजिस्ट्रेट, एक डी० एस० पी०, रीजनल केन आफिसर तथा कुछ पुलिस वालों को घटनास्थल पर भेजा। इन सरकारी कर्मचारियों की संख्या २५ थी। इन सरकारी कर्मचारियों ने उपद्रवकारियों को समझा बुझा कर ट्राम लाइन से हट जाने को कहा, पर उपद्रवियों ने उनका कहना नहीं माना। इस पर उपस्थित अधिकारियों ने उपद्रवियों को लाइन से हटाया और ड्राइवर तथा फायरमैन को भी छुड़ा लिया। अधिकारियों का यह कार्य उपद्रवियों को नहीं भाया और उन्होंने ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद ही आसपास के ग्रामों के गन्ने तथा अरहर के खेतों से लोगों की भीड़ घटनास्थल की ओर उमड़ने लगी। इन लोगों के हाथों में भी लाठियां तथा ईंटें थीं। इस भीड़ ने अधिकारियों तथा पुलिस वालों पर और भी जोर से ईंटों की बौछार शुरू कर दी और "मारो मारो" के नारे लगाये। यह देख कर अधिकारियों ने भीड़ को अवैध घोषित कर लोगों को वहां से हट जाने की चेतावनी दी। पर इसका कुछ फल न हुआ और ईंटें बरसती गईं। इस पर अश्रु गैस का प्रयोग किया गया परन्तु हवा की तीव्र गति के कारण वह भी असफल रहा। ईंटों के चलने से कुछ पुलिस वालों को चोटें आ चुकी थीं। इसके बाद भीड़ को हट जाने के लिये एक चेतावनी और दी गयी पर वह फिर भी न हटी और ईंटों की वर्षा जारी रही। इस पर एक लाठी चार्ज किया गया पर वह भी असफल रहा। भीड़ ने ट्राम के इंजन तथा एक जीपकार को तोड़ फोड़ दिया। साथ ही लोग चारों ओर से आवेश के साथ उमड़ते ही चले आ रहे थे और लगभग ८०० आदमी इकट्ठा हो गये थे और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को चारों ओर से घेर लिया था। ईंटों की बौछार जोर पकड़ती ही जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में अधिकारियों के पास गोली चलाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय न रह गया था। कुल २२ फायरें की गयीं। इस समय इन लोगों के मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी ने की और यह जांच करते समय उन्होंने निष्पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों की भी गवाहियां लीं।

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, जो जांच पुलिस किया करती है और जो उनका कर्त्तव्य है उसको उन्होंने पूरा किया और उसी के हिसाब से चालान भेजा।

श्री उग्रसेन--क्या यह सही है कि उक्त घटनास्थल पर उस समय कोई मैजिस्ट्रेट नहीं था और पहला रिवाल्वर डी० एस० पी० दीक्षित और दूसरा रिवाल्वर एस० ओ० चौरे ने चलाया था और मैजिस्ट्रेट की थ्योरी बाद में फिट इन की गयी?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सही नहीं है। वहां पर दो सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट थे।

श्री झारखंडे राय--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि घटनास्थल पर सरकारी कर्मचारियों को चारों ओर से घेर लिया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये सरकारी कर्मचारी सरदारनगर से इतनी दूर छबेला ग्राम में किस प्रकार और क्यों वहां पहुंचे थे?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मैंने शुरू से ही निवेदन किया था कि ५ तारीख को उन्होंने शुरुआत की थी और ६ तारीख को रुकावट डाली थी तो ६ तारीख की हालत को देखकर ७ तारीख के लिये वहां पर सरकारी कर्मचारियों का जाना आवश्यक था जिससे जो लोग गन्ने की गाड़ियां लेकर आ रहे थे उनको न रोका जाय।

श्री उग्रसेन--क्या मन्त्री जी के पास सूचना है कि ६ तारीख को सी० आई० डी० ने सरदार साहब से पूछा कि हड़ताल कैसी चल रही है तो उन्होंने बयान दिया है और सी० आई० डी० की रिपोर्ट है कि हड़ताल शान्तिपूर्वक चल रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर आध घंटे का विवाद होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--उसे आप लिख कर भेज दें ।

रामपुर जिले की बुलन्द तथा रजा चीनी मिलों की तालाबन्दी

**५--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला रामपुर के बुलन्द और रजा चीनी कारखानों में तालाबन्दी कर दी गयी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--जी हां।

**६--श्री गनेशी लाल चौधरी--क्या सरकार इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि इस तालाबन्दी का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रमिकों द्वारा अवैध हड़ताल।

श्री गनेशी लाल चौधरी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्रमिकों ने अवैध हड़ताल क्यों की और उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अवैध हड़ताल तो इसलिये कर दी गयी कि किसी ने उनको गलत राय दी होगी। जहां तक उनकी मांगों का सवाल है उनकी ३७ मांगें हैं। वह तनख्वाह के संबंध में, बोनस के सम्बन्ध में तथा छुट्टी आदि के सम्बन्ध में हैं और स्थानीय बातें हैं जो बहुत लम्बा-चौड़ा सिलसिला है जिसको लेकर उन्होंने स्ट्राइक नोटिस दे दिया था उससे पता लगा कि यह उनकी मांगें हैं। ऐसी मांगें पहले भी हो चुकी हैं और उनके सम्बन्ध में समझौता भी हो चुका है और वह खत्म भी हो चुकी हैं। इस समय इनका पुनर्जन्म हुआ है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी मांगों को देखते हुये जो उन्होंने हड़ताल की तो वह किस कारण से अवैध घोषित की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने एक इंडस्ट्रियल डिस-प्यूट्स ऐक्ट पास किया है जिसकी धारा ६ (एस) के अनुसार तय होता है कि हड़ताल कितने दिन की हो जायगी और इतने दिन के अन्दर नोटिस दे दें कि हड़ताल होगी, इस नियम के विरुद्ध होने के कारण हड़ताल अवैध है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस लाक आउट के फलस्वरूप जो किसानों का गन्ना खड़ा है तो उनको रिलीफ देने के लिये वह क्या सोच रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों का गन्ना खड़ा नहीं रहने पायेगा।

श्री झारखंडे राय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस हड़ताल से संबंधित दोनों मिलों में कितने मजदूर प्रभावित हुये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--तीन हजार के लगभग।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन हड़तालों के मजदूर सत्याग्रही गिरफ्तार किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--कुछ मजदूर तीन दिन से गिरफ्तार हो रहे हैं, यह बात सही है। उनकी कुल तादाद कितनी है यह मैं नहीं कह सकता हूं। कल तक जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार ५४ गिरफ्तारियां हुई हैं। जो लोग काम पर जाना चाहते थे उनको गलत तरीके से रोकने तथा आब्सट्रक्शन वगैरह के सिलसिले में उनको पकड़ा गया है। ५४ के करीब कल तक की सूचना है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मजदूर यह मांग करते हैं कि हमारा मामला आर्बिट्रेशन में भेजा जाय यह साधारण सी मांग मंत्री जी क्यों नहीं मानते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मुझ से कुछ लोग आज मिले थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अवैध हड़ताल करने वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता। कानून की अगर पाबन्दी करें तो कानून का फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर कानून के खिलाफ हड़ताल करें और फिर कानून के मुताबिक उनको ऐडजुडीकेशन का फायदा पहुंचाया जाय, यह नहीं हो सकता है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या सरकार को जानकारी है कि मजदूरों के नुमाइन्दों और मिल मालिकों के नुमाइंदों के बीच कुछ समझौता हुआ है जिस पर रामपुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के भी दस्तखत हैं ? अगर एग्रीमेंट हुआ है तो क्या इसमें हो रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, मुझे कोई ज्ञान नहीं है कि रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ ऐग्रीमेंट हुआ है। लेकिन एक ऐग्रीमेंट मजदूरों के प्रतिनिधियों से हुआ था जिसके विरुद्ध एक यूनियन ने यह हड़ताल करायी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि वह तालाबन्दी जो मिल मालिकों ने की है वह भी गैरकानूनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, कानून के अन्दर लिखा है कि अगर गैरकानूनी तरीके से हड़ताल हो तो मिल मालिकों को पूरा अख्तियार है तालाबन्दी करने का।

यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन की मांगें

**७--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या राज्य में चीनी मिल मजदूरों के महासंघ यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के गोंडा जिला में स्थित बभनान में गत २, ३ व ४ जनवरी को प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना, एम० पी० के सभापतित्व में सम्पन्न सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतिलिपि सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां। निम्नलिखित मांगों के समर्थन में फेडरेशन तथा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा १५ फरवरी, सन् १९५९ से हड़ताल करने का प्रस्ताव किया है :--

(१) राज्य सरकार शीघ्र ही चीनी मिल मजदूरों की मत गणना करावे और जिस फेडरेशन के पक्ष में बहुमत हो उसे मान्यता दे दे।

(२) १९५६-५७ और १९५७-५८ की ऋतु का बोनस लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णीत सिद्धान्तों के अनुसार शीघ्र ही बांटा जाय।

(३) बिहार प्रदेश के चीनी मिलों में जिन श्रेणी के मजदूरों को रिटेनिंग एलाउन्स दिया जाता है उन श्रेणी के मजदूरों को इस प्रदेश में भी दिया जाय।

(४) जब तक कि चीनी मिल के केन्द्रीय शुगर वेज बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित किया जावे तब तक सभी मजदूरों के वेतन में २५ प्रतिशत की अन्तरिम वृद्धि की जाय।

**८--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त यूनाइटेड फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत चीनी मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--कोई भी मांग ऐसी नहीं है जिस पर किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता हो।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह मांगें जिनके बारे में कहा गया है कि कोई विशेष आवश्यकता कार्यवाही करने की प्रतीत नहीं हुई, इनको मिल मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों को बुला कर उनके सुपुर्द करने की कोई चेष्टा हो रही है या होगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, इसीलिए विशेष कार्यवाही करन की आवश्यकता नहीं है, मिल मालिकों और उनके प्रतिनिधियों के समझौते के अन्तर्गत जो निर्णय लिए गये हैं उन निर्णयों के विरुद्ध ये सब मांगें हैं। मिल मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों ने तय कर लिया है रिटेनर के सम्बन्ध में बिहार का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है जब उसका फैसला हो जायगा तो पिछली तारीख से १९५५-५६ के सीजन से वह लागू हो जायगा। आप कहते हैं कि आज ही लागू कर दिया जाय। इसी तरह से बोनस का मामला है। वह वेज बोर्ड को दे दिया गया और मिल मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों ने तय कर दिया कि इसको लागू कर दिया जाय। मांग यह है कि इस फैसले को उलट दिया जाय। तो इस तरह की मांगें हैं जिनकी जड़ बुनियाद कुछ नहीं है और इसलिये उनके न मानने व स्वीकार करने और न उन पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है और न होगी।

तारांकित प्रश्न

*१--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२७ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

शाहजहांपुर जिले की पुलिस चौकियां तथा थाने

*२--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले के अन्तर्गत पुलिस थानों और चौकियों की कुल संख्या कितनी है?

श्री रामस्वरूप यादव--शाहजहांपुर जिले में कुल १७ थाने और २१ स्थायी तथा ५ अस्थायी पुलिस चौकियां हैं।

*३--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि शाहजहांपुर नगर के अन्तर्गत पुलिस थानों और चौकियों की संख्या कितनी है?

श्री रामस्वरूप यादव--शाहजहांपुर नगर में कुल २ पुलिस थाने और १४ स्थायी तथा २ अस्थायी पुलिस चौकियां हैं।

*४--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला और शहर में अलग-अलग ऐसे कितने थाने और चौकियां हैं जिनकी इमारतें सरकारी नहीं हैं और ऐसे कितने हैं जिन तक पक्की सड़क से जाने का मार्ग नहीं है?

श्री रामस्वरूप यादव--जिले में २ पुलिस चौकियों तथा नगर की ३ पुलिस चौकियों की इमारतें सरकारी नहीं हैं। जिन के नाम मिर्जापुर और मदनपुर तथा राजघाट, कोतवाली, और लोधीपुर हैं। निम्नलिखित पुलिस थाने व चौकियों तक पहुंचने के लिये पक्की सड़कें नहीं हैं :-

१--थाना बंडा, २--थाना सेरा मऊ उत्तरी, ३--थाना परौर, ४--थाना कलान, ५--थाना निगोही, ६--थाना खुदागंज, ७--थाना जैतीपुर, ८--चौकी मिर्जापुर, ९--अस्थायी चौकी, लछमनपुर, और १०--अस्थायी चौकी, ईसापुर।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन थानों और चौकियों में इमारतें नहीं हैं वहां इमारतें न होने की वजह से प्रबन्ध में असुविधा होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसा तो नहीं है। श्रीमन्, वहां पर जो जरूरतें होती हैं वह सब सुविधायें जहां तक हो सकता है पहुंचाने का सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न करती है।

श्री देवनारायण भारतीय--सरकार ने प्रश्न ४ के उत्तर में बतलाया है कि ७ थाने ऐसे हैं कि जहां पर जाने के लिये कोई पक्की सड़क नहीं है। मैं श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि वहां पर पक्की सड़क न होने की वजह से जिले के अधिकारी संकट पड़ने पर उन स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं और इससे प्रबन्ध में असुविधा होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, यह नहीं होता है कि जिलों के अधिकारियों के पहुंचने के लिये पक्की सड़कें बनवाई जायें। पक्की सड़कें तो वहां की स्थिति को देखकर बनाई जाती हैं। कच्ची सड़कों पर जाने में कुछ देरी अवश्य होती है लेकिन प्रबन्ध में कोई असुविधा नहीं होती है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार को यह मालूम है कि कुछ थाने शाहजहांपुर में ऐसे भी हैं कि जहां पर शाहजहांपुर जिले के अन्दर से होकर नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि आस-पड़ोस के जिलों जैसे पीलीभीत, लखीमपुर या बदायूं से होकर पहुंचना होता है जैसे छिब-रामऊ उत्तरी, कलान या फरौर के थाने हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सम्भव हो सकता है कि प्रदेश के और जिलों में भी ऐसी दिक्कतें हों।

थानों के पुनस्संघटन पर विचार

*५--**श्री गनेश चन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उत्तर प्रदेश में थानों का पुनस्संगठन करने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--थानों के पुनस्संगठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के थानों के पुनस्संगठन का आधार क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने तो निवेदन किया कि अभी यह विचाराधीन है। यह महसूस किया जा रहा है कि उसमें कुछ और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन विचार किया जा रहा है। जैसा संभव होगा वैसा किया जायगा।

नगरपालिकाओं के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने की प्रार्थना

*६--**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं के शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिये कोई स्मृति-पत्र सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी, नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*७—**श्री अनन्तराम वर्मा**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश सरकार को केंद्रीय सरकार से जिला परिषद् तथा नगरपालिकाओं के शिक्षकों की वेतन वृद्धि के लिये कोई आर्थिक सहायता मिली है? यदि हां, तो कितनी?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं,

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री अनन्तराम वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन शिक्षकों को वेतन वृद्धि भविष्य में देने के लिये सरकार कुछ विचार कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—इन शिक्षकों की वेतन वृद्धि का इस समय तो प्रश्न नहीं है, लेकिन देखा जाय तो पिछले ३,४ वर्षों में कई बार उनके वेतन में वृद्धि हुई है। सन् १९४६ में पहले कुछ वृद्धि हुई। उसके बाद सन् १९४९ में पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जहां १७ रुपये उनका वेतन था उसको ३५ रुपये कर दिया। उसके बाद जो गिरानी का भत्ता था वह तनख्वाह में मिला दिया गया। पिछले वर्ष एक अप्रैल सन् १९५८ से ५ रुपये की वृद्धि ९५ रुपये से कम वालों के लिये की गई। इसी तरह जे० टी० सी० का जो ४५ रुपये वेतन था उसको भी ६० रुपये कर दिया गया। इस तरह से उनका यह वेतन बढ़ाया गया है।

मैनपुरी जिले के कत्ल

*८—**श्री गनेश चन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५७ ई० में ऐसे कत्ल की थाने में कितने हुये हैं, जिनका पता पुलिस नहीं लगा सकी है?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५७ ई० में मैनपुरी जिले में हुये कत्ल के ऐसे मामलों की जिनका पता पुलिस नहीं लगा सकी थानेवार संख्या निम्नांकित है:—

क्रम सं०	थाना			कत्ल के लापता मामलों की संख्या
(१)	कोतवाली ..	..	..	२
(२)	शिकोहाबाद	..	..	२
(३)	जसराना	..	..	२
(४)	इका ..	..	..	१
(५)	बेवर ..	..	..	१
(६)	कुरावली	..	..	१
(७)	भोगांव ..	..	..	१
(८)	कुर्रा ..	..	..	१

श्री गनेश चन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ में मैनपुरी जिले में ११ कत्ल ऐसे हो गये जिनका पता पुलिस नहीं लगा सकी तो उनका पता लगाने के लिये क्या सी० आई० डी० पुलिस को सरकार मुकर्रर करने की कृपा करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा विचार तो नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य अगर किसी खास कत्ल के बारे में जानकारी दें तो सी० आई० डी० को पता होने पर वह अपना काम कर लगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में मैनपुरी में जो ११ कत्ल हुये जिनका पता पुलिस नहीं लगा सकी तो वह कितना प्रतिशत था ?

श्री रामस्वरूप यादव--सन् १९५७ में जिला मैनपुरी में २५ कत्ल हुये थे जिनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी।

खुटहन पुलिस चौकी, जिला जौनपुर

*९--**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के ग्राम खुटहन में स्थित पुलिस चौकी को फुल-फ्लेज्ड थाना बनाने के लिये पुलिस कप्तान ने सरकार से कोई संस्तुति की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि यह चौकी ऐसे क्षेत्र में पड़ती है जो क्षेत्र उस थाने से दूर पड़ता है और रास्ता बहुत खराब है तो वहां पर थाने स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस, जौनपुर ने रिपोर्टिंग और इन्वेस्टीगेटिंग पुलिस की चौकी स्थापित करने के लिये सिफारिश की थी जो सरकार के विचाराधीन है। अगर इस वर्ष संभव हो सका और बजट में रुपया मिला तो खोल दी जायगी।

अध्यापकों की प्रशिक्षण संस्थायें

*१०--**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस राज्य के जे० टी० सी०, बेसिक सी० टी० तथा एल० टी० ट्रेनिंग कालेजों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां हैं ? इनमें कितने सरकारी हैं और कितने प्राइवेट हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--

राजकीय जे०टी०सी० कालेज	..	..	९
प्राइवेट जे० टी० सी० कालेज	..	..	३०
राजकीय बेसिक सी०टी०	..	..	३
राजकीय एल०टी० ट्रेनिंग कालेज	..	..	४
प्राइवेट एल०टी० ट्रेनिंग कालेज	..	..	८

तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०२९-१०३० पर)

बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का कथित धरना

*११--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनारस विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनारस विश्वविद्यालय बन्द होने पर विद्यालय के ऊपर धरना दिया था ? यदि हां, तो वह धरना कितने दिनों रहा और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा हिस्सा नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो विश्वविद्यालय बन्द हुआ था वह किस कारण से बन्द हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव---वहां छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिससे उसका चलना मुश्किल पड़ गया था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि जब वहां पर गोली चली थी तो उस स्थान पर लोगों ने धरना दिया था, यदि हां, तो जो उत्तर दिया गया वह असत्य है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उत्तर तो असत्य नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को मालूम है कि इसी सदन में आज से कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि काशी विश्वविद्यालय के द्वार पर विद्यार्थियों ने लोगों का आना-जाना विश्वविद्यालय के भीतर बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो उस दिन का वक्तव्य सही था अथवा आज का है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन, उन्होंने तो यह कहा था कि उन्होंने लोगों के आने-जाने में रुकावटें डालीं। धरना तो दूसरा विषय ही हुआ करता है।

बस्ती जिले में गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति

*१२---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५७-५८ में मध्यम वर्ग व गरीब छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली विशेष छात्रवृत्ति जिला बस्ती, गोरखपुर व देवरिया में क्रमशः कितने विद्यार्थियों को दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---

	बस्ती	गोरखपुर	देवरिया
मध्यम वर्ग	३	९	४
गरीब छात्र	३	३	शून्य

*१३---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त विद्यार्थियों में से जिलेवार परिगणित एवं पिछड़ी हुई जातियों के कितने-कितने विद्यार्थी थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई नहीं, क्योंकि हरिजन सहायक विभाग के द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति देने का प्राविधान अलग से किया जाता है।

*१४---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में १९५७-५८ में मध्यम वर्ग गरीब छात्रों को दी जाने वाली विशेष छात्रवृत्ति कितने विद्यार्थियों को दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---

मध्यम वर्ग	६८०
गरीब छात्र	३८०

बलिया जिले में राजकीय पुस्तकालय

*१५---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में सरकारी सहायता प्राप्त कितने पुस्तकालय हैं और कहां-कहां ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला बलिया में १९५७-५८ में ९ सरकारी सहायता प्राप्त पुस्तकालयों को शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है।

१---श्री अवध पुस्तकालय, शाहपुर, नरही, बलिया।

२---श्री छात्र पुस्तकालय, नरही, बलिया।

३---भारती भवन पुस्तकालय, गायघाट, रेवती, बलिया।

४---हिन्दुस्तानी पुस्तकालय, बहेरी, बलिया।

५---श्री आदर्श पुस्तकालय, अग्रौली, बलिया।

६---हिन्दी परिषद्, आशापुर, चीट बड़ागांव, बलिया।

७---श्री दूधनाथ पुस्तकालय, पुरास, बलिया।

८---साहित्य सेवा सदन, चीट बड़ागांव, बलिया।

९---समाज सेवा संघ पुस्तकालय, सोनवानी, बलिया।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---बलिया जिले के रिसवा तिलकपुर पुस्तकालय, जो १९०५ से देश की सेवा कर रहा है और अंग्रेजों के समय में उसको कई बार क्षति पहुंची है और सरकार ने १९५७ के पहले उसको हमेशा अनुदान दिया है, को क्या कारण है कि १९५७-५८ में अनुदान बन्द कर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस विशेष पुस्तकालय के बारे में यदि आप लिख कर देंगे तो जानकारी करा ली जायगी ।

बलिया जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*१६---**श्री गंगा प्रसाद सिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले के राजनीतिक पीड़ितों को अब तक जो पेंशनें या एकमुश्त सहायता दी गई ह उनकी संख्या तहसीलवार क्या है तथा कुल कितनी रकम दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०३१ पर)

श्री गंगाप्रसाद सिंह---मैंने यह जानना चाहा था कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई रेकार्ड है कि जिससे मालूम हो सके कि अब तक इन दोनों मदों में कुल कितनी धनराशि दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो तालिका है उसमें दिया हुआ है कि स्वीकृत पेंशन की मासिक धनराशि ४,५२३ है और स्वीकृत एकमुश्त है १९,०५० । मैं नहीं समझ सका कि आपका आशय क्या है ? किस सन् से किस सन् तक के आप आंकड़े चाहते हैं ?

श्री गंगाप्रसाद सिंह---जब से यह राजनीतिक पेंशन बलिया में दी जाने लगी तब से आज तक कुल कितनी धनराशि इस मद में दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैं तो समझता हूं कि जवाब पूरा है । लेकिन अगर माननीय सदस्य संतुष्ट न हों तो वह बाद में मुझे बता दें । जो उनका मंशा है मैं उसकी जानकारी करा दूंगा ।

कानपुर में फायर ब्रिगेड की मोटर से एक स्त्री की मृत्यु

*१७---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या गत १२ अप्रैल, १९५७ को लगभग ११ बजे दिन को फायर ब्रिगेड की मोटर से कोई स्त्री कानपुर में दब गई थी ? यदि हां, तो क्या वह अस्पताल जाकर मर गई थी या घटना-स्थल पर ही ?

श्री रामस्वरूप यादव---१२ अप्रैल, १९५७ को इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई । परन्तु १२ अप्रैल, १९५६ को लगभग साढ़े ११ बजे दिन में फायर ब्रिगेड की मोटर से एक स्त्री कानपुर में दब गई थी जोकि अस्पताल जाकर मर गई ।

*१८---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**---क्या इस घटना की रिपोर्ट थाना सीसामऊ में रजिस्टर की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, इस घटना की रिपोर्ट थाने में की गई थी। परन्तु चूंकि मृतक स्त्री के पुत्रों ने लिखित प्रार्थना-पत्र दिया कि मोटर ड्राइवर का कोई दोष नहीं था और जांच से कोई जुर्म नहीं पाया गया, अतः कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

*१९—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**—क्या मृतक स्त्री के पुत्र ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। उस पर जांच की गई थी परन्तु मामला किसी जुर्म की हद तक नहीं पहुंचता था अतः कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक स्त्री के पुत्र को इस बात का उत्तर दिया गया और उसके कितने पत्र आये?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह सम्भव हो सकता है कि उत्तर न दिया गया हो क्योंकि यह लाजमी नहीं है कि अगर कोई शिकायत करे तो उसको उत्तर दिया ही जाय, लेकिन पहले तो उन्होंने स्वयं बयान दे दिया था जिसके आधार पर लाश दे दी गई थी और बाद में जो उन्होंने शिकायत की उसमें यह पाया गया कि ड्राइवर ने कोई अनियमितता नहीं बरती।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसके पुत्र ने अपने बयान किस के सामने दिये थे और फिर जो शिकायत आयी उसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई?

श्री रामस्वरूप यादव—अस्पताल में मरने की सूचना थाने में १२-४-५६ को १२ बज प्राप्त हुई थी और थान में जाकर पुलिस के सामन उन्होंने यह लिखकर दिया था और जो पंचायत नामा भरा गया था उसमें भी यह था कि उनकी मां की ही गल्ती थी, ड्राइवर की गल्ती नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट की तो जिस तरह से कि हर जुर्म में अगर पुलिस समझती है कि किसी ने जुर्म किया है तो चार्जशीट लगाती है उसी तरह से इसमें भी हुआ।

(इस समय ११ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुये।)

खीरी जिले में कांस्टेबिलों को भ्रष्टाचार के लिए दण्ड

*२०—**श्री शिव प्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी म कितने थानेदारों को छः साल पूरे हो चुके हैं और कितने ऐसे कांस्टेबिल हैं जिनको १० साल पूरे हो चुके हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—खीरी जिले में ६ वर्ष से अधिक समय से कोई भी थानेदार नहीं ह। ७४ कांस्टेबुल ऐसे हैं जिन्हें इस जिले में रहते १० वर्ष से अधिक हो चुका है।

*२१—**श्री शिव प्रसाद नागर**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त थानदारों और कांस्टबिलों में कितनों पर भ्रष्टाचार के मामले चल चुके हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—थानेदारों के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न उठता नहीं। परन्तु १२ कास्टेंबुल ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये।

श्री शिव प्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जिले में जो ७४ कांस्टेबिल ऐसे हैं जिनको १० वर्ष से अधिक हो गये है उनका किसी दूसरे जिले में तबादले का प्रश्न विचाराधीन है?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके मातहत किसी कांस्टेबिल को किसी समय क अन्दर ही एक जिले में रखा जा सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १२ कांस्टेबिल्स पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था वह क्या था और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--१२ कांस्टेबुल्स में से ८ के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे वे सिद्ध पाये गये । उन ८ कांस्टेबिल्स में से एक के वेतन में कमी की गई, ४ के इन्टेगेरिटी सर्टिफिकेट रोक दिये गये और तीन की चरित्र पुस्तिका में बैड इन्ट्रीज अंकित कर दी गईं ।

ग्रेजुएट क्लासेज में राजनीतिक पीड़ितों को छात्रवृत्तियां

*२२--**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इस वर्ष १९५८-५९ में एम० ए० प्रथम वर्ष में कुल कितनी राजनीतिक पीड़ित छात्रवृत्तियां दी गईं ?

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--८ ।

*२३--**श्री रामशरण यादव**--उन छात्रों को भी उक्त छात्रवृत्तियां दी गयीं जो बी० ए०, बी-काम, बी० एस-सी० (ए०-जी०) फाइनल में राजनीतिक पीड़ित छात्रवृत्ति पा रहे थे ? यदि हां, तो कितनों को ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--८ ।

जिला विद्यालय निरीक्षकों को जीप मोटरें

*२४--**श्री दीपन रायण मणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों को जीप मोटर दी गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--२० जिलों में ।

*२५--**श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी**--क्या वे मोटरें अब तक बिना प्रयोग के उनके पास पड़ी हैं और क्यों ? उनके विषय में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । वे इसलिये जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास रुकवा दी गई थीं कि सामाजिक शिक्षा की नवीन योजना के अन्तर्गत उन्हें प्रयोग करने का विचार था । परन्तु इस योजना के कार्यान्वित न होने के कारण यह न हो सका ।

सरकार ने पुनः विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया है कि यह जीपें उन्हीं के पास रहें और प्रयोग में लायी जावें ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह निश्चय कब हुआ और क्या ये आदेश जिलों में जा चुके हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह फैसला हो गया है और सम्भवतः ११ फरवरी को आदेश जारी हो गये हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये जीपें कब दी गई थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--अक्तूबर सन् १९५७ तक ये जीपें जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास रहीं । इससे पहले दे दी गई थीं । बीच में बन्द कर दी गई थीं जबकि सरकार ने ऐसा फैसला किया था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--जो पहले जीपों के इस्तेमाल के विरुद्ध आज्ञा दी गई थी उसके सुधार में यह आज्ञा अब दी गई है या उसके विरोध में ?

श्री रामस्वरूप यादव—अब आज्ञा दे दी गई है कि वे जीपों का सरकारी कार्य में प्रयोग करें ।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री जी उन २० जिलों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें ये जीपें दी गईं ?

(इस समय ११ बज कर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री रामस्वरूप यादव—मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, गाजीपुर, फैजाबाद, देवरिया, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, बिजनौर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, बुलन्दशहर और मिर्जापुर ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—ये जीपें कितने दिन काम में लाई गईं और कितने दिन बेकार पड़ी रहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जब सरकार ने पिछला निर्णय किया था उस वक्त से इस वक्त तक खड़ी रहीं ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—और जिलों में जीपें न देने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—हर जिले में फन्ड्स न होने से नहीं दी जा सकतीं और शायद आवश्यकता भी नहीं है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस जी० ओ० को जिसक अन्तगत गाड़ियां वापस ली गई थीं कैंसिल कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिये मैंने उत्तर दे दिया है । और विभागों के लिये माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—नयी शिक्षा योजना के स्थगित करने के क्या कारण थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—धन की कमी के कारण वह स्थगित की गई थी ।

हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने पर विचार

*२६—**श्री श्रीनाथ** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७-५८ के बजट में सरकार ने सरकार द्वारा सहायता एवं मान्यता प्राप्त गैरसरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूल अध्यापकों को जो चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को देने की घोषणा की थी उसके अनुसार अध्यापकों को सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, अभी नहीं । योजना सरकार के विचाराधीन है ।

*२७—**श्री श्रीनाथ** (अनुपस्थित)—सरकार ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों क पास आदेश कब भेजा है ? क्या अध्यापकों के पास भी इस सुविधा की सूचना भेजी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

*२८-२९—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—[२७ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

काशी विश्वविद्यालय में लाठी चार्ज पर जुडीशियल जांच की मांग

*३०--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेशीय विद्यार्थी संघ (The Conventions of U. P. students) ने अपने २ नवम्बर, १९५८ के प्रस्ताव द्वारा प्रदेशीय सरकार से काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के ऊपर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज आदि के सम्बन्ध में जुडिशियल जांच की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार इस मांग के सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या सरकार इसका स्पष्टीकरण करेगी कि "जी नहीं" का सम्बन्ध कनवेंशन आफ यू० पी० स्टूडेंट्स के जुडिशल इनक्वायरी के प्रस्ताव से है या जांच करने की बात से सम्बन्ध रखता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--कनवेंशन आफ स्टूडेंट्स ने अपने २ नम्बर के प्रस्ताव में जो मांग की थी उससे सम्बन्ध रखता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार ने जिलाधीश या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा इस लाठी चार्ज की जांच कराई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लाठी चार्ज की जांच तो कुछ होती नहीं, गोली वगैरह की जांच पद्धति के अनुसार होती है ।

बुलन्दशहर जिले में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*३१--श्री जगवीर सिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बुलन्दशहर के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का अगस्त, सितम्बर, १९५८ का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इन दोनों माह का वेतन दिया जा चुका है ।

श्री जगवीर सिंह--ये वेतन सवाल आने से पहले दिये गये या बाद में ?

श्री रामस्वरूप यादव--ये वेतन सितम्बर और अक्तूबर में दिये गये और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी सन्तुष्ट होंगे कि कोई खास देर नहीं हुई ।

कथित बिजली डकैत

*३२--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुतली डकैत के मर जाने के बाद अब कोई "बिजली" डकैत हो गई है ? यदि हां, तो वह कौन है और कहां-कहां उसके द्वारा डकैती डाली गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं । इस प्रदेश में "बिजली" नाम की कोई डकैत नहीं है । अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री रामहेत सिंह--क्या यह सही है कि गत महीने आगरे के समाचार-पत्रों में यह खबर निकली थी कि पुतली के मरने पर बिजली ने एक गिरोह बना लिया है और वह मध्य भारत और आगरे की बोर्डर पर डकैती करती है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--आगरे के समाचार-पत्रों को पढ़ने का मुझे अवसर नहीं मिला, सम्भव है निकली हो ।

श्री शिव प्रसाद नागर--क्या यह सही है कि पुतली मारी नहीं गई और उसने ही अपना नाम बिजली रख लिया है और पुलिस ने गलत रिपोर्ट दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य को अधिक जानकारी होगी ।

एसोशियेटेड कालेजों के अध्यापकों का वेतन

*३३—श्री नरेन्द्रसिंह भन्डारी (जिला गढ़वाल)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्वविद्यालय के ऐसोशियेटेड कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम की अभिवृद्धि के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है और कब तक इस पर वह निर्णय लेने की आशा करती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जब से प्रश्न उठा है। निर्णय तो ऐसे प्रश्नों पर होते ही रहते हैं। सरकार उसे करने की चेष्टा कर रही है।

*३४-३५—श्री गनेशीलाल चौधरी—[२७ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ नगरपालिका में इण्टर क्लासेज में साइन्स पढ़ाने की व्यवस्था न होना

*३६—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ म्युनिसिपल क्षेत्र में विज्ञान में इन्टरमीडियेट शिक्षा प्राप्त करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, सहायता प्राप्त संस्थाओं को विज्ञान की पढ़ाई प्रारम्भ करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्नाव जिले में अपराध

*३७—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव के अन्तर्गत सन् १९५७ व १९५८ में अब तक अलग-अलग वर्षों में कितने कत्ल, कत्ल सहित डकैतियां, कत्ल-रहित डकैतियां व चोरियां हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५७ व १९५८ में अलग-अलग उन्नाव जिले में हुये कत्ल, कत्ल सहित डकैतियां, कत्ल रहित डकैतियों व चोरियों की संख्या निम्नांकित है :

वर्ष		कत्ल	कत्ल सहित डकैती	कत्ल रहित डकैती	चोरी
१९५७ ..	..	४७	१	१५	९५१
१९५८ ..	..	५७	कोई नहीं	१४	८४९

श्री सजीवन लाल—ये १० कत्ल सन् १९५८ में बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई खास कारण नहीं है, कत्ल करने वालों को मौका ज्यादा मिल गया होगा।

श्री सजीवन लाल—इन कत्लों में पुलिस द्वारा कितने हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव—पुलिस कत्ल करने के लिये नहीं बनाई गई है।

श्री झारखंडे राय—क्या उन्नाव जिले में कत्लों की संख्या को रोकने का सरकार ने कोई विशेष प्रबन्ध किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कत्ल रोकने की चेष्टा तो सरकार करती ही है।

श्री सजीवनलाल--बांगरमऊ और मौरावां पुलिस द्वारा कत्ल होने की सूचना सरकार को है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नहीं। माननीय सदस्य को हो तो बतलावें।

श्री सजीवनलाल--क्या मंत्री जी को पता है कि बांगरमऊ थाने में सिपाही के ऊपर कत्ल करने का केस चल रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नोटिस की आवश्यकता है।

उन्नाव जिले में पुलिस कर्मचारियों को दण्ड

*३८--**श्री सजीवन लाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले से सन् १९५७ व १९५८ में अब तक वहां के पुलिस विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें आईं और उनमें अलग-अलग वर्षों में कितने कर्मचारियों को दंड दिया गया और क्या दंड दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उन्नाव जिले के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सन् १९५७ में २६६ व सन् १९५८ में १७४ शिकायतें प्राप्त हुयीं जिनके फलस्वरूप १९५७ में ५२ और १९५८ में ३० कर्मचारियों को दंड दिया गया। उन्हें दिये गये दंड का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०३२ पर।)

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की फीस मुआफी

*३९--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १०० रु० से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की अर्धफीस मुआफी के लिये जो आदेश भेजे हैं उनके आधार पर किस-किस कक्षा तक फीस मुआफ करने के सम्बन्ध में लिखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कक्षा ९, ११ तथा १२।

शाहजहांपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*४०--**श्री देवनारायण भारतीय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में अब तक कितने राजनैतिक पीड़ितों ने पेंशन पाने के लिये आवेदन-पत्र दिये ? उनमें से कितनों को पेंशन मिली तथा कितने अभी बाकी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१६९ आवेदन-पत्र दिये गये, ४३ व्यक्तियों को पेंशन तथा ६ को एक मुश्त रकम दी गई। १७ आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

*४१--**श्री देवनारायण भारतीय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने राजनैतिक पीड़ित हैं जो १९५० से पहले से राजनैतिक पेंशन पा रहे हैं और १९५० के बाद जिन्हें पेंशन मिली उनकी संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९५० के पहिले से ६ व्यक्ति पेंशन पा रहे हैं। १९५० के बाद ३७ व्यक्तियों को पेंशन तथा ६ को एक मुश्त रकम दी गई।

मैनपुरी जिले में अपराध

*४२--**श्री नत्थू सिंह** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी के अन्तर्गत १९५६-५७ व १९५७-५८ में थानेवार कितनी चोरी, डकैती, कत्ल तथा राहजनी हुई ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला मैनपुरी में १९५६-५७ व १९५७-५८ में हुई चोरी, डकैती, कत्ल और राहजनी की थानेवार संख्या संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०३३ पर।)

बदायूं जिले में पुलिस रोजनामचे में विधान सभा के सदस्य

*४३--**श्री श्रीकृष्ण गोयल** (जिला बदायूं), **श्री हरिश्चन्द्र सिंह** (जिला बदायूं) तथा **श्री शिवराज सिंह यादव** (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के अन्तर्गत किस-किस थाने में वहां के थानेदारों ने विधान सभा के सदस्यों के विरुद्ध रोजनामचे में जनवरी, १९५८ से १५ अगस्त, १९५८ तक रिपोर्ट लिखी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका उत्तर देना जनहित में न होगा।

*४४--**श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा श्री शिवराज सिंह यादव**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रिपोर्टों के लिखने के क्या कारण थे और क्या उनकी कोई जांच उच्च अधिकारियों द्वारा की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता।

एटा जिले में गल्ला लूटने की कथित घटनायें

*४५--**श्री भूप किशोर** (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में सन् १९५८ ई० में गल्ला लूटे जाने की कितनी वारदातें कहां-कहां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५८ ई० में एटा जिले में गल्ला लूटे जाने की कोई घटना नहीं हुई।

एस० डी० कालेज, हरदोई में अनक्वालीफाइड संस्कृत अध्यापक

*४६--**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या S. D. College हरदोई के सम्बन्ध में कोई आडिट आब्जेक्शन हुआ है कि अनक्वालीफाइड संस्कृत टीचर्स को ग्रेजुएट ग्रेड नहीं दिया जाना चाहिये और जिन ऐसे अनक्वालीफाइड संस्कृत टीचर्स को ग्रेजुएट टीचर्स का ग्रेड दिया जा रहा है वह फौरन बन्द कर दिया जाय तथा जितना दिया गया है उसे रिफंड करा लिया जावे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*४७--**श्री बुलाकीराम**--यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

इटावा जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस

*४८--**श्री घासीराम जाटव** (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कुल कितने बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेंस हैं ? उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इटावा जिले में कुल १,६६७ बन्दूकों के तथा ११९ रिवाल्वर के लाइसेंस हैं ? इनमें से ६४ बन्दूकों के व १ रिवाल्वर के लाइसेंस परिगणित जाति के लोगों के पास हैं तथा २१७ बन्दूकों के व ५ रिवाल्वर के लाइसेंस पिछड़े वर्ग के लोगों के पास हैं।

आजमगढ़ जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस

*४९--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--डी० बी० बी० एल० गन के लाइसेंसों के बारे में ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में तहसीलवार सन् १९५६-५७ और ३० जून, १९५८ तक डी० बी० बी० एल० बन्दूक के जो लाइसेंस स्वीकृत हुये हैं उनके अतिरिक्त तालिका में दिये हुये कितने आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं और कितने अस्वीकृत हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०३४ पर।)

*५०--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त समय में सगड़ी तहसील में आवेदन-पत्र देने वाले तथा आवेदन-पत्र स्वीकृत होने वाले व्यक्तियों के नाम व पते क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नाम व पते की सूचना संलग्न सूची 'क' में देखें।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०३५ पर)

*५१--**श्री मुक्तिनाथ राय**--आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में बन्दूकों के लाइसेंस जब्त करने के सम्बन्ध में ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सगड़ी तहसील में सन् १९५६-५७ में जिनके लाइसेंस जब्त किये गये उनके नाम व पते क्या हैं और जब्ती के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न सूची 'ख' में दी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०३६ पर)

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीवानी के मुकदमे

*५२--**श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीवानी के कितने मुकद्दमें उसके पास इस समय हैं जिन पर तीन साल से अधिक हुये, अभी तक निर्णय नहीं हो सका ?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--३० नवम्बर, सन् १९५८ तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन साल से पुराने दीवानी के मुकदमें १३,३३२ थे।

*५३--**श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मुकदमों का फैसला शीघ्र हो सके, इसके लिये सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार ने विधायकीय तथा प्रशासकीय कई कदम उठाये हैं। उदाहरण के लिये:--

१--बंगाल, आगरा और आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट में संशोधन कर दिया गया है ताकि १०,००० रुपये तक के मूल्य के नियमित वादों (original suits) में प्रथम अपीलों को उच्च न्यायालय के स्थान पर जिला जज सुन सकें।

२--प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्ट्स की धारा २५ का संशोधन कर दिया गया है ताकि जिन अपीलों को उच्च न्यायालय देखता था उनको अब जिला जज देख सके।

३--इंडियन डाईवोर्स ऐक्ट के अन्तर्गत हाईकोर्ट के समवर्ती अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिये गये हैं।

जहां तक प्रशासकीय कदमों का सम्बन्ध है जजों की संख्या २२ (१९५१) से बढ़ाकर २४ कर दी गई है और अतिरिक्त जजों के दो स्थानों की स्वीकृत दे दी गयी है। संभव है कि निकट भविष्य में इनकी संख्या तीन कर दी जाय। हाईकोर्ट में कामों के दिनों की संख्या २०० तक बढ़ा दी गयी है। रजिस्ट्रार अब न्यायिक काम भी करते हैं। एकल (Single) न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र १०,००० रुपये तक बढ़ा दिये गये हैं। द्वितीय अपीलों के संबंध में पेपर बुक्स का छापा जाना समाप्त कर दिया गया है। न्यायालय ने अपनी छुट्टियों और अवकाशों को कम कर दिया है।

मुकदमों का निर्णय हिन्दी में लिखने की प्रार्थना

*५४--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--क्या मुख्य मंत्री ने न्याय विभाग को कोई ऐसा आदेश भेजा है कि मुकदमों के फैसले भी हिन्दी में लिखे जावें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

आजमगढ़ जिले में चेचक

*५५--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में १ मार्च, १९५८ से लेकर ३१ जुलाई, १९५८ तक कितने व्यक्तियों को चेचक निकली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आजमगढ़ जिले में १ मार्च, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक ७३३ व्यक्तियों को चेचक निकली।

*५६--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले में १ मार्च, १९५८ से लेकर ३१ जुलाई, १९५८ तक कुल कितने व्यक्ति चेचक से मरे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आजमगढ़ जिले में १ मार्च, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक २५१ व्यक्ति चेचक से मरे।

*५७--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि चेचक के रोकथाम के लिये वहां क्या व्यवस्था की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२४ जनवरी,१९५९ तक १,८८,४०८ शीतला निवारक टीके जिले भर में लगाये गये। जिन घरों में बीमारी हुई थी वहां फ्यूमिगेशन (fumigation) बीमारी के निष्क्रमणार्थ किया गया।

*५८--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)--[२७ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया]।

ऐन्टी मलेरिया यूनिट, इटावा के कर्मचारी

*५९--श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐंटी-मलेरिया विभाग इटावा ने सन् १९५८ में कितने व्यक्ति किस पद पर नियुक्त किये उनमें से अलग-अलग कितने बैकवर्ड और परिगणित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐंटी मलेरिया यूनिट इटावा में १९५८ में रखे गये व्यक्तियों की संख्या और अन्य सूचनायें निम्नलिखित हैं:

पद	संख्या	परिगणित जाति	बैकवर्ड जाति
१--मलेरिया इन्स्पेक्टर	१	..	..
२--लेबोरेटरी टेक्निशियन ..	२	१	..
३--मैकेनिक	१	..	१
४--चपरासी	१	..	१
५--ड्राइवर	४	..	२
६--क्लीनर	४	..	३
७--फील्ड वर्कर्स (सुपीरियर) ..	३२	२	१०
८--फील्ड वर्कर्स (इंफेरियर) ..	१६९	२५	९७
योग ..	२१४	२८	११४

*६०--**श्री अभयराम यादव**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐन्टी-मलेरिया विभाग, इटावा में कितने इन्स्पेक्टर हैं, उनमें से कितने परिगणित तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐन्टी मलेरिया यूनिट में चार मलेरिया इन्स्पेक्टर तथा चार सीनियर मलेरिया इन्स्पेक्टर हैं। इनमें कोई परिगणित अथवा पिछड़ी जाति का नहीं है।

मिर्जापुर जिले में मलेरिया उन्मलन कार्यों के विरुद्ध शिकायत

*६१--**श्री आनन्द ब्रह्मशाह** (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि मिर्जापुर जिले के अधिकतर गांवों में ऐंटी-मलेरिया योजना के सम्बन्ध में इस वर्ष सिर्फ नम्बर डाल दिये गये हैं और डी०डी०टी० बिलकुल नहीं छिड़का गया ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। सरकार के पास कुछ ऐसी शिकायतें आईं कि मिर्जापुर जिले के कुछ भागों में मलेरिया उन्मूलन योजना के सम्बन्ध में सिर्फ नम्बर डाल दिये गये हैं और घरों में डी०डी०टी० का छिड़काव नहीं हुआ। इस शिकायत के सम्बन्ध में तुरन्त ही मिर्जापुर के ऐंटी-मलेरिया निरोधक अधिकारी से आवश्यक रिपोर्ट मांगी गई उन्होंने सूचित किया कि सब घरों में डी०डी०टी० का छिड़काव किया गया केवल वही घर रह गये जो बन्द थे अथवा जहां लोगों ने इन्कार कर दिया। जिस क्षेत्र से डी०डी०टी० का छिड़काव न होने की शिकायत आई थी वहां छिड़काव १५ अगस्त को पूरा हो गया।

जिला अस्पतालों की लेडी डाक्टर

*६२--**डाक्टर तारादेवी** (जिला जौनपुर)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों के जनाने अस्पतालों में दो-दो लेडी डाक्टर हैं और कहीं कहीं एक-एक ? इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिलों के उन जनाना अस्पतालों में जहां पर औसत दर्जे का काम है वहां पर एक लेडी डाक्टर रक्खी जाती है पर जिन अस्पतालों में औसत दर्जे से अधिक काम होता है वहां पर एक से अधिक डाक्टरनियां रक्खी जाती हैं। कभी आकस्मिक कार्य के बढ़ जाने पर अतिरिक्त डाक्टरनियां रिजर्व ड्यूटी पर भी रक्खी जाती हैं।

लखनऊ और कानपुर में परिवार नियोजन सम्बन्धित आपरेशन

*६३--**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन से सम्बन्धित कितने आपरेशन लखनऊ और कानपुर में हुये हैं ? इनमें से कितनी महिलाओं के और कितने पुरुषों के हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन सम्बन्धी कोई योजना नहीं थी। हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन योजना का समावेश किया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सरकार द्वारा इंडियन रेडक्रास सोसाइटी की उत्तर प्रदेश की शाखा तथा अन्य संस्थाओं को परिवार नियोजन प्रचारार्थ अनुदान दिया जाता रहा है जच्चा-बच्चा केन्द्रों तथा स्त्री चिकित्सालयों में परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श देने के लिये अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक आदेश भी दिये गये थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में (१९५१-५५) परिवार नियोजन से सम्बन्धित लखनऊ और कानपुर के चिकित्सालयों में १,६७१ आपरेशन हुये, जो इस प्रकार थे :

	महिला	पुरुष
लखनऊ	१,०६६	६
कानपुर	५७२	२७
	१,६३८	३३

सहायता तथा पुनर्वासन विभाग के अस्थायी अधिकारी

*६४--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के सहायता तथा पुनर्वासन विभाग में कितने अधिकारी अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--४७९ ।

उर्सला हार्समैन अस्पताल, कानपुर में न दाखिल की गयी स्त्री की मृत्यु

*६५--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १८ अगस्त, १९५८ को श्री रामदास नामक व्यक्ति के साथ फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा लाई गई एक ४० वर्षीय स्त्री उर्सला हार्समैन अस्पताल, कानपुर में दाखिल नहीं की गई और रात भर बाहर पड़ी रहने के उपरान्त मृत्यु को प्राप्त हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१८ अगस्त, १९५८ को नहीं बल्कि १७ अगस्त, १९५८ को फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा संध्या ६-३० बजे एक पुरुष और एक पागल स्त्री मरीज़ उर्सला हार्समैन मिमोरियल अस्पताल में लाये गये थे। जो डाक्टर उस समय ड्यूटी पर थे उन्होंने उक्त स्त्री की दशा इमर्जेन्ट या अर्जेन्ट नहीं समझी और स्त्री उस समय भर्ती नहीं की गई। उस स्त्री के साथ के लोगों को उसे दूसरे दिन अस्पताल लाने के लिये कहा गया था। वह स्त्री अस्पताल के बाहर दूसरे दिन मरी पायी गयी ।

*६६--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस विषय में सरकारी जांच हो चुकी है ।

*६७-६९--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये]।

बांदा जिले में परिगणित जातियों के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को सहायता

*७०--श्री गरीबदास चौधरी (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ज़िला बांदा में परिगणित जातियों के लिये कितने पुस्तकालय एवं वाचनालय हैं और उनको कितनी सहायता सरकार से दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई नहीं, अतः अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

दहगवां अस्पताल, जिला बदायूं में डाक्टर न होना

*७१--श्री उलफतसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिला अन्तर्गत दहगवां सरकारी अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कब से?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, दहगवां अस्पताल में जून, १९५८ से डाक्टर नहीं है।

सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ

*७२--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में गत वर्ष कोई जांच सरकार के द्वारा हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

*७३--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस जांच में क्या तथ्य पाये गये और क्या सरकार पाये गये तथ्यों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मेडिकल कालेज के डाक्टरों के प्रदेश से बाहर पदों के लिये प्रार्थना पत्र

*७४--**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो डाक्टर प्रदेश के बाहर पदों के लिये अपने प्रार्थना-पत्र भेजते हैं, उनके फारवर्ड करने के सम्बन्ध में सरकार के क्या आदेश हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार का आदेश है कि प्रदेश के बाहर पदों के लिए डाक्टरों के प्रार्थना पत्र सामान्यतः न रोके जायं किन्तु सरकारी काम के हित में प्रार्थना पत्र रोके भी जा सकते हैं।

*७५--**श्री हरिदत्त काण्डपाल**--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष अप्रैल से जून मास में आगरा मेडिकल कालेज के भी कुछ डाक्टरों ने प्रदेश से बाहर पदों के लिये अपनी अर्जियां दी थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। मेडिकल कालेज के अध्यापन कार्य को ध्यान में रखते हुये दो डाक्टरों की अर्जियों को छोड़ कर शेष सभी अर्जियां यथास्थान भेज दी गयी थीं।

बलिया जिले में पीलिया रोग

*७६--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के गड़वार क्षेत्र में लगभग एक वर्ष से पीलिया संक्रामक रोग फैला हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके रोक-थाम की क्या व्यवस्था की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बलिया जिले के गड़वार क्षेत्र में जुलाई, १९५८ के महीने से पीलिया (Infective Hepatitis) की थोड़ी सी शिकायत होने की सूचना मिली है वहां पर इस बीमारी की रोकथाम के लिये पीने का पानी कीटाणु रहित किया गया और अभी भी किया जा रहा है। गांव में सफाई के लिए घूरे आदि हटवाये गये और मक्खियों को कम करने के लिये गेमेक्सिन का छिड़काव किया जा रहा है।

*७७--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले में उक्त रोग से अब तक कितनी मृत्युयें हुईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- उक्त बीमारी से मृत्यु होने की अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है।

गवर्नमेंट हेल्थ स्कूल, बरेली के छात्रावास के सुपरिन्टेंडेंट के विरुद्ध शिकायत

*७८--**श्री हरिदत्त काण्डपाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट हेल्थ स्कूल, बरेली के छात्रावास की सुपरिन्टेन्डेन्ट के खिलाफ कोई शिकायतें सन् १९५६-५७ में सरकार को प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या थीं और शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। छात्रावास के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने खुद यह शिकायत की थी कि उनकी मेडिकल आफिसर इन्चार्ज से नहीं बनती है। जांच करने के बाद यह तय किया गया कि उन दोनों का एक साथ रहना मुनासिब नहीं है। सुपरिन्टेन्डेन्ट का ट्रांसफर इलाहाबाद कर दिया गया।

विक्रमाजीत सिंह सनातनधर्म कालेज, कानपुर का भोजनालय

*७९--**श्री रामशरण यादव**--क्या सरकार को पता है कि विक्रमाजीत सिंह सनातनधर्म कालेज, कानपुर में होस्टल के भोजनालयों में उच्च हिन्दुओं और परिगणित जाति के विद्यार्थियों में छुआछूत के आधार पर भेदभाव रखा जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कालेज के होस्टल के भोजनालयों में छुआछूत के आधार पर कालेज की ओर से भेदभाव नहीं रखा जाता है।

सार्वजनिक सेवा करने वाली जातियां

*८०—श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार द्वारा तैयार कराई गई सार्वजनिक सेवाओं की १५ जातियों की लिस्ट में नाई, कहार, तेली, भुर्जी, कुम्हार, मुस्लिम, स्वीपर, भंगी, मल्लाह, बारी, फकीर, भिरती, रंगरेज, लोधी, लुहार, बढ़ई भी शामिल हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार द्वारा बनाई गई सार्वजनिक सेवाओं के लिये ५८ जातियों की लिस्ट में भिश्ती जाति को छोड़ कर प्रश्न में कही गई सब जातियां शामिल हैं।

प्रतापगढ़ जिले में हरिजन कूपों का अनुदान

*८१—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या यह सही है कि सन् १९५७-५८ में प्रतापगढ़ में हरिजनों को पानी पीने का कुंवा बनाने के लिये जो धन स्वीकृत हुआ था वह व्यय नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

जिला अस्पताल, एटा

*८२—श्री रघुवीरसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अस्पताल एटा का जनरल वार्ड रोगियों की संख्या देखते हुये बहुत छोटा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दूसरी इमारत बनाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। १६ अतिरिक्त शैय्याओं के लिये इमारत बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

*८३—श्री रघुवीरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा के मर्दाने तथा जनाने अस्पताल में वार्ड्स में रोशनी तथा पंखों की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं हो सकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—धनाभाव के कारण पंखे नहीं लगाये जा सके हैं रोशनी की व्यवस्था है।

गाजीपुर जिले में परिगणित जातियों के लिए कुएं

*८४—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में १९५८ और १९५९ में परिगणित जातियों के पानी पीने के लिये कितने कुयें बनवाने की सरकार की योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१८।

हरिजनों की आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना

*८५—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों के मकान व कुओं के निर्माण के अलावा उनकी आर्थिक सहायता के लिये कोई नई योजना भी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*८६--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस नई योजना के अन्तर्गत अब तक कितना धन व्यय किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरिजन कल्याण विभाग, गोंडा का अनुदान

*८७--श्री दीनदयाल करुण (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ से वित्तीय वर्ष १९५७-५८ तक हरिजनों के कल्याण हेतु जिला हरिजन कल्याण विभाग, गोंडा को कितना धन प्रतिवर्ष अनुदान हेतु सरकार द्वारा दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वित्तीय वर्ष १९५२-५३ से १९५७-५८ तक हरिजन कल्याण हेतु जिला गोंडा को प्रतिवर्ष निम्नलिखित अनुदान सरकार द्वारा दिया गया :

	रुपये		रुपये
१९५२-५३ ..	.. ३२,४१९	१९५५-५६ ..	४८,७२७
१९५३-५४ ..	.. ३४,५८१	१९५६-५७ ..	५४,६४३
१९५४-५५ ..	.. ३३,६६९	१९५७-५८ ..	६२,२४९
			२,६६,२८८

*८८--श्री दीनदयाल करुण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में जिला हरिजन कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त अनुदान से सन् १९५२ से अगस्त, १९५८ तक कितने हरिजनों के कितने भवन तथा कूपों का निर्माण हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वित्तीय वर्ष १९५२-५३ से १९५७-५८ तक जिला गोंडा में निम्नलिखित मकान व कुओं का निर्माण एवं सुधार हुआ :

कुआं निर्माण	कुआं सुधार	मकान निर्माण	मकान सुधार
६४	..	४१	१६

फर्रुखाबाद जिले में हरिजन कूप निर्माण

*८९--श्री द्वारिका प्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में हरिजनों के लिये प्रत्येक तहसील में पानी पीने के लिये वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कितने कुओं का निर्माण कराया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०३७ पर)

*९०--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--[हटा दिया गया] ।

गाजीपुर जिले में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां

*९१--श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कितने हरिजन विद्यार्थी प्राइमरी पाठशाला तथा मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं और कितनों को सरकार की तरफ से वजीफा दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५७-५८ में ८,४०२ छात्र प्राइमरी पाठशालाओं में तथा मिडिल स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इनमें से २९८ छात्रों को छात्रवृत्तियां सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थीं ।

अतारांकित प्रश्न

शिक्षा विभाग तथा पुलिस सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय, जिला आगरा में हरिजन कर्मचारी

१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के शिक्षा विभाग में कितने हेडमास्टर, मास्टर और क्लर्क हैं ? उसमें कितने (अ) परिगणित जाति के तथा (ब) कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

(१) हेडमास्टर	.. .. ..	३
(२) मास्टर	.. .. ..	९३
(३) क्लर्क	.. .. ..	४०

इसमें ७ अध्यापक व ५ क्लर्क पिछड़े वर्ग के तथा २ क्लर्क परिगणित जाति के हैं।

२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट आफिस में कितने क्लर्क हैं ? उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आगरा जिले के उच्च पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में कुल ३० क्लर्क हैं जिनमें से २ पिछड़े वर्ग के हैं और परिगणित जाति का कोई नहीं है।

३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालयों में आगरा जिले में कितने क्लर्क हैं ? उनमें कितने (अ) परिगणित जाति के तथा (ब) कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आगरा जिले के उप-पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में केवल १ ही क्लर्क है। पिछड़े वर्ग तथा परिगणित जाति का कोई भी नहीं है।

दहगवां प्राइमरी स्कूल, जिला बदायूं

४--श्री उल्फतसिंह--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बदायूं में दहगवां प्राइमरी स्कूल की इमारत कहां बनायी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी स्थान निश्चित नहीं हुआ है।

इलाहाबाद में माघ मेला के अवसर पर नाव का पुल टूट जाने के सम्बन्ध में तीन कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करने की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--आज एक ही विषय पर तीन कामरोको प्रस्ताव आये हैं, पहला श्री भजन लाल जी का, दूसरा श्री मदन पांडेय का, तीसरा श्री कल्याण चन्द मोहिले का है। ये तीनों प्रस्ताव इलाहाबाद में पान्टून ब्रिज के टूट जाने के सम्बन्ध में हैं जो कि इलाहाबाद में १२ तारीख को टूट गया था और ८ व्यक्तियों की मृत्यु उस कारण हो गयी, ऐसी खबर अखबार में छपी है। इस सम्बन्ध में इन लोगों ने वादविवाद की मांग की है। इसी के साथ-साथ श्री कल्याणचन्द मोहिले ने नियम ५२ के अनुसार इस सम्बन्ध में सूचना की मांग की है। मैंने कामरोको प्रस्ताव तो अस्वीकृत कर दिये हैं, क्योंकि इस विषय में तत्काल ही खबर आयी है इसलिये कामरोको प्रस्ताव के लिये यह विषय उचित नहीं हो सकता। लेकिन सूचना जो कुछ भी प्राप्त हो उसको देने के लिये मैं नियम ५२ के अनुसार इजाजत दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय में जो सूचना आयी हो वह कृपा कर दें।

*मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, प्रयाग में दारागंज और झूंसी के बीच में गंगा पर एक पीपे का पुल था। जिस जगह यह पुल था वह जगह मेला एरिया से बाहर है, इसलिये वहां मेला अधिकारियों की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं था और न और सालों में ही होता था। वह पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों के चार्ज में था। इस साल गंगा का पाट बहुत चौड़ा हो गया इसलिये पीपों के अलावा बहुत सी नावें भी उसमें जोड़नी पड़ीं। इस पुल से काफी आदमी इस पार से उस पार आ जा रहे थे। कल ११ बजे दिन की घटना है कि यकायक एक नाव बैठ गयी। उसके बैठ जाने से ७ या ८ नावें और बैठ गयीं और इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लोग पानी में गिर पड़े। लोगों का आना जाना रोक दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह मेला एरिया में थे, क्योंकि बसंत पंचमी की वजह से काफी भीड़ स्नान करने वालों की थी। १५, २० मिनट के अन्दर जब उनको खबर वहां लगी तो वे पहुंचे और पानी में से ८ लाशें मिलीं। और ४ बच्चे जो जख्मी थे मिले और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। उनके बारे में आज सबेरे तक की खबर यह है कि वे आउट आफ डेंजर हैं और उनकी हालत खराब होने की कोई आशंका अब नहीं है। जो ८ व्यक्ति मरे हुए मिले उनमें ४ स्त्रियां, १ पुरुष बालिग और ३ बच्चे थे। इस वक्त तक इनमें से ७ व्यक्तियों को तो उनके घर वालों ने पहचान लिया है और एक स्त्री अभी तक पहचानी नहीं जा सकी है, जिसकी लाश पुलिस के चार्ज में रखी हुई है। अगर आज शाम तक कोई पहचानने वाला नहीं मिला, उसकी हुलिया के साथ काफी सूचना दे दी गयी है तो फिर उसका दाहकर्म पुलिस के जरिये हो जायगा। इन लोगों के अतिरिक्त एक व्यक्ति ने जिसको चोट लगी थी, उसने अपने को अस्पताल में भर्ती कराया और वह इस वक्त अस्पताल में है। शाम को कुछ लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खबर की कि साहब हमारे भी कुछ रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं, तो कई घंटे तक पानी में जांच की गयी, लोग पानी में नीचे उतरे, काफी तलाश की गयी, लेकिन अभी तक कोई और लाश पानी से बरामद नहीं हुई है। इतनी जल्दी की घटना है कि कोई ब्योरा हमको नहीं मालूम है, लेकिन हां, मैं इतना कह सकता हूं कि इसकी जांच होगी कि क्यों पुल टूटा, कैसे टूटा, पुल की पहले जांच हुई थी या नहीं हुई थी या हुई थी तो किसने देखा था? जो भी इसके लिये जिम्मेदार पाया जायगा उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी। अभी तो कुछ ही घंटों की बात है, इससे और ज्यादा ब्योरा इस वक्त तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा, मुझे इलाहाबाद से इस दुर्घटना....

श्री अध्यक्ष---आप सूचना नहीं दे सकते हैं, आप स्पष्टीकरण चाहें तो ले सकते हैं।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले---मैंने इस घटना के १५ दिन पहले जब हमारे उप सचिव इलाहाबाद में पधारे थे तो मैंने इस पुल का जिक्र उनसे किया था और मैंने कहा था कि यह पुल महीने में ३-४ दिन खराबी के कारण बन्द रहता है और मैं चाहूंगा कि आप उसका निरीक्षण करें और जो वहां पर असुविधायें हैं उनकी जांच करके उसका प्रबन्ध करा दें तो अच्छा होगा। तो अब माननीय उपमंत्री जी निर्माण विभाग के इस बात की सूचना देंगे कि जो मैंने कहा उस पर उन्होंने किस अधिकारी को क्या कहा और उसका क्या प्रबन्ध हुआ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसा कि मैंने कहा अभी इस विषय में कोई खास जानकारी नहीं है। अभी एक दिन की तो बात ही है। जिस बात का माननीय सदस्य ने जिक्र किया, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि उसकी जांच करके देखा जायगा, क्योंकि ८ जानें गयी हैं और कई लोग घायल हुए हैं, कोई मामूली बात तो है नहीं। जिस किसी का भी कसूर होगा, उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक मिली रिपोर्ट के अनुसार कितने आदमी गायब हैं, इसकी कोई छानबीन हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसा मैंने बतलाया कि दो-तीन आदमी शाम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास गये और उनसे कहा कि हमारे भी रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नदी में उनकी कोई लाश नहीं मिली। शायद शाम तक या कल सबेरे तक कुछ और सूचना मिल सकेगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुल एकाएक वहां आदमियों के पहुंच जाने की वजह से टूट गया या किसी दैवी घटना से अपने आप ही टूट गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं। जैसा कि मैंने बतलाया कि यह कल की बात है, भीड़ की वजह से टूट गया या पहले से पुल कमजोर था जिसकी वजह से टूट गया। इसकी जांच की जायगी और जो भी अपराधी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, कुम्भ की दुर्घटना के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा कर भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही फिर न हो सके इसका कुछ प्रबन्ध करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसमें जुडीशियल इंक्वायरी का सवाल तो पैदा होता नहीं। पुल कमजोर है तो किसी की गलती से कमजोर रह गया होगा। इसमें जुडीशियल इंक्वायरी का सवाल तो पैदा होता नहीं है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब इसको समाप्त करना चाहिये।

श्री मदन पांडेय---एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब ९ तारीख को मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया था, उसके लिये जो तिथि निश्चित की गयी थी मंत्री जी की स्वीकृति से उसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम ५२ (२) की ओर दिलाना चाहता हूं "यदि अध्यक्ष उक्त विषय को उठाने के लिये अपनी अनुमति दे दें तो यह कार्य प्रश्नों के उपरान्त और कार्यसूची प्रारम्भ करने से पूर्व किया जायगा।" तो नियमानुसार यह कार्य सूची का अन्तिम कार्य-क्रम न हो कर तुरन्त इस पर मंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिये....

श्री अध्यक्ष---किसके विषय में आप कह रहे हैं ?

श्री गौरीशंकर राय---मैंने व्यवस्था यह उठाई थी कि आज जो अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को अन्तिम आइटम नम्बर १४ पर रखा गया है उसको नियम ५२ के अनुसार आज के कार्य-क्रम में अन्तिम स्थान पर न ले कर तुरन्त लेना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष---वह तो निश्चित हो चुका है।

श्री गौरीशंकर राय—आपने तिथि निश्चित की थी। लेकिन समय के सम्बन्ध में बड़ा स्पष्ट नियम है। उसमें यह लिखा है.....

श्री अध्यक्ष—नियम ऐसा नहीं है। इसमें यह दिया है कि "मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे या किसी भावी समय या तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे।" इसमें भावी समय या तिथि दोनों का जिक्र है। इस विषय में मंत्री जी ने अपनी दिक्कत जो रखी वह यह थी कि इस प्रश्न से बहुत-सा सम्बन्ध बजट से है। बजट में क्या-क्या चीज ह इसको बजट के पहले चूंकि जाहिर करना उचित नहीं होता है इसलिये बजट उपस्थित होने के बाद का समय इसके लिये रखा जाय यह मैंने निर्णय कर लिया था। तिथि आज की होगी और बजट के बाद मंत्री जी वक्तव्य देदें नहीं तो वे ७ रोज चाहते थे। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि वे अपना वक्तव्य किसी दिन सवेरे दें तो मैं सोमवार को कह दूंगा उस वक्त यह हो जायगा। मैं चाहता था कि जल्दी वे वक्तव्य दे दें इसलिये आज ही बजट के बाद का समय मैंने रखा देरी न होने के लिये और आप के ही लाभ के लिये मैंने यह समय निश्चित किया था।

नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैंने तथा राजनारायण जी ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव सोशलिस्ट पार्टी की ओर से दिया था।

श्री अध्यक्ष—आपका नियम ५३ के अन्तर्गत है। मैं उसे एग्जामिन करूंगा तब उस पर फैसला दूंगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैंने रामपुर की हड़ताल के सम्बन्ध में नोटिस दी थी। वहां वर्कस को वेजेज नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—वह नियम ५२ के अन्तर्गत था। ५२ में यह दिया हुआ है "एक ही दिन एक से अधिक विषय उपस्थित किये जाने की स्थिति में उनमें से उस एक विषय को प्राथमिकता दी जायगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक विलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो।" यह जो घटना हुई है पुल की उसकी मैंने आज इजाजत देदी क्यों कि वह अधिक महत्वपूर्ण था और इस लिये मुख्य मंत्री जी से मैंने कहा कि वे इसकी सूचना दे दें।

श्री मदन पांडेय—इसके बारे में भी मंत्री जी कोई सूचना दे दें।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये आप नोटिस दे दें। वह कल हो सकता है या परसों हो सकता है।

*इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विवाद जारी रहेगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—श्रीमन्, यह जो उत्तर प्रदेश इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ हमारे सामने पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही साथ उसके ऊपर जो दो संशोधन आये हैं कि उसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय उसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, इस बिल के सम्बन्ध में बहुत से भाषण हुए और उनको मैंने सुना। यह मैं जरूर समझता हूं कि बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें कही गईं, जिनका अपनी जगह

---

*९ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

†११ फरवरी, १९५९ से।

बड़ा स्थान है और हो सकता था, परन्तु उन सब बातों का क्या सम्बन्ध इस विधेयक से था यह मैं नहीं समझ सका। एक बात कही गई कि यह विधेयक इतनी देर में क्यों आया? और यह भी कहा गया कि जब दो, या तीन महीने पहले एक संशोधन विधेयक इस भवन के सामने आया था. . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--कृपया इसका उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने दीजिये।

श्री नवलकिशोर--मुझको जो कुछ कहना है कहने दीजिये। आप मुझको क्यों डिस्टर्ब करते हैं।

तो यह कहा गया कि जब पहले संशोधन विधेयक आया था उसमें इस तरह का संशोधन क्यों नहीं आया? श्रीमन्, मैं यह बात मानने को तैयार हूं कि इस तरह की शिकायतें कि सुपरिन्टेंडेंट्स पर और इनविजीलेटर्स पर हमले होते हैं और एक, दो प्रिन्सिपल का कत्ल भी हुआ, अलीगढ़ में हुआ, तो यह शिकायतें बहुत दिनों से हमारे सामने थीं। यह बात सही है कि इस तरह का संशोधन अगर पहले आया होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन यदि पहले नहीं आ सका और अब आया तब यह शिकायत करना कि पहले से नहीं आया लिहाजा अब भी नहीं आना चाहिये था यह कोई उचित बात नहीं है। जहां तक उस संशोधन विधेयक का जो तीन माह पहले सवाल आया है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जो गुप्त हो। मैं उस सेलेक्ट कमेटी में था और जिन भाइयों ने यह आवाज़ उठायी है वह भी उस कमेटी में थे, जहां तक मुझे याद है उसमें इस तरह की तरमीम किसी तरफ़ से भी नहीं पेश की गई थी और यह भी है कि अगर उस विधेयक में इस तरह का संशोधन आता तो उसमें कुछ वैधानिक कठिनाई पड़ती और जिस ध्येय को लेकर वह संशोधन विधेयक लाया गया था उसमें देर होने की सम्भावना थी। माननीय गोविन्दसिंह विष्ट जी ने जिस समय अपना संशोधन पेश किया तब उन्होंने मुदालियर कमेटी की बहुत सी चीजों को कोट किया और बताया कि सरकार ने ये सब बातें नहीं कीं। उसमें कई बातें थीं एक म्युचुअल कांट्रेक्ट की बात थी, उन्होंने यह भी कहा कि कैरेक्टर बिल्डिंग की बात होनी चाहिये, यह भी फ़रमाया कि १७ साल से पहले के विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिये। उनका कहना यह था कि सरकार को पहले उन बातों को कार्यान्वित करना चाहिये था और वह ज्यादा आवश्यक था बजाय इसके कि आप ऐसा एक विधेयक ले आयें। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट में है उसका अपनी जगह एक महत्व है और जैसा कि बार-बार कहा गया, शिक्षा मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि वह इंटरमीडियेट एजूकेशन के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक इस सदन के सामने लाने वाले हैं। यह सही है कि वह काम्प्रीहेंसिव बिल जो आने वाला है यदि जल्दी आ सके तो और भी ज्यादा अच्छा है। वह जो विधेयक आयेगा उसमें उन सब बात के समावेश होने की सम्भावना हो सकती है जो कि इस सम्बन्ध में गोविन्द सिंह जी ने कहीं।

जहां तक हमारे सामने विधेयक है यह छोटा सा विधेयक है और मुझे खुशी है कि उधर के साथियों ने भी इसका स्वागत उस हद तक किया है, वह कहते हैं कि इसके पीछे जो आपकी मंशा है वह सही है। मगर चूंकि वह विरोधी पक्ष में बैठते हैं तो यह स्वाभाविक है कि उनको आशंकाएं पैदा होती हैं। मेरे मित्र गौरीशंकर जी ने सरकार की नियत के ऊपर भी शंका की। उन्होंने यह फरमाया, उन्होंने ही नहीं बल्कि और सदस्यों ने भी जो उधर बैठते हैं कि उन्हें इस बात की आशंका है कि चूंकि टीचर्स ने एक प्रस्ताव पास किया है कि वह एक्जामीनेशन और इंविजीलेशन का बाईकाट करेंगे लिहाजा सरकार इस विधेयक को लाई ताकि उन्हें पब्लिक सर्वेन्ट घोषित करने के बाद वे इस तरह का कदम न उठा सकें। उन्हें शंकाओं का होना स्वाभाविक है। सरकार कोशिश कर रही है कि उनका समाधान किया जाय, कहां तक कामयाब होती है यह मैं नहीं कह सकता। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जिस तिथि को अध्यापक मंडल ने यह प्रस्ताव पास किया है कि वे इम्तिहान का बाईकाट करेंगे और इंविजीलेशन नहीं करेंगे, अगर इस विधेयक का ड्राफ्टिंग उससे पहले हो चुका हो तब तो श्रीमन् उनकी शंका जो कुछ भी है वह बिल्कुल निर्मूल

[श्री नवलकिशोर]

और बेबुनियाद है। इस बात का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि इस विधेयक का ड्राफ्टिंग २, ४ दिन पहले नहीं, कई महीने पहले हो चुका था जब कि अध्यापक मंडल का कोई प्रस्ताव हुआ हो, और जिसकी कोई कानूनी या जाब्ते की सूचना शिक्षा मंत्री जी के पास नहीं है, ऐसी मेरी मालूमात है। तो उसका जवाब तो यह है जो कि उन्होंने अल्टीमेटम की बात कही वह सही नहीं है।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि सेक्शन २१ की धारा ९ के अन्तर्गत एक अध्यापक पब्लिक सर्वेन्ट नहीं हो सकता। उसके बारे में यह कहा गया कि जब तक आप किसी को तनख्वाह न दें, रेम्यूनरेशन न दें तब तक वह पब्लिक सर्वेन्ट नहीं हो सकता है और चूंकि इम्तहान की फीस स्टूडेन्ट्स देते हैं, उससे अदायगी होती है इसलिये अध्यापक पब्लिक सर्वेन्ट नहीं हो सकता। मैं केवल यही कह सकता हूं कि उनको जो भ्रम हो गया है वह निर्मूल और बेबुनियाद है। जिस परपज के लिये उनको पब्लिक सर्वेन्ट बना रहे हैं वह यह है कि जो सुपरिंटेंडेंट या इंविजीलेटर्स हों उनका रक्षण हो, इसलिये उनकी यह शंका भी बिल्कुल निर्मूल है। यह भी कहा गया और घुमाकर कहा गया, शायद भाई गोविन्द सिंह जी ने कहा कि इससे दफा १६१ और १६२ उन पर लागू हो जाएगी। दफा १६१ और १६२ में यह है कि जो आदमी जायज आमदनी के अलावा और कोई ग्रेटीफिकेशन लेता हो उसे दंड मिले। मैं समझता हूं कि विरोधी दल की तरफ से इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए। क्योंकि अगर इंविजीलेटर या सुपरिंटेंडेंट हालांकि उसमें ऐसी गुंजायश नहीं है--ऐसा ग्रेटीफिकेशन लेता हो तो उसके लिये दफा १६१ और १६२ क्यों नहीं लागू होनी चाहिए?

यही नहीं आज श्रीमन्, जो स्थिति है हमारे प्रदेश के अन्दर और मैं समझता हूं कि और भी बहुत-सी जगहों में इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि अनुशासनहीनता बहुत बढ़ती जा रही है। तब फिर ऐसा विधेयक लाना उचित नहीं है। मेरे मित्र गौरीशंकर राय जी ने कुछ ऊंची ऊंची बातें भी कहीं और यह फरमाया कि यह शर्म की बात होगी कि अगर अध्यापक अपने डिसिप्लिन में पुलिस की इमदाद या प्रोटक्शन ले। सिद्धान्ततः उनकी बात सही है। मैं भी इसी व्यू का हूं कि अगर पुलिस की हिफाजत में रह कर अध्यापक अनुशासन कायम रख पाते हैं तो कोई शान की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त प्रश्न शर्म या शान का नहीं है बल्कि वाकयात का है। मेरे मित्र राय जी स्वयं भी अध्यापक रह चुके हैं और वह जानते हैं कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में अध्यापकों की इस बात की मांग रही है कि हमको किसी तरह का प्रोटक्शन होना चाहिए और जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि बहुत से कालेज और मैनेजिंग कमेटियां ऐसी हैं जो इस बात क लिये तयार नहीं होती ह कि उनके कालेज में सेन्टर बनाया जाय। तो यदि आपको इम्तहान लेना है तो जो इंविजिलेटर्स और सुपरिंटेंडेंट्स हैं उनके लिये आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा।

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना, पीठासीन हुए।)

मैं अपने मित्र मिश्रा जी से इत्तिफाक करता हूं, यहां सवाल अध्यापकों का नहीं है जिससे परेशानी हो। यहां सवाल सुपरिंटेंडेंट्स और इनविजिलेटर्स का है और वे अधिकांश अध्यापक ही होते हैं। मिश्रा जी ने यह भी कहा कि इस बात की घोषणा कर दी जाय कि अध्यापक को स्वतन्त्रता है चाहे वह सुपरविजन व इनविजिलेशन करें या न करें। मान्यवर, उन पर पाबन्दी भी नहीं है वह चाहें करें या न करें। पर इस तरह की उन्होंने एक नई चीज ही उठाई। जब तक सरकार के सामने यह प्रश्न न हो कि टीचर्स को वह मजबूर करे कि वह सुपरिटेंडेंट या इनविजिलेटर बनें, या उसका कोई राइट इनफ्रिन्ज होता हो तब तक तो घोषणा का सवाल हो सकता था लेकिन इस पर हमारा शिक्षा कोड चुप है, उसमें कोई प्रावीजन नहीं है कि वह हों या न हों बल्कि यह बात तो कामनसेन्स की है कि यह शिक्षा संस्थाओं का कर्तव्य है कि उनके अध्यापक परीक्षाओं में सहयोग दें और वे सब देते भी हैं। हमारे अध्यापक तो बड़े इच्छुक स्वयं ही रहते हैं कि वे इनविजिलेटर बनाये जायं क्योंकि इसमें उनकी कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाती है।

इस सम्बन्ध में माननीय गौरीशंकर राय जी ने और भी बहुत सी बातें कहीं, शिक्षा पद्धति की, परीक्षा पद्धति आदि की भी बहुत सी बातें बताईं और जितनी भी चीजें शिक्षा के सम्बन्ध में हो सकती थीं वे सभी उन्होंने बताईं। मैं इस बात को मानता हूं कि शिक्षा की पद्धति का प्रश्न एक मूल प्रश्न है और वह एक फंडामेंटल इशू है केवल इसी सूबे का नहीं वरन् तमाम प्रदेशों का और सारे देश का और वह हमारे सामने है। मैं भी कहता हूं कि हमारी शिक्षा की पद्धति खराब है, वह बदलनी चाहिये लेकिन एक कठिनाई मुझे महसस होती है, हो सकता है कि उन्हें वह न होती हो कि अब तक इस विषय पर जितनी भी रिपोर्ट्स आईं जिनमें बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों के नाम आते हैं चाहे वह नरेन्द्रदेव कमेटी हो, मुडालियर कमेटी हो या राधाकृष्णन कमेटी हो उन सब की रिपोर्ट्स को देखने के बाद यह बात मालूम होती है कि वह सब आपस में किसी भी पद्धति पर एकमत नहीं हैं। यह सब कहते हैं कि खराबी है लेकिन वह कैसे दूर हो और आगे क्या हो इसकी कोई रूपरेखा कहीं नहीं है।

इसके अलावा पूज्य गांधी जी ने भी हमें बेसिक एजूकेशन का आइडिया दिया, उसमें हम कहां तक कामयाब हुये, उससे हम अपने उद्देश्य में कहां तक आगे बढ़े यह प्रश्न अब भी हमारे सामने है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो प्रश्न राय जी ने उठाया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा कैसी हो, परीक्षा किस तरह से हो लेकिन यह सारा प्रश्न इसी बिल में हल कर दिया जाय तो वह सम्भव नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि चूंकि अब परीक्षाओं के आरम्भ होने में केवल एक मास का समय रह गया है और यह देर में आया है इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापकों को थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिले ताकि वह इनविजिलेशन और सुपरविजन का काम ठीक से कर सकें।

यह भी कहा गया कि यह जो इनडिसिप्लिन है इसका कारण क्या है। वेतन की बात, मेडिकल, सुविधा तथा प्राविडेन्ट फंड की बात है। मुनासिब बातें हैं पर इन सब बातों से इस विधेयक का सम्बन्ध नहीं है। मैं मान सकता हूं कि किसी मर्ज को दूर करने की कोई अच्छी दवा हो सकती है लेकिन जो महामारी का सा प्रकोप हो उसको चेक करने की कोई फौरी दवा भी हो सकती है और उससे मर्ज की रोकथाम काफी हो सकती है और वह आवश्यक है। अगर पूरी अनुशासनहीनता इससे नहीं रुकेगी तो जो हमले अध्यापकों पर होते हैं, उनको पीट दिया जाता है और तौहीन कर दी जाती है, इन चीजों में थोड़ी बहुत रोकथाम जरूर हो जायगी। मिश्रा जी ने भी बड़े बड़े उच्च आदर्शों की बात हमारे सामने रखी कि अध्यापक एक पिता होता है, उसका शिष्य उसका बेटा होता है, हो सकता है कि अध्यापक बाद में उसको क्षमा करना चाहें पर क्षमा करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया है क्योंकि पब्लिक सर्वेन्ट होने के बाद उसके विरुद्ध अगर विद्यार्थी कोई काम करेगा तो उसका काग्नीजेंस हो जायगा। मैं उनकी भावनाओं का बड़ा आदर करता हूं और यह आशा करता हूं कि अध्यापकों का हृदय और भी अधिक उदार और विशाल होगा। वह अपने पुत्र-तुल्य विद्यार्थियों के ऊपर, अगर वह कोई हमला भी करेंगे, तो उनको कोई गुस्सा नहीं आयेगा, आवेश नहीं आयेगा और प्रकोप कभी नहीं होगा और वह उनकी किसी किस्म की शिकायत नहीं करेंगे। जब तक वह शिकायत नहीं करेंगे तब तक काग्नीजेंस होने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अध्यापक यह महसूस करें कि उनका अपमान और तौहीन हुई है और जो अब तक अपने को असहाय महसूस करते थे कि किस कानून के अनुसार काम करें, क्योंकि अब तक उनको व्यक्तिगत तरीके से शिकायत करनी पड़ती थी, गवर्नमेंट कहीं तस्वीर में नहीं आ सकती थी, तो उसके लिए यह छोटा-सा विधेयक है और उसमें अध्यापक को यह प्रोटेक्शन दिया है कि वह अध्यापक जो सुपरिंटेंडेंट का काम करेंगे और इंविजिलेटर्स का काम करेंगे अगर उनके कार्य में रुकावट डाली जायगी या कोई हमला होगा तो वह एक ऐसा आफेंस है कि उसका सरकार काग्नीजेंस लेगी, केवल इतना-सा विधेयक है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनेशंस संचालित हैं और उनके द्वारा जो सुपरिंटेंडेंट और इंविजिलेटर्स होंगे उस पर ही हमारा यह विधेयक लागू होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथियों से, जिन्होंने इसका विरोध किया है, यद्यपि जो इसका मंशा है

[श्री नवलकिशोर]

उसका उन्होंने स्वागत किया है और विशेष तौर से मित्र गौरीशंकर राय जी से चूंकि उन्होंने मांग की थी कि इसे वापस लिया जाय, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस छोटे से विधेयक से नाराज न हों और इसको वापस लेने की मांग न करें, बल्कि जैसा यह है इसको इसी रूप में पास होने दें और उसके बाद जो उनकी इच्छा है शिक्षा पद्धति के बारे में, परीक्षा की पद्धति के बारे में और जो टीचर्स की डिफीकल्टीज हैं उनके बारे में तो जैसा कि शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन है कि वह एक व्यापक विधेयक लायेंगे हम उनसे आग्रह करें कि जितनी जल्दी वह उसको लावें उतना ही अच्छा है ताकि सभी शंकाओं का समाधान हो जाय।

मुझे आशा है कि सदन इसको उसी तरह पास करेगा।

श्री अधिष्ठाता--श्री चन्द्रजीत यादव।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस खत्म की जाय।

श्री अधिष्ठाता--मैं चन्द्रजीत यादव जी का नाम पुकार चुका हूं। उसके बाद इस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गोविन्दसिंह विष्ट जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछली बार जब सदन के अन्दर इंटरमीडिएट बिल आया था तो विरोधी पक्ष से यह मांग की गयी थी कि माननीय शिक्षा मंत्री एक ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत करें जो एक काम्प्रिहेंसिव बिल हो जिसके अन्दर वह तमाम बातें लायी जायं और उनकी व्यवस्था हो जो एक अर्से से हमारे प्रदेश के शिक्षकों और प्रदेश के शिक्षाविदों की मांग है। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि इस बात की आवश्यकता है कि एक पूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाय और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि वह स्वयं इस बात पर विचार कर रहे हैं और ऐसा विधेयक उपस्थित करना चाहते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे सम्मेलनों के अन्दर उन्होंने भाषण किया, उसमें उन्होंने अपने उस आश्वासन को दोहराया, लेकिन जब हम इस बात की उम्मीद कर रहे थे; उनके आश्वासन के मुताबिक कि शीघ्र ही सदन के अन्दर एक ऐसा विधेयक आयेगा जिसके अन्दर उन तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर विचार किया जायगा तो हमें एक छोटा सा दूसरा संशोधन विधेयक बदले में मिला। मैं नहीं समझ पाता कि शिक्षा मंत्री महोदय को इस बात में क्या अड़चन पड़ रही है, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको वे खुद महसूस करते हैं। बहुत से शिक्षा सम्बन्धी कमीशन हमारे प्रदेश में बिठाये गये। उन्होंने भी सिफारिशें कीं लेकिन आज तक मंत्री महोदय का वह काम्प्रीहेन्सिव बिल इस सदन में न आ सका। इस बिल को पेश करते हुये कहा गया है कि हमारे अध्यापकों की मांगों में से एक मांग की पूर्ति हम इस बिल को पेश करके कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ जो उनकी दूसरी अत्यावश्यक मांगें हैं, जिनका उनकी जिन्दगी से गहरा सम्बन्ध है और जिनके पूरा न होने की वजह से उनका आर्थिक ढांचा जर्जर हो चुका है, शिक्षा में उनका मन नहीं लगता है और हमारे प्रदेश के अध्यापक अपनी उन मांगों को दोहराते दोहराते आजिज आ चुके हैं, उन्होंने बार बार सरकार से प्रार्थना की, प्रतिनिधि मंडल भेजे लेकिन सरकार ने उन तमाम मांगों को बराबर ठुकराया है। अब उनके धैर्य की सीमा भी टूट चुकी है। उन्होंने सरकार को नोटिस भी दी है कि यदि वह उनकी अत्यावश्यक मांगें नहीं मानेगी तो उनको विवश होकर किसी न किसी शान्तिपूर्ण आन्दोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा।

श्रीमन्, सरकार की मजबूरियां हो सकती हैं, रुपये पैसे की कठिनाइयां हो सकती हैं फिर भी मैं नहीं समझ पाता कि यदि शिक्षा मंत्री गंभीरतापूर्वक इस बात को मानें, उस पर विचार करने को तैयार हों, अध्यापकों के प्रतिनिधियों को बुलायें, दूसरे लोगों की रायों का आह्वान करें तो कोई न कोई ऐसा हल अवश्य निकल सकेगा जिससे यदि पूर्ण रूप से नहीं तो काफी हद तक उनकी मांगें पूरी की जा सकती हैं। हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की मांगें जब हम

उठाते हैं तो सरकार उस समय भी यही एक कारण बताती है कि रुपये की कमी है। लेकिन अध्यापकों की एक साधारण सी मांग है कि सरकारी और गैरसरकारी अध्यापकों के वेतन के भेदभाव को दूर कीजिये इसकी ओर सरकार आज तक कोई भी कदम नहीं उठा सकी। जब सरकार इस बात को मानती है कि गैर सरकारी संस्थाओं के अध्यापक अधिक काम करते हैं, उनकी अधिक कठिनाइयां हैं, उनकी मजबूरियां ज्यादा हैं तो फिर उस भेदभाव को क्यों नहीं दूर करती? आज के इस प्रजातंत्र के युग में समानता के सिद्धान्त को मानते हुये भी जो इस तरह का भेदभाव रखा गया है वह अत्यन्त दुखद है और मैं चाहता हूं कि आज शिक्षा मंत्री जी इस सदन में उन मांगों को भी बतायें जिनको लेकर आज हमारे अध्यापक आन्दोलन छेड़ने के लिये मजबूर हो रहे हैं। कोई भी आदमी यह नहीं चाहेगा कि एक ऐसा आन्दोलन प्रदेश में जारी हो जिससे तमाम शिक्षा का काम बन्द हो जाय। मैंने भी उनको मांगों का एक स्मृति-पत्र जो उन्होंने शिक्षा मंत्री को दिया है और जिसको उन्होंने बांटा भी है उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि पूरी शालीनता के साथ अपनी मजबूरियों को सरकार के सामने रखने के बाद और ऐसा कदम उठाने की इच्छा न होते हुये भी आज हमारा अध्यापक इस बात के लिये मजबूर होने जा रहा है कि उसे कोई न कोई आन्दोलन का कदम उठाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इस परिस्थिति को संभालें कि हमारे अध्यापक मजबूर होकर ऐसा कदम न उठायें।

अब प्रश्न यह आता है कि जो बिल हमारे सामने पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि इनविजिलेटर्स और सेन्टर के सुपरिन्टेन्डेंट्स की सुरक्षा के लिये हमने इस बिल को पेश किया है। हर व्यक्ति इस बात का स्वागत करेगा कि यदि हमारे इनविजिलेटर्स और सेन्टर्स के सुपरिंटेंडेंट्स के जीवन की अरक्षा की भावना पैदा होती है, जैसी कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में घटनायें भी हुईं, वह अप्रिय घटनायें थीं और उनकी सुरक्षा का पूर्ण रूप से प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उस तरह की सुरक्षा उनको पब्लिक सर्वेन्ट कह कर ही दी जा सकती है? क्या इसके लिये कोई दूसरा हल नहीं है? श्रीमन्, यदि हम इस बिल को देखें तो इसमें धारा १४ (ए) खंड (२) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इंविजिलेटर इम्तहान से एक महीने पहले और दो महीने बाद तक पब्लिक सवट माना जायगा। जहां तक मैंने देखने का प्रयत्न किया है यह पहली ही व्यवस्था हो रही है जब कोई व्यक्ति टैम्पोरेरी पीरियड के लिये पब्लिक सर्वेंट माना जाता हो। पब्लिक सर्वेंट जब लोगों को माना जाता है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है और उनको सुविधा दी जाती है। सरकार ने अपने कार्य-संचालन के लिये, सुविधा के लिये ऐसा किया है। लकिन अध्यापकों को केवल पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर करने की सुविधा देने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। पब्लिक सर्वेंट मानने के बाद भी उनके ऊपर हमला हो सकता है यदि कोई व्यक्ति हमला करना चाहेगा या शक्ति का प्रयोग करना चाहेगा तो कर सकता है जब तक सरकार पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं करती है। यह जरूरी है कि कुछ अपराध ऐसे हो सकते थे कि अगर पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर न किया जाय तो पुलिस आफेन्स का कागनीजेन्स न लेगी लेकिन यहां पर खंड (२) नितान्त अनावश्यक लगता है। मैंने भी इंडियन पेनल कोड की दफा ३३२ और ३५३ को देखा है जिनमें ऐसी व्यवस्था है। ३५१ में एसोल्ट की परिभाषा है और क्रिमिनल कोड की ३४९ दफा में परिभाषा दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ कर इस तरह का हमला करेगा तो वह एक आफेन्स करेगा और यदि हम मौजूदा बिल के खंड (२) को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि :--

"An assault on, or use of criminal force to, a Superintendent of a centre or an Invigilator during the period mentioned in sub, section (1) shall be deemed to be an obstruction voluntarily caused to a public servant in the discharge of his public functions and shall be a cognizable offence."

श्रीमन्, इसमें यह है कि अगर किसी से धोखे से भी किसी इंविजिलेटर को धक्का लग जाय तो वह वोलेन्टरिली काज्ड समझा जायगा। यह स्कोप को और भी बढ़ा देगा। जब पूरी गारन्टी दी हुई है और सारी व्यवस्था इंडियन पैनल कोड में है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करें कि इस खंड २ की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई महत्व नहीं है। श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि एक महीने पहले और दो महीने बाद तक वह पब्लिक सर्वेंट समझा जायगा। कल माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा था कि अध्यापकों ने यह इच्छा प्रकट की थी कि आने वाले इम्तहान के जमाने में वह इंविजिलेशन के लिये नहीं जायंगे सरकार के इस रुख और रवैये के विरुद्ध जो सरकार ने अध्यापकों के प्रति अपनाया है। इसमें पब्लिक सर्वेन्ट डिक्लेयर करने के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अगर वह हड़ताल करते हैं या ड्यूटी पर नहीं जाते हैं तो सरकार को हक होगा कि वह एक पब्लिक सर्वेन्ट के विरुद्ध जिस तरह की कार्यवाही कर सकती है वह उनके खिलाफ भी कर सकेगी। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी की ऐसी नियत थी इसीलिये उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। उनकी नीयत न भी हो लेकिन इतना जरूर है कि यदि अध्यापक इस तरह का काम करेंगे कि वह इंविजिलेशन में न जायं तो सरकार उनके विरुद्ध उसको इस्तेमाल कर सकती है तो नीयत न होते हुये भी इस ऐक्ट के पास होने के बाद सरकार को अधिकार मिल जायगा कि अध्यापकों के विरुद्ध वह इस तरह की कार्यवाही कर सकती है। उधर से कहा गया कि अगर अध्यापक हड़ताल करना चाहता है तो कोई जरूरी नहीं है कि इनविजिलेशन के पीरियड के अन्दर वह हड़ताल करे। वह केवल तीन महीने पब्लिक सर्वेन्ट रहेगा। साल के बाकी भाग में वह हड़ताल कर सकता है। लेकिन जो कोई भी अपनी मांगों को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ता है वह अपने सबसे मजबूत अस्त्र को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इसमें छिपाने की बात नहीं है। अध्यापकों ने जब यह निर्णय किया कि वह इनविजिलेशन में नहीं जायेंगे तो उनका मकसद था कि वह सरकार के ऊपर अधिकाधिक दबाव डाल सकें। इसी लिए उस पीरियड को चुना। उस समय उस पर अधिक से अधिक दबाव न डाल सकें इस मंशा से भी यह बिल रखा गया है। इन बातों को देखते हुए माननीय गोविन्द सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इनविजिलेटर की रक्षा के लिए दूसरे तरीके भी निकाले जा सकते हैं। इसके लिए बिल एक संयुक्त प्रवर समिति को एक हफ्ते के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाय। इस पर विचार कर लिया जाय और उनकी सुरक्षा के दूसरे तरीके निकाले जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं देख रहा हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में इस सदन के अन्दर भरपूर भ्रम है। एक भ्रम तो यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत व्यक्तियों को पब्लिक सर्वेन्ट करार देने से उनके ऊपर पब्लिक सर्वेन्ट के दायित्व आ जाते हैं जैसा कि माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा। १४ (ए) धारा जो इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्वर्द्धित की जा रही है उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि पब्लिक सर्वेन्ट होने के उपरान्त, उनके ऊपर वे उत्तरदायित्व आ जायंगे जो कि कहीं और किसी कानून या किसी नियमावली में दिये हुए हैं। इसका मंतव्य तो केवल यह है कि इनविजिलेटर और सुपरिन्टेन्डेन्ट की सुरक्षा की जाय। अगर मतलब यह है कि उनके ऊपर हम कोई दायित्व डाल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कम से कम इस विधेयक की भाषा के बिलकुल प्रतिकूल है।

दूसरी बात जो माननीय गोविन्द सिंह जी ने कही, और कदाचित माननीय नवलकिशोर जी जिसको स्वीकार करते हैं, वह भी भ्रामक है। कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो इस विधेयक के अन्दर पब्लिक सर्वेंट करार दिया जाता है, तो उसके ऊपर धारा १६१ और १६२ इंडियन पेनल कोड की भी लागू हो जाती है। यह महान् भ्रम है। श्रीमन्, धारा १६१, दंड विधान के अन्तर्गत, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके अधीन कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, जब तक कि, उस सम्बन्ध में, इस विधेयक में कोई उपबन्ध न हो। मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा ८९ का रखता हूं---

"Every officer or servant of a board shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code, and in the definition of legal remuneration in section 161 of that Code, the word 'Government' shall, for the purpose of this section, be deemed to include a board."

जिन शब्दों का प्रयोग धारा १६१ दंड विधि संहिता में किया गया है वे शब्द हैं "Government Servant" और जब तक कि हम इस विधेयकमें यह प्राविधान न करें कि जो कुछ रिम्यूनरेशन इस सिलसिले में वह अर्थात् सुपरिन्टेन्डेन्ट व इनविजिलेटर पायेंगे वह गवर्नमेंट रिम्यूनरेशन समझा जायगा, तब तक इंडियन पेनल कोड की धारा १६१ किसी तरह से उनके ऊपर लागू नहीं होती। यह भी एक भ्रम है।

तीसरा एक भ्रम जो इस सदन के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है वह माननीय गोविन्द सिंह ने प्रस्तुत किया है, और जिसको हमारे जितने भी सोशलिस्ट दल के सदस्य बोले, उन्होंने उनका समर्थन किया है। वह भी भ्रमात्मक है। उनका कहना यह है कि इसमें जो शब्दावली है--"Shall be deemed to be a public servant under section 21 of the Indian Penal Code." इस शब्दावली द्वारा इंडियन पेनल कोड में एक नया क्लाज एक नये प्रकार का एक नवीन व्यक्ति पब्लिक सर्वेन्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। धारा २१ इंडियन पेनल कोड के अन्तर्गत, एक नये पब्लिक सरवेंट का निर्माण किया जा रहा है जो कि इस सदन के अधिकार के परे है। यह गोविन्दसिंह जी का कहना है और इसका समर्थन मिश्र जी ने भी किया और गौरीशंकर राय जी ने भी किया। क्रिमिनल ला से मैं दीर्घकाल से कुछ अपरिचित रहा हूं। माननीय जगदीश-शरण जी नवयुवक हैं, कदाचित् उनका सम्पर्क क्रिमिनल ला से रहा हो, लेकिन जो उन्होंने इस सदन के समक्ष अपना तर्क रखा कि आई० पी० सी० की धारा २१ खंड ९ के अन्तर्गत ऐसा करना वैध है, मुझे जंच नहीं रहा है। हो सकता है कि क्रिमिनल ला की दृष्टि से यह सही हो किन्तु एक सिविल प्रैक्टीशनर होने के नाते मुझे भय है कि ऐसी बात नहीं हो सकती। धारा २१ के अन्तर्गत जिस पब्लिक सर्वेन्ट की व्याख्या हुई है वह, पब्लिक सर्वेंट वह है जो शब्दशः इंडियन पेनल कोड की उक्त धारा के प्रत्येक अक्षर के अन्तर्गत आता हो। एक आधारभूत नियम कानून का है कि---

"Punitive or Penal Law has got to be interpreted strictly and rigidly and in favour of the subject."

अर्थात् जिस कानून में दंड का विधान हो उस कानून की कभी उदार व्याख्या नहीं हो सकती। उस कानून की व्याख्या अत्यन्त संकुचित होती है और उस व्यक्ति के पक्ष में होती है जो अभियुक्त हो या जिसके विरुद्ध अभियोग हो। अभियुक्त सदैव यह कह सकता है, कि धारा २१ की शब्दावली शब्दशः इस कानून के अन्तर्गत किये गये पब्लिक सर्वेंट की व्याख्या को लागू नहीं होती। मैंने कोई जुर्म इस कानून के अन्तर्गत नहीं किया। सदैव वह कह सकता है, और इसका भार प्राजीक्यूशन पर भी आता है कि वह सिद्ध करे कि शब्दशः कानून अभियुक्त पर लागू है।

श्रीमन्, करीब सौ साल हुये जब इंडियन पेनल कोड का निर्माण हुआ था। कदाचित् उस समय उस कानून के निर्माताओं को यह कल्पना भी नहीं थी कि विद्यार्थी वर्ग के संरक्षक, अध्यापक या उनके स्थान पर सुपरिन्टेन्डेन्ट और इनविजिलेटर के संरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी कल्पना उन्होंने की हो यह जरा कम से कम मेरी बुद्धि में नहीं आता। मेरा तो ऐसा विचार है कि खंड ९ के अन्तर्गत किसी प्रकार से यह पब्लिक सर्वेन्ट नहीं आयेंगे। तो प्रश्न यह उठता है कि जब उसके अन्तर्गत नहीं आते तो इस विधेयक के द्वारा हम किसी नये पब्लिक सर्वेन्ट का निर्माण कर सकते हैं या कर रहे हैं। आपसे और माननीय सदन से मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में २, ३ मौलिक बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। प्रत्येक विधान सभा को अपने अधिकारों के अन्तर्गत, जो विषय हैं, उनके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार अथवा अनन्य शक्ति है। जब कोई विधान सभा को अपना कानून बनाने की शक्ति दी जाती है तो उसको यह भी अधिकार दिया जाता है कि वह उस कानून को परिचालित कर सके और सफल कर सके। श्रीमन्, आप देखेंगे कि संविधान की अनुसूची ७ के अन्तर्गत सूची २ में एजूकेशन

[श्री मदन मोहन]

का विषय राज्य सभा के अधिकार के अन्तर्गत है और साथ साथ एक और प्रविष्टि है जिसमें यह लिखा हुआ है कि:

"Offences relating to the subjects covered by this list."

दूसरी सूची में जो जो विषय लिखे हुये हैं, तत्सम्बन्धी जो अपराध हैं, उन अपराधों के सम्बन्ध में, विधान सभा, अपना विधान बना सकती है। यह अधिकार दिया गया है और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुये श्रीमन्, देखेंगे कि इसी सदन ने अपने विभिन्न कानून बनाये हैं, जिनके अन्तर्गत उन्होंने उन अपराधों की व्यवस्था की है। "Every officer or servant shall be deemed to be a public servant." जैसा मैंने पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की ८९ धारा में इस प्रकार का प्राविधान है। म्यूनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में भी धारा ८४ में इसी प्रकार का प्राविधान है। तो हम यह विधान इस सदन के द्वारा करते रहे हैं और उसको सदैव सही और लीगल माना गया है।

एक बात और इस सम्मानित सदन के समक्ष निवेदन कर दूं। जब कभी कोई सदन अपना कानून बनाता है और उस कानून के बनाने में, अगर वह उस क्षेत्र में अतिक्रमण करता है, उस क्षेत्र के अन्दर जाता है, जो कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है, तो भी, वह वैध होगा, अगर राज्य विधान सभा अपने अधिकारी विषय के सम्बन्ध में अपना कानून बनाते हुये कुछ निषिद्ध क्षेत्रीय कानून बना दे। वह भी कानून सही और लीगल माना जावेगा। इसका उदाहरण हमको मिलता है। एक बहुत बड़ा मुकदमा हुआ बंगाल मनी लेंडिंग ऐक्ट के बारे में। उन्होंने अपने ऐक्ट में यह प्रोवाइड किया था कि प्रोमेसरी नोट में सूद की दर को अदालत कम कर सकती है। प्रश्न यह उठा कि, क्या बंगाल विधान सभा को यह अधिकार प्राप्त था, कि प्रोमेसरी नोट के सम्बन्ध में कोई कानून बनाये, इस वास्ते कि प्रोमेसरी नोट एक नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेन्ट है, और इसके सम्बन्ध में केवल केन्द्रीय सरकार को अधिकार है, कि वह विधान बनाये। यह प्रश्न उठा और प्रिवी काउन्सिल तक लड़ा गया। प्रिवी काउन्सिल ने जो सिद्धान्त निश्चित किया, वह यह था, कि कोई भी राज्य विधान सभा अपना विधान बनाते हुये जो उसके अधिकार के अन्तर्गत है, थोड़ा सा अतिक्रमण उनके विषयों पर करे जो उसके अधिकार के बाहर है तो उस विषय में उस अधिकार का अतिक्रमण नहीं करती। अर्थात् एक विधान सभा अपना विधान बना सकती है और उसके अन्तर्गत अगर ऐसी बातें समावेश करें जो आवश्यक हों और वे बातें उनके अधिकार के परे हों तो भी वह सही है।

अब हमको यह देखना है कि एजूकेशन के सिलसिले में परीक्षाओं की व्यवस्था करना इस विधान सभा के अन्तर्गत है या नहीं? उन परीक्षाओं की व्यवस्था के संबंध में सुपरिटेंडेंट्स और इंविजीलेटर्स को नियुक्त करना इसके अधिकार में है या नहीं। अगर यह हमारे अधिकार में है तो हम क्या कर रहेहैं? हम यह कर रहेहैं कि परीक्षायें समुचित रूप से हों, वह प्रभावी हों और पूर्ण रूप से हों, परीक्षाओं में किसी प्रकार की असुविधा और अव्यवस्था न हो, इसी के लिये हम इसमें प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---यह काम बोर्ड करता है।

श्री मदनमोहन---बोर्ड भी इस विधान सभा के अधीन है। उसके कानून कायदे हम बनाते हैं। वह केन्द्रीय विषय नहीं है। तो बोर्ड चाहे जिम्मेदार हो या न हो, लेकिन बोर्ड को अधिकार भी इस सदन द्वारा बनाये गये विधान द्वारा प्राप्त हुआ है। तो विधान, हम यह बना रहेहैं कि परीक्षायें हमारी ठीक तरीके से, सुचारु रूप से और सुव्यवस्थित हों। यह वास्तविक उद्देश्य इस बिल का है और इस संबंध में व्यवस्था करते हुए अगर हम थोड़ा सा अतिक्रमण करते हैं उन क्षेत्रों में जो कि हमारे क्षेत्र से परे हैं, तो केवल एक ही प्रश्न अदालत के सामने आ सकता है और वह यह कि इस विधान का, पिथ ऐंड सब्स्टेंस (pith and substance)

क्या वास्तविक मंशा इस कानून का है ? कोई भी शायद इससे इन्कार नहीं करेगा कि वह मंशा इक्जामिनेशन्स हैं, परीक्षायें हैं न कि पब्लिक सर्वेंट्स का निर्माण। हम पब्लिक सर्वेंट्स का निर्माण करने नहीं जा रहे हैं। हम तो इम्तहानों की व्यवस्था करने जा रहे हैं और उसके लिये आवश्यक है कि हम उनके संरक्षण के सिलसिले में उनको पब्लिक सर्वेंट्स के अधिकार दें। तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों और कैसे यह जोर दिया जाता है कि यह हमारे अधिकार के बाहर की बात है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री मिश्र जी यहां नहीं हैं, उन्होंने बड़ी प्रेम और करुणा भरी आवाज से यह कहा, कि बच्चों को आपने हमें क्षमा करने का अधिकार भी नहीं दिया। श्रीमन्, एक बात हमें समझ लेनी चाहिये और वह यह, कि अगर कोई ऐसा दोष समाज में पैवस्त हो जाय, समाज में इतना व्यापक रूप धारण कर ले, कि कोई वर्ष ऐसा न बीते कि जब इस प्रकार की दोष प्रेरित घटनायें, जिनको रोकने के लिये यह विधेयक लाया गया है, न घटे, जब हम देखें कि छोटी छोटी बात पर प्रहार, संघर्ष उत्पन्न किया जाता हो, और समाज में वह व्यापक घर कर गया हो, तो मेरा नम्र निवेदन है कि "सीरियस मेलाडीज रिक्वायर स्ट्रांग रेमेडीज" इस कदर व्यापक रोग के लिये हमें अपने हृदय की इच्छाओं के प्रतिकूल भी, कानून बनाने पर विवश होना पड़ता है। अगर एक व्यापक रोग को रोकने के लिये, कोई कानून बनता है, तो किसी एक व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि उसके दोषी को क्षमा दे दे। एक आदमी चोरी करता है, डाका मारता है, जो काग्नीजेबिल आफेंस है, तो वह एक असामाजिक तत्व हो जाता है, और उसको जिसके यहां चोरी हुई या डाका पड़ा, वह नहीं कह सकता कि हम अभियोगी को माफ करते हैं। माफ करने का अधिकार समाज को है, और समाज अगर यह अनुभव करता है कि ऐसे कानून की आवश्यकता है, तो मिश्र जी नहीं कह सकते कि हम उसे क्षमा देना चाहते हैं और कहां थी वह क्षमा भावना। आज से तीन वर्ष पहले जब उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि संरक्षण के लिये कोई व्यवस्था की जाय। क्या वह अनुशासनहीनता या वह भय जो उनको उस समय दबोचे हुये था, वह भय आज निवृत्त हो गया ? क्या उनकी स्थिति अब पहले से अच्छी हो गई ? अगर वही स्थिति है और अगर उससे ज्यादा उग्र स्थिति है, तो आज इस विधेयक को जब इस सदन में लाया जाता है, तो प्रेम क्यों उमड़ पड़ता है हृदयों में ?

अब गौरीशंकर जी ने, जो बड़े अच्छे कार्यकर्त्ता हैं, जो बातें कहीं, वह बहुत अच्छी कहीं, कि अगर अध्यापक अपना कर्त्तव्य पालन करे तो अनुशासनहीनता का प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां हमारे प्रिय मित्र गौरीशंकर जी यह कहते हैं कि अध्यापकवर्ग अपना कर्त्तव्यपालन करे, क्या उनका ऐसा विचार है कि अध्यापकवर्ग इतना निकृष्ट हो गया है---कम से कम इस तरफ के जो लोग बैठे हैं कांग्रेस दल के वे, यह नहीं समझते हैं जैसा कि वे वे समझते हैं---कि वह उन परीक्षाओं में बाधा डालेगा, वह वर्ग उन परीक्षाओं को रोकने का यत्न करेगा, जिनके लिये उन्होंने अपने विद्यार्थियों को साल भर तक तैयार किया है, मेरी समझ में नहीं आता। हम लोगों का यह निश्चित मत है कि कोई भी अध्यापक इतना गिरा हुआ नहीं है, कोई अध्यापक अपने कर्त्तव्यों से इतना विमुख नहीं हो गया है, कि जिनके लिये उन्होंने साल भर प्रयत्न करके तैयार किया, उनकी परीक्षाओं में वे बाधा डालेंगे। और अगर श्रीमन्, वे इतना गिर गये हैं, अगर इतना पतन हो गया है कि विद्यार्थियों की परीक्षाओं में बाधा डालने के लिये वे उद्धत हो गये हैं, तो मैं गौरीशंकर जी से पूछूंगा. . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मांग लेने के लिये उद्धत हैं।

श्री मदनमोहन---गौरीशंकर जी, अध्यापक वर्ग अपनी मांगों को पूरा करने के लिये उद्धत हैं, अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये, अपने समुदाय की शर्तों को पूरा करने के लिये, क्या वे तीन लाख लड़कों का गला घोंटने के लिये तैयार हैं ? आप अपनी मांगों को पूरा करने के लिये, चाहे सदन में सत्याग्रह करें या जो चाहें करें, लेकिन जिन विद्यार्थियों को उन्होंने तैयार किया है उनकी परीक्षाओं में बाधा डालना उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकती, और अगर वह अपनी स्वार्थ

[श्री मदनमोहन]

सिद्धि से ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं, कि अपने पद से गिर रहे हैं। और अगर गिर रहे हैं, तो मैं गौरी शंकरजी से पूछूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद से इतना पतित हो जाय, तो उसके लिये एक कानून बनाया जाय तो क्या बुराई है ? उसके लिये तो यह कानून बनना ही चाहिये।

श्रीमन्, जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित है, उसमें एक और कानूनी त्रुटि दिखलाई गई है। जब इसके दोनों खंड पढ़े जायंगे उस पर विचार होगा तब उसका उत्तर दे दिया जायगा, लेकिन इस समय उसका प्रश्न नहीं उठता। यह कानून की दृष्टि से उपयुक्त है, यह न्याय की दृष्टि से उपयुक्त है, औचित्य की दृष्टि से यह उचित है और कोई आवश्यकता नहीं है कि इसे एक प्रवर समिति में भेजा जाय और समय नष्ट किया जाय।

श्री उग्रसेन---माननीय अधिष्ठाता जी, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी माननीय वर्मा जी इस पर भाषण दे रहे थे तो मुझको ऐसा लगा कि वर्मा जी यह समझ बैठे हैं कि क्रिमिनल विधान के प्राविजन्स के बल पर ही इस देश में शिक्षा चलाई जा सकती है और शिक्षा पद्धति कायम की जा सकती है। बड़ी सफाई उन्होंने कानून की दी। मैं कानून तो पढ़ा नहीं हूं लेकिन उन्होंने संविधान की धाराओं को तोड़-मरोड़ कर अपनी बात को साबित करने की बहुत कोशिश की। मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश की शिक्षा डंडे के बल पर, दफा १०७ और १४४ के बल पर नहीं चलायी जा सकती। अगर इस देश के हजारों वर्षों के इतिहास को माननीय वर्मा जी देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि कहीं इस प्रकार के कानून बने हुये नहीं हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा संदीपन जी के यहां एक साथ ही पढ़ा करते थे। चाहे तो वह रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे वैदिक काल हो, और चाहे मुस्लिम युग हो और आज के इतिहास में भी पंडितों और मौलवियों के यहां लोग पढ़ते हैं और शाम की खुराक पाने पर वह शिक्षा देते हैं। सरकारी बेंचेज की ओर से कहा गया कि वे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन शिक्षा का नेशनलाइजेशन हो जायगा उस दिन शिक्षा की हत्या हो जायगी। शिक्षा इस राष्ट्रीयकरण अथवा सरकारीकरण से चलाई नहीं जा सकती और न मैनेजेरियल इन्तजाम से ही ऐसा हो सकता है जिनके इन्तजाम में हमारा बेचारा अध्यापक इनविजिलेटर बन रहा है और प्रिन्सिपल सुपरिन्टेन्डेन्ट बन रहा है। इनको आप अब एक पब्लिक सर्वेन्ट के अधिकार देने जा रहे हैं वह भी तीन महीनों के लिये। "दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है।" मुझे अफसोस है कि माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जैसे व्यक्तियों के प्रिन्सिपल होते हुये भी मैनेजरों ने उनके ऊपर अत्याचार किया। पुलिस की शरण लेने पर भी प्रिन्सिपल साहब बाहर ही भटकते रहे। सारे सरकारी कानूनों और एजूकेशन विभाग के होते हुये और इंटरमीडियेट बोर्ड का एक मेम्बर होते हुये भी, उनकी कोई मदद नहीं हो सकी। इसलिये मैं सरकार को और सदन को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के थोथे आश्वासन देकर अध्यापकों की कोई सहायता नहीं कर सकती।

माननीय शिक्षा मंत्री जी तो शिक्षा विशारद हैं, काशी के रहने वाले हैं, जहां पर मृत्यु होने से मुक्ति हो जाती है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों-हजारों अध्यापक और उनके परिवार वालों के जीवन की वह रक्षा करें तथा उनकी जो मुख्य मांगे हैं उनको पूरा करें। गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापकों और प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों के वेतन में जो भेद है उसको मिटायें। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस विषय में कुछ सोच भी रहे हैं लेकिन इस प्रकार से कानून बनाने से उनकी रक्षा नहीं हो सकती।

श्रीमन्, कहा जाता है कि विद्यार्थी बड़ी अनुशासनहीनता फैलाते हैं। श्रीमन्, मैं भी अध्यापक रहा हूं और मुसीबत पड़ती है तो अध्यापकों की शरण लेता हूं चाहे तनख्वाह दो महीने बाद ही क्यों न मिले उससे मुझे यह अनुभव हुआ है कि अध्यापकों के ऊपर जितनी विद्यार्थियों की श्रद्धा होनी चाहिये वह कम नहीं हुई है। आप किसी भी युग में देख लीजिये, छात्रों की ओर से कभी भी अध्यापकों के प्रति बदतमीजी की बात नहीं हुई। अगर आप आज किसी को डिप्टी

कलेक्टर बना देते हैं और कल को वह कलेक्टर हो जाता है तो वह आपको सलाम नहीं करेगा लेकिन किसी अध्यापक का कोई पढ़ाया हुआ विद्यार्थी अगर वह उसको कहीं भी मिल जाता है तो वैसी ही नम्रतापूर्वक प्रणाम करता है, वही आदर और सद्भावना दिखलाता है। माननीय मंत्रीजी के सामने लोग जिस भाव से रहते हैं उनके पीछे वैसे भाव नहीं रहते और लोग उनकी बुराई करते हैं लेकिन छात्रों में इस प्रकार का कोई भाव अध्यापक के प्रति नहीं रहता है। अब यह जो अनुशासनहीनता दिखायी देती है इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह इन्टरमीडियेट बोर्ड है। जिसकी ओर हमारे माननीय गौरीशंकर राय जी ने संकेत किया था। इंटरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड जब बना, और जब उसमें संशोधन आया तो उस समय भी मैंने सम्भवतः यह कहा था कि यह जो इंटरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड है उसका संचालन और मेकअप जो है वह इतना खराब है कि इसका जबर्दस्त सरकारीकरण किया जा रहा है। एक उदाहरण मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने देना चाहता हूं कि बोर्ड ने अब इन्तजाम किया था कि अंग्रेजी दो तरह की चलाई जाय, एक एलिमेंटरी और दूसरी ऐडवांस। हमारे यहां देवरिया के एक कवि हैं उन्होंने लिखा है कि 'बोर्ड प्रांगण में पली एलीमेंटरी, स्नेहहीन हमें खली एलीमेंटरी, छात्र 'नाइट' को 'निघट' पढ़ने लगे, जब से अंग्रेजी चली एलीमेंटरी।" तो यह तो हालत है एलीमेंटरी और एडवांस अंग्रेजी की। इसके अलावा किताबें और कैरिकुलम बराबर बदलते रहते हैं जिसकी वजह से मास्टर परेशान हैं, लड़के परेशान हैं। मास्टरों की परेशानी का एक कारण है आपका सिस्टम आफ एक्जामिनेशन। जब एक्जामिनेशन करीब आता है तो लडके परेशान हो जाते हैं क्यों कि साल भर तक तो वे पढते नहीं, ऐन मौके पर आकर उनकी परेशानी इस एक्जामिनेशन सिस्टम की वजह से बढ़ जाती है। इस सम्बन्ध में आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट से चन्द लाइनें मैं पढ़ देता हूं जोकि अंग्रेजी में हैं :

"The deficiencies, inadequacies and harmful consequences of the existing system of public examinations are too well-known to need elaboration here. Suffice it to say that they are known to be capricious, invalid, unreliable and inadequate ; that they dominate instruction to its detriment by making the syllabus narrow, killing initiative in the teacher and encouraging cramming in the student ; that they result in excessive strain and anxiety to students near the examination time and in neglect of work during the school year ; and that they tend to have an adverse effect on discipline."

अर्थात् एक्जामिनेशन का सिस्टम ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी अपने मन से कोई काम करना चाहता है तो उसे टेकअप कर सके, उसे चुन सके। यह ताकत उसकी जाती रही, यह क्षमता न रही। इम्तहान के करीब आने पर विद्यार्थी परेशान रहते हैं और उसका कारण यही है कि एक्जामिनेशन सिस्टम वही पुराना है। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने तो उस सिस्टम को बदलने के लिये कहा है लेकिन अभी तक वह सिस्टम बदला नहीं गया है अभी तक वही परीक्षा प्रणाली चल रही है। कहा जाता है कि चूंकि मास्टर लोग मारे जाते हैं इसलिये आई० पी० सी० के अन्तर्गत हम कानून बना कर यह अधिकार दे रहे हैं कि जो भी उनके ऊपर हमला करेगा उसे सजा दी जायगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कार्यवाही हुई है ? कौन सा एक्जामिनेशन सिस्टम बदला गया है ? मैं तो देख रहा हूं कि आज तक वही चीज चल रही है जो कि पहले भी थी। जैसा कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन जरूर कहूंगा।

कहा यह जाता है कि अध्यापकों की मांग थी कि एक्जामिनेशन के मौके पर उनको संरक्षण दिया जाय जिसे सरकार देने जा रही है। मैं कहता हूं कि उनकी यह मांग बहुत पहले से थी, पहले भी इम्तहान होते थे और पर्चे भी आउट हुये थे लेकिन आज तक उसका कोई ख्याल नहीं किया गया। मेरी इत्तिला है कि उनकी यह मांग जो मानी जा रही है उसका एक

[श्री उग्रसेन]

खास कारण श्रीमन्, यह है कि प्रादेशिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने कह दिया है कि यदि हमारा संरक्षण न हुआ तथा हमारी मांगें न मानी गयीं तो हम इनविजिलेटर्स का काम परीक्षा केन्द्रों में नहीं करेंगे, सेंटर सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं बनेंगे । तो इसी वजह से उनको कानूनी शिकंजे में फंसाने के लिये यह कार्यवाही की जा रही है और इसी आधार पर यह कानून लाया गया है । अगर सरकार सही माने में उनकी भलाई करना चाहती है तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी निवेदन किया था कि हम एक काम्प्रीहेंसिव बिल बाद में लावेंगे, तो उसे चाहिये कि वह यथाशीघ्र एक काम्प्रीहेंसिव बिल लावें । उन्हें लाना चाहिये और यदि नहीं लाते तो इंटरमीडियेट एजूकेशन संशोधन विधेयक के पेश करने के पहले यह संशोधन विधेयक पेश कर देते, क्योंकि दलील दी गयी है कि इसमें राष्ट्रपति की एसेंट की जरूरत है । तो इस संशोधन विधेयक को दो महीने पहले लाते तब इंटरमीडियेट संशोधन विधेयक लाते ।

मैं कहूंगा कि जब मास्टरों को उनका वेतन नहीं मिलेगा, उनको उनकी जायज मांगें नहीं मिलेंगी तो काम ठीक से नहीं चल सकता है । मैं अन्त में एक ही निवेदन करना चाहूंगा इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग मदद करेंगे सब पब्लिक सर्वेन्ट्स माने जायेंगे । यह कानूनी गलती होगी । चपरासी जो मदद करे उसे पब्लिक सर्वेन्ट्स न माना जाय, कापी ढोने वाला, मार्किंग करने वाले तो पब्लिक सर्वेन्ट न माना जाय और जो इन्विजिलेटर हो उसे ही पब्लिक सर्वेन्ट माना जाय । इसमें एक संशोधन है, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उसे मान लेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि इस पर पूरे तौर से गौर करने के लिये माननीय मंत्री जी हमें समय देंगे और हमारे इस प्रस्ताव को जरूरी मान कर इसे प्रवर समिति में भेजना स्वीकार करेंगे ।

श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति का जो संशोधन आया है उसका मैं विरोध करता हूं । मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष जाय । धारायें भी इसमें कुछ अधिक नहीं हैं । इसमें केवल एक ही मंशा है कि जो इन्विजिलेटर या सुपरिन्टेन्डेन्ट हों उनको उस वक्त के लिये पब्लिक सर्वेन्ट मान लिया जाय । इस बात पर सदन विचार कर ही सकता है और इस बात के लिये इसे प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है ।

प्रश्न यह रहता है कि इस विधेयक की परिधि बढ़ायी जाय इसलिये यह प्रवर समिति में जाय । उसकी भी मैं आवश्यकता नहीं समझता इसलिये कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को कह ही चुके हैं कि हम इसके सम्बन्ध में एक विधेयक लाने वाले हैं । यह विधेयक एक सीमित उद्देश्य से लाया गया है । मुझे खेद है कि कल मैं यहां उपस्थित नहीं था और स्वयं माननीय सदस्यों के विचारों को न सुन सका । लेकिन आज सुना और समाचार पत्रों में कल की रिपोर्ट पढ़ी । मैं जानता हूं कि कुछ माननीय साथी हैं जिनको शिक्षा से स्नेह है, जो शिक्षा के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं तथा काम भी करते हैं--अध्यापक रहकर काम करते हों या व्यवस्थापक रह कर काम करते हों । जब कभी प्रश्न आता है शिक्षा का तो यह तो कहा ही जाता है कि शिक्षा पद्धति में खराबी है । सरकार को यह काम करना चाहिये और वह काम करना चाहिये । इस बात पर भी सभी सहमत हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये शिक्षकों का वेतन, प्रतिष्ठा तथा मान्य भी सुधारना चाहिये और शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करना चाहिये । ऐसा मैं सुनता हूं और जब जब इस माननीय सदन में इस बात का प्रश्न आता है तब तब माननीय सदस्य ऐसी बात कहते हैं ।

मुझे इस बात का दुख हुआ कि जब कभी शासन उस तरफ कदम उठाता है तो बजाय इसके कि उसकी सराहना करें, बजाय इसके कि आगे की बात कहें उसमें छिद्रान्वेषण, उसका जो बुरे से बुरा रूप हो सकता है, उसमें जो थोड़ी सी बुराई दिखाई देती है उसको बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है । उदाहरणार्थ यही बात है जहां

तक मुझे जानकारी है शिक्षकों को पिछले तीन, चार साल से इस बात की बहुत परेशानी महसूस होती रही है कि जब वे निरीक्षण का कार्य करते हैं और कुछ उद्दंड विद्यार्थी उनके प्रति अपमान करते हैं, या उनपर हमला करते हैं तो जैसे अन्य सार्वजनिक सरकारी अधिकारियों की शासन की रक्षा कर सकता है, उनकी नहीं हो पाती है। उनको सदा से यह बात महसूस होती रही है कि अगर हम निरीक्षण करने जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं तो यह सार्वजनिक कार्य है, उनका निजी कार्य नहीं है और उसके करने में अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है, कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत में न तो शासन साथी होता है, न कोई और साथी होता है, सिवाय उन धाराओं को छोड़कर जिनमें एक साधारण नागरिक को भी इस बात की सुरक्षा दी गई है कि यदि इस तरीके की कार्यवाही उसके खिलाफ होगी तो पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा चला सकती है उन चीजों को छोड़कर। क्यों कि वह शिक्षक था, निरीक्षण कर रहा था, इस काम के करने में जो सार्वजनिक काम है उसको और किसी तरह की सुरक्षा नहीं थी। एक छोटा सा हमला हो जो काग्नेजिबिल आफेंस में नहीं आता है तो नतीजा यह होता है कि उस शिक्षक को स्वयं उसके खिलाफ अदालत में चाराजोई करनी होगी, शासन का कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि वह शासन का सरकारी कर्मचारी नहीं, मैनेजमेंट भी बहुधा इस बात को कह देता है कि हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं ह, आपका और विद्यार्थी का झगड़ा था यह मुकदमा आप ही लड़िये हमें कोई मतलब नहीं है।

माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं, रोज चर्चा करते हैं कि शिक्षकों को बहुत थोड़ी तनख्वाह मिलती है, गुजारा नहीं चलता है, कोई लड़का हमला कर देता है तो मुकदमा लड़ने के लिये उसको खुद छोड़ दिया जाता है। यह बात थी जो शासन के सामने रही और शिक्षकों की भी यह मांग रही कि इस स्थिति में हमको सहायता मिलनी चाहिये। उनका यह भी कहना रहा है कि जब कभी इस तरह की अवस्था होती है, खतरा होता है तो उन्हें उचित सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। मैं समझता हूं मेरे वे साथी जो अध्यापकों के सम्पर्क में हैं भली-भांति इस बात को जानते हैं कि शिक्षकों की यह मांग बहुत दिन से रही है। केवल मांग नहीं, मैं यह समझता हूं कि पिछले तीन-चार साल से जो स्थिति पैदा हुई उससे शिक्षकों के दिल में एक आशंका भी पैदा हो गई और इनविजिलेशन के काम में जाने में उनको कुछ परेशानी होती है। यद्यपि आज इन-विजिलेशन का काम करने के लिये कुछ थोड़ा-सा पारिश्रमिक मिलने लगा है बावजूद उस पारि-श्रमिक मिलने के और बावजूद इसके कि कुछ आर्थिक सहायता चाहते हैं वे कभी-कभी जाना पसन्द नहीं करते इसलिये कि उनको खतरा रहता है। ऐसी परिस्थिति में यदि शासन और माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को उचित समझें कि शिक्षकों को कुछ सुरक्षा दी जाय, उसके मन में जो एक आशंका पैदा हो गई उसको दूर किया जाय, छात्रों के ऊपर जो इस प्रकार की उद्दण्डता करते हैं यह प्रभाव पड़े कि शिक्षक व्यक्तिगत रूप में नहीं हैं इसके पीछे शासन की शक्ति है, इसके पीछे एक व्यवस्था है, इस तरह का प्रभाव अगर विद्यार्थियों पर पड़े तो क्या बुराई की बात है? क्यों न उस चीज का स्वागत किया जाय और क्यों न उसको जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके कार्यान्वित किया जाय?

एक बात और कही गई इस सदन में आज भी और जैसा कुछ मैंने पढ़ा कल भी, कि यह विधेयक शिक्षकों को संरक्षण देने के लिये तो इतना अधिक नहीं है जितना शायद यह इसलिये है कि उनको पब्लिक सर्वेन्ट की तरह से कुछ काम करने के लिये मजबूर किया जा सके। तर्क यह दिया गया कि यदि ऐसी बात न होती तो या तो दो महीने पहले इस संशोधन को उसी संशोधन विधेयक में ले आते जो पास किया गया या फिर आगे को लाते। इस समय खासकर लाने का यही कारण मालूम होता है, ऐसा विरोधी पक्ष से कहा गया क्योंकि शिक्षकों ने कुछ नोटिस दिया है इसलिये काम को करने के लिये उनको पब्लिक सर्वेन्ट बनाकर मजबूर किया जाय। श्रीमन्, यदि मेरी जानकारी है और मैं निवेदन किया चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी है, तो यह विचार बिलकुल भ्रमात्मक है। यह सही है कि इस तरीके का संशोधन विधेयक जो पिछला विधेयक आया, उस समय भी विचारार्थ था और उस समय भी यह आ सकता था। किन्तु क्यों नहीं आया? इसलिये नहीं कि उस समय इसका मन्शा नहीं था लाने का, बल्कि यह इसलिये नहीं आया कि कानूनी सलाह इस किस्म की मिली कि यदि यह धारा इसमें रख दी

[श्री कैलाशप्रकाश]

जायगी तो इस विधेयक को सम्भव है कि राष्ट्रपति जी के पास भेजना पड़े । क्योंकि इसमें इंडियन पीनल कोड की चर्चा है, और अगर इंडियन पीनल कोड की चर्चा इसमें है तो इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होगी । अब इस छोटी सी धारा के लिये जो विधेयक शिक्षकों की सुरक्षा के लिये आपने पास किया और जिसमें और बहुत-सी चीजें थीं और जिसको पास करने की बहुत जल्दी हो रही थी, उसको रोक कर और समस्त विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये छोड़ देना कुछ उचित नहीं जान पड़ता है । इसलिये इस संशोधन को, इस परिवर्त्तन को उसमें रखना उचित नहीं था और वह नहीं रखा गया ।

एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि यदि मन्शा थी तो जिस रूप में यह विधेयक आज है उसी रूप में उस समय क्यों नहीं रख दिया गया, उसी रूप में उस समय भी रखा जा सकता था पृथक् करके । उसका भी एक कारण है । वह यह कि एक बैठक में एक ही विषय पर एकही अधिनियम के लिये दो विधेयक संशोधित करते हुये लाना अच्छा नहीं लगता, उचित नहीं प्रतीत होता है । इसलिये इसी रूप में इस विधेयक को उस समय रखना मुनासिब नहीं मालूम होता था । यह कारण है ।

एक सदस्य--अभी वही सत्र है।

श्री अधिष्ठाता--(श्री कैलाश प्रकाश से) आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री कैलाशप्रकाश--मैं केवल इतना ही आप के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बात पर जोर दिया गया है कि यह विधेयक इस समय रखा जा रहा है क्योंकि शिक्षकों ने नोटिस दिया, वह मैं निवेदन कर रहा हूं कि भ्रमात्मक है। यह कारण नहीं है कि शिक्षकों ने कोई नोटिस दिया इसलिए यह विधेयक लाया गया है। बल्कि इस समय एक कारण है कि परीक्षा होने वाली है और इन परीक्षाओं से पहले यह पारित हो सके और शिक्षकों को आगामी परीक्षा में इसकी सुविधा मिल जाय तो अच्छा है, यही कारण इसके लाने के हैं। और बहुत-सी कानूनी बातें जो उठायी गयीं उन पर श्री मदन मोहन जी व श्री जगदीश शरण जी ने काफी प्रकाश डाल दिया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। केवल एक बात मैं और कहना चाहता हूं। शासन की और माननीय मन्त्री जी के इस कदम की तो मैं सराहना करता हूं कि शिक्षकों की इस मांग को उन्होंने स्वीकार किया और उनकी मन्शा है कि शीघ्र ही इसको वह बना सकें किन्तु अपने मित्र राय जी की एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि यह एक लाचारी आज शिक्षा मन्त्री जी की है कि उन को इस तरह का विधेयक लाना पड़ा। मौलिक रूप में शिक्षकों और विद्यार्थियों के सम्बन्ध आपस में इस तरह के होने ही चाहिए कि इस बात की कोई आवश्यकता ही न पड़े और पहले इस तरह की उद्दण्डता की बातें हम सुना भी नहीं करते थे, परीक्षायें तो पहले से होती चली आयी हैं और परीक्षाओं के सम्बन्ध में सुपरिन्टेंडेंट्स और इनविजिलेटर्स भी होते चले आये हैं। अभी इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी कि शिक्षकों को इस तरह की सुरक्षा दी जाय। आज यह आवश्यकता उनको (शिक्षकों को) भी महसूस होती है और जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी महसूस होती है इससे इस बात की तरफ तो संकेत है ही कि कुछ स्थिति में परिवर्तन है और मैं स्वयं मानता हूं कि यह एक दुख की बात है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो गयी है। शिक्षकों और छात्रों के सम्बन्ध तो आपस में ऐसे ही होने चाहिये कि वे किसी प्रकार के बल या शक्ति पर आश्रित न हों बल्कि पारस्परिक प्रेम, सम्मान और श्रद्धा पर आश्रित हों।

मैं बहुत इतिहास में जाना नहीं चाहता इस बात के, लेकिन चूंकि इस मान्य सदन म हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं कि जो शिक्षा में अपनी दिलचस्पी रखते हैं और उसकी समस्याओं पर विचार करते रहते हैं। मेरा अपना विचार है कि पहले जो परीक्षायें होती थीं, वे अपने-अपने केन्द्र के परीक्षार्थियों की ही होती थीं या कुछ प्राइवेट विद्यार्थी हो जाते थे और वहीं के, उसी

संस्था के इन्विजिलेटर्स होते थे जहां कि वह केन्द्र होता था। इस कारण से विद्यार्थी और इनविजिलेटर्स आदि के सम्बन्ध अच्छे रहते थे और इस बात की अधिक सम्भावना नहीं होती थी कि आपस में कोई बलप्रयोग हो। परन्तु दुर्भाग्य से इधर कुछ ऐसी शिकायतें पैदा हुईं कि विद्यालय के अध्यापक या सुपरिन्टेंडेंटस् होते हैं तो वे नकल कराने में कुछ सहायता दे देते हैं। शिकायतें आयी होंगी इस तरह की और शायद ऐसा हुआ भी होगा, अच्छे और बुरे सब जगह रहते ही हैं, लेकिन जब इस तरह की शिकायतें बोर्ड के सामने आने लगीं तो बजाय इसके कि वहां कोई ऐसी कार्यवाही होती कि ऐसे विद्यालयों पर नियंत्रण रखते, उन्हें सजा देते या ठीक करते, उन्होंने भिन्न-भिन्न तरह की भिन्न-भिन्न बातें निकालीं और एक तरह से इस बात को निश्चित कर लिया कि अध्यापक वर्ग ठीक नहीं है। ईमानदारी उ में है नहीं। मुझे इस बात का दुःख है। तमाम वर्ग के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाय, यह अच्छी बात नहीं है। एक बार यह किया कि जिस विद्यालय में केन्द्र हो उस विद्यालय के विद्यार्थी उसमें न बैठें, बल्कि उस विद्यालय के विद्यार्थी दूसरे केन्द्र में बैठें और वहां इम्तहान हो। उसमें असुविधा हुई, बोर्ड ने उसको बन्द कर दिया। एक दफा फिर यह किया कि जिस विद्यालय में परीक्षा हो रही है, केन्द्र है और वहां के विद्यार्थी वहां बैठते हैं तो वहां के अध्यापक वहां इनविजिलेटर्स न हों, सुपरिन्टेंडेंट्स न हों, दूसरे विद्यालय के आकर सुपरिन्टेंडेंट बन जायं। वह भी बदला, उसमें भी सुविधा नहीं मालूम हुई। शिकायतें आती रहीं और बढ़ती रहीं। अब कुछ ऐसा किया कि विद्यार्थी तो वहीं रहें कन्द्र पर और कुछ अध्यापक इनविजिलेटर्स की हैसियत से उसके भी हों, लेकिन कुछ इनविजिलेटर्स बाहर के अवश्य होने चाहिए जो बाहर से आवें जिससे कि वह देखते रहें। तो इसमें मौलिक रूप से वह जो सम्बन्ध, शिक्षक का और विद्यार्थी का हम कल्पना करते हैं, वह टूट जाता है। इस तरह की व्यवस्था करने से छात्र के ऊपर और छात्र समुदाय के ऊपर एक इस तरह का प्रभाव होता है कि इनविजिलेटर्स चीज दूसरी है। और मेरा अपना खयाल है कि क्योंकि यह व्यवस्था है इसलिए परीक्षा के समय यह हमला करने की बात अधिक होती है। मेरा अपना ऐसा विचार है कि यदि उसी विद्यालय के विद्यार्थी हों और अध्यापक हों और शिक्षक हों तो चूंकि उनका सम्पर्क इतने दिन से रहता है इसलिए उन्हें हमला करने में और बल प्रयोग करने में संकोच होगा, दिक्कत होगी और इस तरीके की चीजें अधिक हम नहीं सुन सकेंगे।

मैं समझता हूं सरकार का यह कदम बहुत सही है और शासन को यह कदम लेना ही चाहिए, जिसका कारण मैं बता चुका हूं, लेकिन मूल रूप में यदि इस समस्या को आंशिक रूप में भी ठीक करना है तो पुनः हमें उस ओर आना चाहिए कि शिक्षक और विद्यार्थी के आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सम्बन्ध स्नेह और श्रद्धा पर आश्रित हों। हम यह देख चुके कि नकल रोकने के लिए जितने उपचार किये गये हैं, बोर्ड की तरफ से, उनसे कोई सुधार नहीं हुआ, शिकायतें बढ़ती ही गयीं। जब इन भिन्न उपायों से भी कोई उपचार नहीं हुआ तो फिर क्यों न मौलिक ढंग ही अपनाया जाय। इसमें अध्यापकों का मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन सब के प्रति जो आज अविश्वास की सी बात है चाहे कोई करता हो, या न करता हो वह कुछ उचित नहीं है। एक तरफ जब हम इस बात को चाहते हैं कि शिक्षकों का मान और प्रतिष्ठा बढ़े और दूसरी तरफ कानून के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर देते हैं छात्र समुदाय पर कि तुम्हारे शिक्षक इतने ईमानदार नहीं समझे जाते हैं कि वह तुम्हारे इनविजिलेटर्स भी हो सकें, तो बात असंगत हो जाती है। जो चाहते हैं कि शिक्षकों की मान प्रतिष्ठा बढ़े उनको इस प्रकार का प्रयत्न करना है कि इस व्यवस्था को बदला जाय। मैं जानता हूं इस बात को कि इसमें बड़ा उत्तरदायित्व शिक्षकों का भी है और बुनियादी तरीके से उन्हें इस चीज को देखना ही चाहिए, क्योंकि यह तो उनके वर्ग पर एक तरीके से लांछन आता है।

मैं अक्सर देखता हूं कि हम ने प्रजातंत्र तो स्थापित कर दिया और प्रजातंत्र स्थापित करने के बाद कुछ स्थानीय निकायों की हालत, स्कूल की कमेटियों की हालत, कोआपरेटिव सोसाइटियों की हालत जब देखी जाती है और उनके खिलाफ जो शिकायत पर शिकायत आती रहती है तो इस बात की लाचारी महसूस होती है कि उनके ऊपर नियंत्रण करें। उन पर

[श्री कैलाश प्रकाश]

पाबन्दियां लग जाती हैं। मुझे इस बात की उत्सुकता हुई कि जिन और देशों में प्रजातन्त्र प्रणाली चल रही है, जैसे इंग्लैन्ड में, वहां वे किस तरीके से इन चीजों को रोकते हैं। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहाता हूं कि शुरू-शुरू में जब ये छोटी-छोटी संस्थायें इंग्लैन्ड जैसे देश में बनी थीं तो जो दोष हमारे यहां प्रतीत होते हैं उनसे कहीं अधिक दोष स्थानीय निकायों में उनके यहां भी थे। उन्होंने उसका उपचार अधिक नियंत्रण से नहीं किया, बल्कि इस प्रकार किया कि यदि शिक्षकों के सम्बन्ध में कोई चीज थी तो बजाय इसके कि ऊपर से कानून बना कर उसको ठीक किया जाय, शिक्षकों के जो अपने एसोसियेशन्स थे उन्होंने इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया कि जो हमारे लोग काम करते हैं और अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते उनको हम इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयत्न करें।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जहां तक यह इनविजिलेशन की बात आयी है उसमें जो हमारे शिक्षकों की संस्था है उसे भी इस बात पर विचार करना चाहिए क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि नकल होती है, अगर नकल न होती तो बोर्ड को इस तरीके के काम नहीं करने पड़ते। तो जो थोड़ी सी तादाद है ऐसा काम करने वालों की, उन को किस तरीके से रोका जाय, बजाय इसके कि सब के ऊपर वह लांछन लगाया जाय और इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। यह दायित्व शिक्षक समुदाय का है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी उस रोज जब इस प्रकार की परिस्थिति और वातावरण नहीं होगा कि कोई विधेयक ऐसा, जैसा कि आज हमारे समक्ष है, शासन को पारित करने की आवश्यकता महसूस हो। श्रीमन्, इससे अधिक मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है क्योंकि मैं सीमित करना चाहता हूं अपने आप को इसी विधेयक की परिधि से।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--बड़ी व्यापक परिधि है, आप कहिये।

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं, मुझे कोई इस बात की इच्छा नहीं है। अब आप करीब रहते हैं तो आप से कुछ बातें सीख लूंगा।

श्रीमन्, यहां एक वेतन सम्बन्धी बात कही गयी। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी भी पहले कह चुके हैं और आज सबेरे के उत्तर में भी मन्त्रीजी ने कहा कि ३ बजे बजट आने वाला है। उससे कुछ संकेत हम को यह मिलता है कि इस सम्बन्ध में बजट से कुछ जानेंगे। इसलिए इस पर कुछ विचार व्यक्त करना तो व्यर्थ में माननीय सदन का समय लेना होगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--श्रीमन्, सदन के समक्ष जो विधेयक प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में हमारे समक्ष जो विचार व्यक्त किये गये और अभी हमारे पहले के उपमंत्री, शिक्षा विभाग ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उन्हें मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा और सोचता रहा कि आखिर कहा क्या जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भी कोई संशोधन विधेयक आयेगा इसकी मुझे तो कम से कम कल्पना नहीं थी। कहा जा रहा है कि साधारण नागरिकों से अधिक अधिकार देने की मंशा से यह विधेयक लाया गया है। इसी बात पर अगर हम गहराई में सोचें तो हमारे समझने में दिक्कत नहीं होगी कि इसके प्रस्तुत करने वाले की मंशा क्या है। एक ऐसे राज्य में जिसे लोकहितकारी राज्य कहते हैं, प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर जिसकी रचना हुई है, उसमें साधारण नागरिकों से अधिक सुरक्षा हो सरकारी नौकरों की, इस बात को मानकर यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि इससे प्रजातन्त्र राज्य का घोर अपमान होता है। प्रजातन्त्र की बुनियाद जनता की भलाई और उसके हितों की रक्षा के लिए होती है। इससे तो उसके मूल सिद्धान्त पर ही कुठाराघात होता है, क्योंकि यह विधेयक ऐसा मानता है कि हमारे देश में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें साधारण नागरिकों से अधिक अधिकार प्राप्त हों।

श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि सरकारी अधिकारियों को विशेष अधिकार उस परिस्थिति में दिये गये थे जिस समय हमारे देश में विदेशी लोग राज्य कर रहे थे और उस समय जो देश की लूट हो रही थी उसको कायम रखने के लिए अपने पिट्ठुओं को या अपने अधिकारियों के हाथ और मजबूत करने के लिए जो हमारे देश को तबाह कर रहे थे, यह अधिकार दिये गये थे। आज भी उसी सिद्धान्त को माना जाता है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा हो। यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है। कहां तो चाहिए यह था कि हम इस कलंक को धोने की चेष्टा करते उल्टे हम ऐसे लोगों को जिनको एक विशेष स्थान प्राप्त है उनको भी आप चाहते हैं कि विवश हो कर इस पाप में हाथ डालने पड़ें। आप चाहते क्या हैं ? क्या आप गुरु शिष्य के सम्बन्ध को तोड़कर उनके स्थान में दरोगा और कांस्टेबिल का सम्बन्ध लाना चाहते हैं। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आप के द्वारा कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कोई संशोधन लाया जायगा जिससे गुरु शिष्य का सम्बन्ध बिगड़ जायगा।

अगर आप की नीयत साफ है और आप साफ समझते हैं कि वहां कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण गुरुजनों का जीवन संकट में है तो मूल कारण को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए थी। बजाय इसके कि आप मूल कारण को समझने की कोशिश करते और मैं समझता हूं कि आप समझते हैं, लेकिन मेरा अपना खयाल है कि आप ने एक ऐसा रास्ता पकड़ा है जिसमें यह सब . . . .

श्री अधिष्ठाता--मैं कोई रास्ता नहीं पकड़ना चाहता हूं।

श्री रामायणराय--श्रीमन्, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं और मैं मन्त्री जी को रिफर कर रहा था कि जो विधेयक वह सदन में लाये हैं उसमें कोई नयी चीज नहीं थी। इसके पहले जो कदम उठाया जा चुका है वह और मजबूत बन जाय इसके लिए यहां यह विधेयक लाया गया है। धीरे-धीरे सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक अपना हाथ डालना चाहती है और अधिक से अधिक रेजिमेंटेशन शिक्षा के क्षेत्र में आये इस भावना को बल देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैंने पहले भी जब इसका प्रयास किया गया था तो संकेत किया था और आज भी दुहरा रहा हूं कि सरकार में यह साहस नहीं है कि वह सीधे सादे कहे कि हम मुल्क में तानाशाही चाहते हैं, अफसरशाही चाहते हैं। अप्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार देश में ऐसी व्यवस्था लादना चाहती है जो सधारण नागरिकों को अधिकारियों के हाथ का खिलौना बना दे और इसका अनुभव हम विधेयकों की शक्ल में करते रहे हैं। अगर शिक्षा मन्त्री जी की नीयत साफ है और वह गुरुजनों को सुरक्षा देना चाहते हैं तो अरक्षा का जो मूल कारण है उस पर विचार करें। वह है शिक्षा और परीक्षा पद्धति का दोष। उसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। आज विद्यार्थी नकल क्यों करता है झगड़ा क्यों होता है, इसकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों और अध्यापकों पर बिलकुल नहीं है। आज जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हमने कर रखी है उसका लाजमी नतीजा यह है कि विद्यार्थी ऐसा करते हैं। कहा यह गया कि भारतीय दण्ड विधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए हमें यह विशेष अधिकार देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की काफी व्यवस्था है। ऐसा लगता है कि इस बिल की धाराओं से संविधान की सीमाओं का भी अतिक्रमण होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस पर गहराई से सोचा जाय। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लक्ष्य से दूर ले जाने की इसकी चेष्टा हो रही है और कोई कारण नहीं कि मोतीलाल जी ने कहा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। कहा जायगा कि बहुत मासूम सी बात है। मासूम और छोटी सी बात कैसे है ? बहुत बड़ी बात है।

हमारे देश में जो एक परम्परा चली जाती थी, शिक्षा जगत में जो एक स्वस्थ वातावरण था उसको यह प्राविधान बदल देगा। इसलिए इस पर जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इत्मीनान से इस बात पर बैठ कर सोचें। आखिर किस तरह से अध्यापकों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको भी दूर कर सकते हैं।

[श्री रामायण राय]

अभी संकेत मिला कि दूसरे प्रजातांत्रिक देशों में भी, जैसे इंग्लैन्ड का हवाला दिया, एसे सवाल आये। मैं भी अर्ज करना चाहता हूं कि मैं एक किताब पढ़ रहा था कि जब इंग्लैन्ड में डेमोक्रैसी का शुरू का स्टेज था वहां भी इस तरह की व्यवस्था आयी। लेकिन वहां अनुशासन बनाये रखने के लिए कानून के शिकंजे में नागरिकों को बांधने की कोशिश नहीं की गयी बल्कि उनको अधिकाधिक अधिकार दिये गये और सुरक्षा प्रदान की गयी। तब वहां पर जनतन्त्र विकसित हो सका। ठीक उसी तरह से हमको भी ऐसा करना चाहिए, तब हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। हमारी ओर से यह संकेत किया गया कि अध्यापकों की तरफ से एक मांग पत्र आया है और उसमें कहा गया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो फिर हम परीक्षा कार्यों से अपने को अलग रखेंगे तो यह संदेह गलत नहीं है। यहां नीति का प्रश्न नहीं है। इसका सीधा-सीधा नतीजा यह निकलता है कि अगर यह बिल पास हो गया तो अध्यापकों ने अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो एक नया अस्त्र ढूंढा था, वह अस्त्र उनका बेकार हो जायगा। मैं भी इस राय का हूं। इस बिल को लाने का एक ही मंशा है कि जो अध्यापक अपनी कठिनाइयों के लिए विवश होकर लड़ाई लड़ने की बात सोच रहे हैं उस लड़ाई को वह ठीक ढंग से न चला सकें।

(इस समय २ बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

यह मेरी समझ में एक बड़ा उपबन्ध है कि आगे जो संकट आने वाला है, जिस संकट से माननीय शिक्षा मन्त्री अवगत हैं, उससे अपने को बचाने के लिए और अध्यापकों के मन में भय और संशय उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार का बिल हमारे समक्ष सरकार ला रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी अगर केवल इतना ही चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले तो उन्हें कम से कम जब इस सदन में इस बात की चर्चा हो गयी और सदन के कुछ सदस्यों ने जब अपना यह सन्देह जाहिर कर दिया कि वे अध्यापकों की लड़ाई से घबड़ा कर बिल लाये हैं तब उन्हें इसे सोच समझ कर लाना चाहिए। कम से कम उन्होंने स्वयं कितनी बार स्वीकार किया है कि उनकी मांगों में कितना बल है। मैं आपके द्वारा उनसे आग्रह करूंगा कि खूब सोच समझ लें, नहीं तो उनके ऊपर बड़ा भारी कलंक लगेगा। मैं उनके व्यक्तिगत बात की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक उनकी बात है। उनसे हम लोग आशा रखते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विद्या मन्दिर में शिक्षा पायी है जिसका मूल आधार स्वाधीनता था और जिसके विधान में यह व्यवस्था की गयी थी कि सरकार का किसी प्रकार का नियन्त्रण शिक्षा संस्थाओं पर नहीं होना चाहिए। फिर उनके द्वारा बराबर इस बात की चेष्टा की जा रही है कि शिक्षकों को कुछ कानून के द्वारा अधिकार दें। यह मुझे कुछ उचित नहीं मालूम हो रहा है।

इसलिए श्रीमन्, अन्त में मैं पुनः आप के द्वारा उनसे आग्रह कर रहा हूं कि हम लोगों का जो प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसमें हम बैठकर ठंढे दिल से इसके अन्तर्गत जो मूल प्रश्न हैं उन पर विशद दृष्टि रख कर विचार करें और उस के बाद जो नतीजा निकले उस पर गौर किया जाय। इसको वह स्वीकार कर लें, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का, शिक्षकों का और विद्यार्थियों का भी भला होगा और वह ऐसा ही चाहेंगे, यह मैं समझता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मैं भी प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विवाद समाप्त किया जाय।

(श्री राजनारायण के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--राजनारायण जी, क्या आप इसका विरोध करना चाहते हैं?

श्री राजनारायण--मैं तो बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छा तो श्री राजनारायण जी का एक भाषण हो जाने दीजिये।

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---श्रीमन्, अच्छा हो कि आप कोई समय बांध दीजिये कि वे इतने समय तक बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---वे खुद समझदार हैं। विधेयकों में समय की पाबन्दी नहीं हो सकती।

श्री राजनारायण---मुझे इस बात की खुशी है कि श्रीमन् आपसे उन्होंने निवेदन किया। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर उपाध्यक्ष जी की सम्मति लेकर कार्यक्रम निर्धारित किया करें तो जो बहुत समय नष्ट होता है वह बच जाय। मगर जब सरकार फंसती है तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से निवेदन करेगी, लेकिन जब नहीं फंसती तब डांट बताना चाहती है।

खैर, आज मैं बोलने के लिये खड़ा नहीं होता, मगर श्रीमन् आज जब शिक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं और उनका विधेयक है तो हमने सोचा कि बातें जो अब तक उनकी अनुपस्थिति में हुईं उनका लुब्बे लुवाब उनके सामने पेश कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष---संक्षेप में ही कहियेगा।

श्री राजनारायण---जी हां। एक बात तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जरा विधेयक का उद्देश्य और कारण है उसको वह सही मानों में ठीक-ठीक तरीके से पढ़ने की कृपा करें।

दूसरा निवेदन यह करूंगा कि अब तक शायद उनको इस बात की सूचना मिल चुकी होगी कि इंडियन पेनल कोड के जिस सेक्शन के मुताबिक वे इसको पब्लिक सर्वेन्ट करार देने की कोशिश करने जा रहे हैं वह सेक्शन स्वयं सरकार के रास्ते में बाधक बन जायगा, सहायक नहीं होगा। और श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री की जानकारी के लिये इंडियन पेनल कोड की धारा २१ का सारांश कह दूं। अभी तक जो सरकार को सहायता देने वाले सज्जन बोले हैं उन्होंने जो इस धारा का भाष्य किया है वह गलत किया है। उसके किसी मायने में यह नहीं कहा जा सकता कि जो यह इन्वेजिलेटर या सुपरिन्टेंडेंट होंगे वह पब्लिक सर्वेन्ट हो सकते हैं। अगर इस तरह से सरकार पब्लिक सर्वेन्ट बनाने लगे तो जितने नागरिक हैं वे सब पब्लिक सर्वेन्ट करार दिये जा सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करें कि यह जो इस विधेयक के द्वारा इन इन्वेजिलेटर और सुपरिन्टेन्डेन्ट को परीक्षाओं को लेते समय पब्लिक सर्वेन्ट बनाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह विधेयक कोर्ट में जाकर चैलेञ्ज किया जाय और फिर उनको सदन में आना पड़े और राज्य को ा के धन का दुरुपयोग हो। मेरा निश्चित मत है कि यदि यह विधेयक चैलेञ्ज हो जायगा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी की हार होगी। इसमें सरकार की बदनामी होगी और इसके साथ इस सदन के सदस्यों की भी बुराई है कि उन्होंने सदन में जाकर पूरा विचार इस पर नहीं किया। मैं चाहता हूं कि वह इसको पढ़ें और इस समय इसको पास करने का प्रयत्न न करें। मैं जानता हूं कि उनकी संख्या बहुत है अगर वह इस तरह से इसको पास करा लगे और इसी प्रकार से इसको पास करा लेने की हठवादिता का परिचय देंगे तो वह तरीका अनडेमोक्रेटिक होगा। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसकी गम्भीरता को महसूस करें और अपने एडवोकेट जनरल से भी इस विषय में सम्मति ले लें। यदि उन्होंने इसमें राय ले ली है तो यह बात दूसरी है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने राय नहीं ली है। अगर वह सम्मति लेते तो कम से कम, मैं समझता हूं, कि इस तरीके से वह विधेयक न लाते। अब भी अगर राय लेंगे तो इस तरह का विधेयक नहीं लायेंगे और इसको दूसरे तरीके से लाने की बात होगी।

अब आप यह देखें कि १३ तारीख आज है और अभी यह विधेयक विधान परिषद् में जायगा और फिर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति इस पर आयेगी। तब जाकर यह कानून बनेगा। आप एक महीने पहले से इसमें इन्वेजिलेटर और सुपरिंटेंडेंट का प्रबन्ध करना चाहते

[श्री राजनारायण]

हैं । तो एक महीना तो इसमें ही कम से कम लग जायगा । हमारे अवस्थी जी शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानकारी रखते हैं उन्होंने बताया कि १६ तारीख से ये परीक्षाएँ होने जा रही हैं । तो फिर सरकार कैसे एक महीना पहले इसकी व्यवस्था कर पायेगी ? इसको आप हिसाब लगा कर देख लें कि इसमें और कितने समय की जरूरत होगी ।

श्रीमन्, हमारे मित्र ने जो कानून की मर्यादा पर भाषण किया है वह उनकी बगल में बैठे हुए हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस धारा को फिर एक बार पढ़ने की कृपा करें । उन्होंने जो पहले इसका भाष्य किया है वह गलत भाष्य किया है । मुझे इसमें अधिक समय नहीं लेना है, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा है कि मैं कम समय लूं । संकेत में अपनी बात कहते हुए मैं खंड ९ पढ़ देना चाहता हूं । वह इस प्रकार है :

"Every officer whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property on behalf of (the Government), or to make any survey, assessment or contract on behalf of (the Government), or to execute any revenue process, or to investigate, or to report, on any matter affecting the pecuniary interests of (the Government), or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interests of (the Government), or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interests of (the Government) and every officer in the service or pay of (the Government) or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty ;"

अब मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस भाषा को सामने रखते हुए क्या कोई सद्बुद्धि वाला वकील या कोई पढ़ा लिखा अंग्रेजी में जानकारी रखने वाला आदमी यह कह सकता है कि इस धारा के अन्दर जो यह व्यवस्था की गयी है कि इंडियन पेनल कोड की धारा २१ के मातहत हम उसको पब्लिक सर्वेन्ट करार दे दें, यह हो सकता है । मैं समझता हूं कि हर एक साधु सम्मति का व्यक्ति कहेगा कि इसधारा के अन्दर इंविजीलेटर्स और सुपरिंटेंडेंट्स को पब्लिक सर्वेन्ट करार नहीं दिया जा सकता । इसमें साफ लिखा है कि जो सरकार के व्यक्ति होंगे, उसके लाभ से सम्बन्धित होंगे, ऐसे कामों को करने वालों को वह पब्लिक सर्वेन्ट मानेंगे, लेकिन जैसा देवीप्रसाद जी ने कहा था, यह प्राइवेट संस्थायें हैं, विद्यार्थियों की फीस से चलती हैं, उसमें सरकार के लाभ या उसके धन का सवाल कहां से पैदा होता है और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षा सम्बन्धी ऐसे विधेयक यहां ला देते हैं कि जिनसे व्यर्थ ही सदन का समय नष्ट होता है और इससे कोई लाभ न होगा ।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन कर दूं । इसके उद्देश्य और कारण को आप देखें । यदि माननीय कमलापति जी इसको स्थगित करने के लिये तैयार हों, आप उनसे पूछ लें, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं । यदि वे बीच में ही कह दें तो ठीक । श्रीमन्, मैं भी परीक्षार्थी रहा हूं और जितने सम्मानित सदस्य यहां हैं उन सबको केवल राजबिहारीसिंह जी को छोड़ कर, परीक्षार्थी रहने का अवसर मिला है । क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे किसी स्कूल कालेज में नहीं पढ़े हैं । मैं तो समझ ही नहीं सकता कि नकल कैसे हो सकती है । आजकल यह क्यों हो रहा है इसके मूल कारणों को जानने की आवश्यकता है और यदि हम इसके मूल कारणों में जायं तो उस सिलसिले में मैं दो एक बातें निवेदन करूंगा । यह देखा जाय कि जो सिलेबस होता है उसके अनुसार किसी कक्षा को पास करने के बाद क्या विद्यार्थी अपने जीवन निर्वाह के योग्य हो पाता है ? नहीं हो पाता । जो पुरानी अंग्रेजी नौकरशाही का तरीका था कि वह सबट्स क्रियेट करे अपनी साम्राज्यशाही की सुरक्षा के लिये वही शिक्षा प्रणाली आज भी चल रही है । मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने तनिक भी प्रयत्न किया है शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की ओर ताकि आज के समय की कसौटी पर परीक्षार्थी खरे उतर सकें और परीक्षा देने के बाद अगर आवश्यकता महसूस हो तो अपना जीवन

निर्वाह कर सकें ? तो मैं चाहूंगा कि जो परीक्षा के समय कुछ खुराफात हो जाया करती है और उसको रोकने का जो मंशा सरकार का है उसके लिये उसको चाहिये कि वह पहले सिलेबस में परिवर्तन करें। और इस ढंग का परिवर्तन करें कि एक साधारण शिक्षा की व्यवस्था भी हो, विद्यार्थियों को उनके जीवन निर्वाह की सामग्री भी मिल पाये जिससे वे खुद जीवन निर्वाह के साधन तैयार कर पावें परीक्षा देने के बाद। पहले मूल परिवर्तन शिक्षा की प्रणाली में होना चाहिये। शिक्षा भी मिले, भाषा का ज्ञान हो, इतिहास का ज्ञान हो, जनरल नालेज भी हो और कमाने की भी व्यवस्था हो।

हमारे जमाने में एक वांचू साहब इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स थे। उस समय जब हम पहले दूसरे दर्जे में पढ़ते थे तो हमको चटाई बनाने की शिक्षा दी जाती थी। तो जब वे इन्सपेक्शन करने आते थे तो हमें भेज दिया जाता था कि ताड़ के पत्ते तोड़ कर लाओ और उनसे हम चटाई खांची वगैरह बनाते थे। हमारे महात्मा गांधी जी भी इस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे कि इतिहास और भूगोल का भी ज्ञान हो और साथ ही साथ कुछ हुनर भी सिखाया जाय जिससे कि विद्यार्थी अपने जीवन निर्वाह का साधन तैयार कर सकें.....

श्री उपाध्यक्ष--मेरा खयाल है कि उसी समय से आपका दिमाग कान्स्ट्रक्टिव हो गया है।

श्री राजनारायण--कान्सट्रक्शन और डेस्ट्रक्शन, यह दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। अगर साम्राज्यशाही के विध्वंसकारी महात्मा गांधी न हुए होते तो यहां आज यह जनतन्त्र की प्रणाली न आती और आज यहां पर जो सरकार की प्रणाली चल रही है उसका अगर हम विध्वंस न करें तो हम यहां पर समाजवाद का निर्माण नहीं कर सकते। तो एक के खंडहर पर दूसरे भवन का निर्माण होता है, इसको माननीय कमलापति जी भी जानते होंगे, इसको मैं अच्छी तरह से समझता हूं।

अब मैं दूसरी बात माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा हूं कि आज परीक्षा के समय जो खुराफात हो रही है, जिसको रोकने की व्यवस्था माननीय शिक्षा मंत्री जी करना चाहते हैं उसमें से अगर अंग्रेजी भाषा को वे निकलवा दें तो अपने आप व्यवस्था हो जायेगी। इस खुराफात की बुनियाद यह अंग्रेजी भाषा ही है। अवस्थी जी का प्रस्ताव आया, दूसरे सदस्यों की ओर से भी प्रस्ताव आये कि हमारी गुलामी का प्रतीक विदेशी अंग्रेजी भाषा ही है, वह हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाई जाय। इस भाषा को सरकार ८वें, ९वें, ११वें और १२वें दर्जे से भी नहीं निकाल पायी। यह आज एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी का जो कि अनिवाय स्वरूप है उसे निकालें तो परीक्षाओं के समय जो गड़बड़ी हो रही है वह अपने आप खत्म हो जाय।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में जो कोई सम्मानित शिक्षक हों मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस पर रंज न करें--कि जहां तक मेरी जानकारी है शिक्षक लोग अपने विद्यार्थियों को साल के अन्त तक पूरी पढ़ाई नहीं करा पाते क्योंकि कोर्स की किताबें खत्म नहीं हो पातीं। फिर जब परीक्षा सिर पर आ जाती है और किताब खत्म नहीं हो पायी क्योंकि बड़ा व्यापक कार्यक्रम विद्यार्थियों के सामने रख दिया जाता है और वह उस काल तक समाप्त नहीं हो पाता और उसमें से प्रश्न तैयार किये जायं तो विद्यार्थियों में एक टीस उठती है कि पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था है कि जो अध्याय पढ़ा नहीं, जो विषय पढ़ा नहीं उनमें से क्यों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर हम कैसे दें। यही आज हो रहा है और बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है और यही कारण है कि पर्चे आउट होते हैं और जब पर्चे आउट हो जाते हैं, सम्भव है मंत्री महोदय के यहां से आउट हो जायं या मंत्री महोदय के कोई कृपालु आउट कर दें या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के कोई कृपालु आउट कर लें तो इसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है, अध्यापकों का क्या दोष है, जनता का क्या दोष है। इसकी क्या व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक कानून से दंड देने की व्यवस्था अगर सरकार अपने हाथ में ले भी ले तो उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

[श्री राजनारायण]

अब मैं चौथी बात कहना चाहूंगा। कहा जाता है कि आज अधिक संख्या में स्कूल खुल रहे हैं। मुझे मौका मिल गया और मैं चकिया चन्दौली में गया। वहां ऐसे बहुत से स्कूल देखने को मिले जहां विद्यार्थियों के बैठने के लिये टाट नहीं, स्कूलों की छत नहीं, दरवाजे नहीं, कहीं कहीं दीवाल ही बैठी हुई थीं और छतों में जानवर लटके हुए थे ताकि यदि रात में कोई विद्यार्थी वहां चला जावे तो वे काट कर उसका जीवन ही समाप्त कर दें। जब हम पढ़ते थे तो एक मास्टर के लिये २५, ३० विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित थी मगर आज ५०, ६० विद्यार्थी तक एक अध्यापक को पढ़ाने पड़ रहे हैं। आज सरकार अध्यापकों को निरीक्षकों का रूप देकर उनके सम्मान की रक्षा की बात करती है!

पांचवीं बात छुट्टियों की है। जब हम लोग पढ़ते थे तब की और आज की व्यवस्था में क्या अन्तर है? हम लोगों के समय में त्योहार होते थे और खास-खास राष्ट्रीय पर्वों पर छुट्टियां हो जाया करती थीं। अब हर मंत्री के दौरे के लिये विद्यार्थी परेड के लिये तैयार किये जाते हैं, उसके लिये छुट्टी है, कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जावेंगे तो छुट्टी है और कांग्रेस का कोई जलसा स्कूल में होगा तो छुट्टी है। समाचार-पत्रों के लोग हमारी तरफ ताक रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि जरा इन बातों को उठावें। आज विद्यार्थी और अध्यापक परेशान हैं। चुनाव के समय उनकी यह परेशानी और भी बढ़ती है क्योंकि मंत्रियों की मीटिंगों को सफल बनाने के लिये विद्यार्थियों को दौड़ाना पड़ता है। जनता इनकी मीटिंगों में नहीं आती है, विद्यार्थियों को लेकर वहां भेज दिया जाता है। इसके साक्षी मैं माननीय राजबिहारी सिंह और माननीय कमलापति जी को बनाऊंगा। वे बतावें कि क्या ऐसा नहीं है कि मंत्रियों की मीटिंगों को सफल बनाने के लिये शिक्षा संस्थाओं को बन्द किया गया है?

छठी बात शिक्षा के कोर्स की है। हमारे समय में यह होता था कि जिस किताब को हमारे बड़े भाई ने पढ़ा, उसी को हम पढ़ें, हमारा छोटा भाई पढ़ा और उसी को दूसरे मांगने-वाले साथी भी पढ़ें। मगर अब हर साल या हर दूसरे साल किताबें बदल दी जाती हैं। क्या इतनी विद्यायें नित्यप्रति प्रकाशित हो रही हैं या शिक्षा विभाग की जानकारी में आ रही हैं कि किताबों को हर साल बदलना जरूरी हो जाता है? एक नयी लिपि प्रणाली चली थी जिसमें आधी टांग इधर और आधी उधर रखी गयी थी। वह किसी की समझ में नहीं आयी। कुछ समय तक तो अध्यापक उसे सीखे लेकिन उसके बाद फिर वही पहली चीज जारी करनी पड़ी है। राजकोष का जो पैसा उसमें लगा, और जो मेहनत जाया हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या शिक्षा विभाग के जिम्मे वह नहीं आना चाहिये? आज परीक्षाओं के समय विद्यार्थियों के अन्दर बेचैनी की जिम्मेदारी मंत्री जी और उनके शिक्षा विभाग की है। उसमें वह नहीं जाना चाहते हैं और कानूनी हथकंडे अपना कर विद्यार्थियों को सजा देकर उन्हें दबाना चाहते हैं। तो सुरक्षा कैसे होगी? माननीय कैलाशप्रकाश जी यहां से चले गये हैं। कुछ बातों को तो उन्होंने नये रूप में रखने की कृपा यहां की थी। मगर मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस विधेयक में अध्यापक का नाम कहां है? पहले दिन इस विधेयक पर विवाद के समय माननीय कमलापति जी नहीं थे लेकिन आज हैं, तो वही हमको बतला दें कि क्या अध्यापक ही निरीक्षक होगा, दूसरा कोई जो अध्यापक नहीं है वह नहीं हो सकता, यह मूल प्रश्न है। बार-बार यह दुहाई देना कि अध्यापकों की ओर से मांग आयी थी, यह एक हव्वा खड़ा कर दिया गया है ताकि कोई बोले तो उसके लिये यह कहा जा सके कि इसके दिमाग में अध्यापकों की सुरक्षा का सवाल नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है निरीक्षक, अध्यापक और गैर अध्यापक भी हो सकते हैं और होते हैं। इसमें है कि---

"Invigilator means a person who assists the Superintendent of a centre in conducting and supervising the examinations at the centre."

तो इन विजीलेटर वही माना जायगा जो सुपरिन्टेंडेंट को सहायता प्रदान करे उस स्थान पर जहां परीक्षा होती है। जैसा देवी प्रसाद जी ने कहा था, स्कूल का चपरासी कापी ले जाने-

वाला, पानी पिलाने वाला भी सहायता करता है जो परीक्षा के समय पानी पिलाता है। ये सभी होते हैं, तो बार-बार अध्यापक के नाम की दुहाई क्यों? यह बुद्धिमत्ता है या बुद्धिहत्ता?

बोर्ड पर भी कोई जिम्मेदारी है? क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलावेंगे कि जो उन्होंने बड़े-बड़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों से बोर्ड गठित कर रखा है उसकी भी कोई जिम्मेदारी है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक कृपापात्र स्कूल है वाराणसी जिले के दक्षिणी हिस्से में। वहां विद्यार्थियों से फीस ले ली गयी कि तुमको खेती पढ़ाई जावेगी मगर बोर्ड से उसकी स्वीकृति नहीं मिली थी। मंत्री जी के कुछ कृपापात्र लाड़ले उस संस्था से सम्बन्धित थे। उन्होंने कहा कि चलो, पढ़ाओ मगर जब विद्यार्थी परीक्षा में बैठ चुके तो बोर्ड ने उनका नतीजा आउट नहीं किया और कहा कि हमने खेती की पढ़ाई की स्वीकृति ही नहीं दी। जिसने यह व्यवस्था वहां की वह उसकी जिम्मेदारी ले। मैंने लगातार फोन किये कि विद्यार्थियों का क्या कसूर है। अगर इस तरह के काम होंगे तो क्या नतीजा होगा? माननीय देवी प्रसाद जी ने बताया कि ७५० लड़कों की जगह में बोर्ड ने कहा कि १,००० का इन्तजाम करो, उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि वहां रस्साकशी हो और विद्यार्थी नकल करें। तो क्या इसे यह दण्ड देने की व्यवस्था रोक पावेगी? राधाकृष्णन् कमेटी की रपट में है कि चरित्र कसे ढंग का होना चाहिये, मगर उस ओर कोई ध्यान शिक्षा विभाग का नहीं है। जैसा पहले सप्लाई विभाग के लिये कहा जाता था वही आज शिक्षा विभाग के लिये कहा जाता है कि इसमें इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि कहने की बात नहीं। अभी-अभी मैं आपको बतलाऊंगा वाराणसी में सकलडीहा, धानापुर, सैयदराजा आदि स्कूलों को आप ले लें। अपने आदमियों को कानून के मातहत हटाया गया तो बात और होगी दोनों कमेटियों को बैठा कर फैसला कर लिया जायगा लेकिन अगर दूसरे की बात होगी तो अंकुश जायगा कि ऐसा ही करना होगा। मैं माननीय कमलापति जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वे चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में विद्यार्थी समुचित रूप में पठनपाठन करते हुए अपना-अपना पाठ्यक्रम जारी रखें तो अपने दृष्टिकोण और सरकार की प्रणाली में वे परिवर्तन करें और हमारी ओर से नियमों की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये जो सुझाव रखे जा रहे हैं, उन पर वे ध्यान दें।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, श्री राजनारायण सिंह जी के गंभीर भाषण के बाद उत्तर देना कुछ कठिन होता है, इसलिये कि वे महान् व्यक्ति हैं और समुद्र में तैरते हैं और इतनी लंबी लहरियों पर लहराते हैं कि उतनी सारी बातों का उत्तर देना थोड़े समय में कठिन हो जाता है। आपकी आज्ञा से मैं केवल दो एक बातों पर निवेदन करना चाहूंगा।

जब इस बिल को इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की बात सोची गयी तो मुझे यह आशा थी कि इस आदरणीय सदन के द्वारा इसके स्वीकृत होने में आधा घंटा या ४० मिनट से अधिक समय न लगेगा, क्योंकि यह एक ऐसा बिल है जिस पर सभी की ओर से स्वीकृति होगी और सभी इस बिल की सराहना करेंगे। ऐसी आशा लेकर इस बिल को इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पर जिस प्रकार का इस पर वादविवाद चला उससे मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और कुछ दुख भी हुआ। मैं बिलकुल समझ नहीं सका कि विरोधीदल की मंशा क्या है। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन विरोधीदल के एक सदस्य जो श्री राजनारायण जी के ही दल के हैं, वे मुझसे पहले मिले थे, उनके के बारे में मैं यह तो नहीं कह सकता कि उन्होंने इस बिल की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह तो बड़ा उत्तम काम हुआ कि यह बिल मूव होने जा रहा है और इसके स्वीकृत होने में १०–१२ मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इसीलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस विरोध को देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि इस बिल का विरोध नहीं हो रहा था प्रत्युत किसी और काम को करने के लिये यह तरकीब की जा रही थी और किस वजह से इस पर बहस बढ़ती गयी, उस योजना की भी कल्पना की जा सकती है, वह स्पष्ट भी है कि किसी प्रकार से भी इस बिल पर ढाई तीन बजे तक बहस जारी रखी जाय तो मामला ठीक हो जायेगा। वह योजना तो

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पूरी हुई लेकिन इससे अध्यापकों का अहित ही हुआ है। मान्यवर, एक बार युधिष्ठिर से किसी ने प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य की चीज कौन है, तो उन्होंने इसका कुछ उत्तर दिया। आज के युग में वे होते और उनसे कोई प्रश्न करता कि दुनिया में सब से बड़े आश्चर्य की चीज क्या है, तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की ओर संकेत कर देते। जो इस बिल का विरोध हुआ है उससे मुझे कुछ आश्चर्य भी नहीं हुआ है। मान्यवर, ऐसी बातें भी होती हैं कि यदि कोई व्यक्ति शीर्षासन करता है तो सारी दुनिया उसको उल्टी दिखलायी देती है। यदि विरोधी दल भी शीर्षासन करता है तो हमारा सारा बिल उसे उल्टा दिखलायी देगा और देख भी रहा है। मान्यवर, कहा गया है कि इस बिल के पीछे हमारा हथकंडा है, इसके पीछे कोई षडयंत्र है, इसके पीछे अध्यापकों का गला काट देने का कोई कुचक्र है, इसके पीछे तमाम जो अब तक की स्वस्थ परम्परा रही है उसके नष्ट करने की चाल है, ये सारी बातें कह डाली गयीं। इसकी परिधि नहीं बढ़ी, इसकी परिधि बढ़ावें, आज यह बिल क्यों लाया गया, दो महीने पहले क्यों नहीं लाया गया, सारा प्रश्न उसके नीचे है चाहे वह उससे सम्बद्ध हो अथवा असम्बद्ध, जितनी बातें हो सकती हैं सभी इस छोटे से बिल के ऊपर कही गयी हैं। यह तो एक बहुत ही नन्हा सा बिल एक दो लाइनों का है जिसकी मांग भी बहुत दिनों से अध्यापकों की ओर से भी रही है।

मैं अपने विरोधी दल के मित्रों और साथियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अध्यापकों से इस बात को पूछें कि वे इस बिल को लाने के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। मैं आपसे बड़ी नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों में शायद ही एक व्यक्ति भी उनको कोई ऐसा मिले जो इस बिल का विरोधी हो। आज दो वर्षों से इसकी मांग माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा की जाती रही है और उसके दो एक अधिवेशन में मुझे भी एकाध बार जाने का अवसर मिला है। वहां पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने जहां बहुत सी दूसरी मांगें कीं वहां बार-बार इस मांग को दोहराया और इसकी बड़ी चर्चा की। यह कहा जा रहा है कि चूंकि शिक्षकों ने हड़ताल करने की धमकी दी है इसलिये सरकार इस कानून को ले आयी है। उसमें भी जो उनकी मांगों की तालिका दी हुई है उसमें भी यह मांग है। समाचार-पत्रों में भी यह निकला और यह मांग की गयी कि जो परीक्षा में काम करते हैं और सेंटर सुपरिंटेंडेंट या इनविजिलेटर्स का काम करते हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट डिक्लेअर किया जाय। इस तरह की मांग की गयी थी फिर आज यहां उसका विरोध किया जा रहा है। मान्यवर, इस चीज को हमने आज से ६-८ महीने पहले निश्चय किया था और अखबारों में इसके ऊपर टीका-टिप्पणी भी हुई थी। इस चीज को सेलेक्ट कमेटी ने भी निश्चिय किया था जिसके श्रीमन् स्वयं अध्यक्ष थे। इस बिल को जब हमने पेश किया उसके बहुत पहले ही इस बात का निश्चय कर लिया था हम उस बिल में इस धारा को रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया है जो एक बहुत बड़ा कदम है। मंत्रिमंडल ने भी इसको स्वीकार किया है कि अध्यापकों ने अपनी सुरक्षा की जो मांग की है उसको तत्काल ही स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि इम्तहानों में जो अनर्थ हुए हैं उनकी चर्चा बार-बार करने की जरूरत नहीं है। अध्यापकों की तरफ से इसकी बार-बार मांग होती रही है। और हमारे मंत्रिमंडल ने भी इसको स्वीकार किया। आज से ६-८ महीने पहले अखबारों में यह बात निकली कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि हमारे अध्यापक जो इनविजिलेटर और एक्जामिनेशन सुपरिंटेंडेंट का काम करते हैं वे पब्लिक सर्वेन्ट डिक्लेयर होंगे। अखबारों ने उसके ऊपर टीका की और उसका स्वागत किया और माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी अपने प्रस्ताव पास करके इसका स्वागत किया कि सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और सरकार का यह निश्चय बड़ा ही अच्छा है। जिस वक्त हम इस विधेयक को ला रहे थे और हम चाहते थे कि इसको उसमें जोड़ दें तो राजनारायण जी ने कहा था कि शायद कानूनी अधिकार न हो, राय ले लो। मैं निवेदन करूं कि कानूनी राय लेने का फल है कि हम उस विधेयक के साथ इस धारा को न जोड़ सके। उन सब की राय ली जिनकी ओर संकेत किया गया। उन्होंने कहा कि अगर इंटरमीडियेट संशोधन विधेयक के साथ यह धारा रखी गयी तो शायद तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से यह बाहर होगा और फिर सारा विधेयक यहां से स्वीकार होने पर भी

तब तक लागू नहीं हो पायेगा जब तक कि राष्ट्रपति की स्वीकृति न हो जाय। मुझे इस बात की चिन्ता थी कि उस विधेयक को जल्दी से जल्दी स्वीकार करा कर लागू कर दें क्योंकि अध्यापकों के हित की बातें थीं। उसमें विलम्ब न हो। जैसे भी हो इस बिल के निकलने में देर न हो, दोष हो लेकिन निकल जाय यह हमारी इच्छा थी। कुछ अच्छाइयां हैं, वे लागू हो जायं। सिलेक्ट कमेटी में यह गया और खासा इम्प्रूव होकर हाउस में आया। सारे के सारे विधेयक को इस धारा के कारण भेजना पड़ा और उनकी राय से यह तय हुआ कि इस धारा को बाद में पेश कर दिया जाय। इस वक्त यह विधेयक ही लिया जाय। वही हो गया और वह विधेयक अधिनियम बन गया। इसके बाद जैसे ही विधान सभा का अधिवेशन हुआ हमने इसे पेश किया। एक ही अधिवेशन में एक ही ऐक्ट के २ संशोधन ले आने में कानूनी एतराज था, यह अच्छा नहीं लगता था और कहा गया कि इसे दूसरे अधिवेशन में ले आना सो हम ले आये.....

श्री राजनारायण--एक इन्फार्मेशन चाहता हूं क्या यह हाउस उस समय प्रोरोग हो गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दूसरा अधिवेशन नहीं हुआ। मैंने प्रोरोग नहीं कहा। जिसे आप कहते हैं एक अवधि वह उसकी समाप्त हो गयी थी और फिर जैसे ही दोबारा सदन बैठा...

श्री उपाध्यक्ष--सही शब्द उपवेशन है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपवेशन है। फिर से एकत्रित हुए, जिस समय फिर से बैठे उसमें ले आये। शीघ्रता से हम इसे लाना चाहते थे। तो जैसा कहा गया आई० पी० सी० और सी० पी० सी० से इसका सम्बन्ध है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजना पड़ेगा, यह कानूनी दिक्कत आ गयी थी। इसीलिये इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है और जब तक वहां से स्वीकृति न मिलेगी तब तक यह हमारा अधिनियम नहीं बन सकेगा। इसको अगर उसके साथ जोड़ते तो सारा अधिनियम लटक जाता, वह नहीं लटकने पाया। वह चालू हो गया और इसको अलग से ले आये। इस में क्या कुचक्र है ? अध्यापकों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। बार-बार उनकी मांग रही है, बार-बार उनके प्रस्ताव आये हैं, बार-बार उनका डेपुटेशन आया है और आज भी जिन बातों को वे कह रहे हैं उनमें नं० १, २ या ३ पर यह मांग है कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाय, उसके लिये हम यह बिल लाये हैं। इसमें फिर क्या कुचक्र है ? कहा गया कि हम उनको जेल भेजना चाहते हैं। यह बड़े दूर की कौड़ी फेंकने की बात है। यह अन्याय है सरकार के ऊपर, अध्यापकों के प्रति। हर चीज में एक आशंका तथा अविश्वास प्रकट करना कहां तक उचित है ? अध्यापकों के प्रति हमारा आदर है। हम यह विश्वास नहीं करते कि अध्यापक जिस काम को न कर रहे हैं वह न होने पाये। हां, यह अवश्य समझ में आता है कि उन्हें उभाड़ कर थोड़ी सी लीडरी करने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा, थोड़ी सी खुराफात करने का अवसर प्राप्त होगा और विधान सभा में मस्तिष्क हिलाने का अवसर प्राप्त होगा लेकिन मुझे इसकी आशा नहीं है कि आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। और मैं यह निवेदन करूं कि न उसके लिये सरकार को कोई कुचक्र रचने की जरूरत है कि छिपाकर पीछे से कोई ऐसा कानून ले आये जिसकी मंशा किसी की समझ में न आवे और हम किसी को फंसाने वाले हों। इस तरह से हितकर काम में हानि पहुंचाना मैं समझता हूं कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। हम इस बिल के कानूनी पहलू को देख चुके हैं, यह बिल लाया गया उनकी मांग और आवश्यकताओं को देखते हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बात की आवश्यकता रही है। हमारी परम्परा में व्याघात पहुंच चुका और उसका परिणाम यह हो चुका है कि कतिपय अध्यापक ठोंके और पीटे जा चुके। अनुशासनहीनता की बात मैं नहीं कहता पर इस प्रकार की घटनायें घट चुकी हैं इसमें संदेह नहीं है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सुरक्षा दी जाय। माननीय रामायण राय जी यहां नहीं हैं उनके कहने का यह मतलब निकला कि उनको सुरक्षा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

देनी ही नहीं चाहिये। तो आप मूलतः इस प्रकार की व्यवस्था के विरोधी हैं या यह चाहते हैं कि अध्यापकों के संरक्षण के लिये इस प्रकार का कोई काम न किया जाय या क्या चाहते हैं, यह समझना कठिन हो गया।

अब एक ही बात और कह सकता हूं। इस बिल को ले आये हैं इस दृष्टि से और हमारी इच्छा यह है और आपसे प्रार्थना है कि हर बात को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह भी कोई एक चाल है और खास कर हमारे अवस्थी जी कोई विधेयक आये उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव ले आते हैं, सेलेक्ट कमेटी में भेजने का जैसे उनको नशा है। यही बात समझ में आती है। दो लाइन का बिल है, सीधी मंशा है वर्षों इसकी मांग रही है उसको पूरा करने जा रहे हैं। सेलेक्ट कमेटी में कौन-सी आपकी प्रतिभा का वहां स्फुरन दिखाई देगा और बुद्धि का प्रतिबिम्ब वहां देखने को मिलेगा? अब इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। चाहता यह जरूर था कि जल्द से जल्द स्वीकार हो जाय ताकि जो परीक्षाएं आगे होने वाली हैं तब तक अगर इसको लागू कर सकें प्रयत्न करके तो अच्छा है। एक महीना तो उसमें अवकाश है यह ठीक है लेकिन १ महीने के बाद भी अगर हम लागू कर दें तो कोई रुकावट नहीं होती। अब कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता, कोई तर्क नहीं ऐसा प्रस्तुत हुआ जिससे परिधि बढ़ाने वाली बात समझ में आती। उस परिधि को बढ़ाने के लिये मैं कह चुका अलग से बिल आवेगा। इसके साथ कौन-सी परिधि बढ़ेगी? उस कांप्रीहेंसिव बिल की परिधि काफी बड़ी होगी उसके साथ इसको तो जोड़ा नहीं जा सकता। वह तो अलग से ही आयेगा। इस छोटे से बिल को लेकर कितनी ही परिधि बढ़ाने का निश्चय हो सारे इंटरमीडियेट एजूकेशन की पद्धति को परिवर्तित करने वाला बिल सेलेक्ट कमेटी में नहीं बन सकता। तो इसके विरोध का और कोई कारण नहीं हो सकता। केवल यही आश्वासन दे सकता हूं, नम्रतापूर्वक निवेदन कर सकता हूं कि अध्यापकों के हित में है यह, उनकी यह इच्छा रही है, आग्रह रहा है सदा से, दर्जनों पत्र उनके दिखा सकता हूं, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रस्ताव दिखा सकता हूं, उनके डेपुटेशन में जो बातें कही गयीं, वह दिखा सकता हूं। आज भी जो कहा जाता है उसमें यह चीज रखी हुई है और सरकार का केवल एक मंशा है वह यह है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाय। माननीय सदस्यों को मालूम है कि अध्यापकों के ऊपर शिष्यों की ओर से मारपीट की जाती है, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो और यह समस्त देश और राष्ट्र के लिये, परम्परा के लिये लज्जा की बात है। फिर भी दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थिति है इसलिये उन का इस बात का आग्रह रहा है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाय। उसको प्रदान करने की दृष्टि से ही एक मात्र यह विधेयक आपके सम्मुख आया है।

जहां तक कानूनी कमजोरी की बात है उस पर हम कानूनी राय ले चुके हैं और वह परिपुष्ट रहे उसमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी जो व्यवस्था होगी वह व्यवस्था करने की चेष्टा की जायगी। मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी वगैरह में भेजने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्रातिशीघ्र आदरणीय सदन स्वीकार कर ले और इस दिशा में हम कदम उठा सकें अपने अध्यापकों के लिये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसे इसकी परिधि को बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:--

पक्ष में--४९,

विपक्ष में--१४२।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २

२--इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ (जिसे आगे चलकर 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा २ में : यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा २ का संशोधन

(१) खंड (ए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (एए) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान खंड (एए) को खंड (एएए) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय--

"(*aa*) 'Centre' means an institution or a place fixed by the Board for the purposes of holding its examinations and includes the entire premises attached thereto."

(२) खंड (बीबी) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (बीबीबी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*bbb*) 'Invigilator' means a person who assists the Superintendent of a Centre in conducting and supervising the examinations at a Centre."

(३) खंड (एफ) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (जी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*g*) 'Superintendent of a Centre' means a person appointed by the Board to conduct and supervise examinations of the Board and includes an Additional Superintendent and an Associated Superintendent."

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--श्रीमान उपाध्यक्ष जी, यदि आप की आज्ञा हो तो मैं खंड २ व ३ के संशोधन एक साथ ही पेश कर दूं क्योंकि दोनों में मेरे ही संशोधन हैं। इस सम्बन्ध में जो कुछ मुझे कहना है वह मैं एक साथ ही कह दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--आप अलग-अलग ही पेश करें तो ठीक है। अभी खंड २ का ही संशोधन पेश करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप की आज्ञा, मैं तो समय बचाना चाहता था ।

श्री उपाध्यक्ष--इस कृपा के हम लोग आभारी हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ म प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (२) के भाग (*bbb*) की पंक्ति एक में शब्द "who assists" के स्थान पर शब्द "appointed by the District Inspector of Schools to assist" रख दिये जायं ।

यह संशोधन केवल उस कानूनी दिक्कत को दूर करने के लिये है जो अन्यथा सुधार न किये जाने पर हो सकती है। विशेष तौर पर यह देखा गया है कि केन्द्र में जो असिस्ट करने वाले होते हैं उनकी लिस्ट कभी कभी इंस्पेक्टर्स के पास अप्रूवल के लिये जाती है और वहां से एप्रूवल के बाद वह पारित होती है। इसी खयाल से यह संशोधन रखा गया है कि "appointed by the District Inspector of Schools to assist" ताकि वह कानूनी अड़चन न रहने पाये। यह वरबल सा ही है, वह उचित समझें तो स्वीकार कर लें, मुझे अधिक नहीं कहना है।

---

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रामस्वरूप यादव--उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन स्वीकार नहीं है, कारण बड़ा साफ है। अवस्थी जी के संशोधन से यह हो जायगा कि जिला इंसपेक्टर आफ स्कूल्स केवल आउटसाइडर इनविजिलेटर्स को नियुक्त करते हैं और बाकी सुपरिंटेंडेंट नियुक्त कर लेते हैं। अगर यह स्वीकार करते हैं तो वह उन्हीं तक सीमित रह जायगा और उससे बहुत अव्यवस्था हो जायगी। अतः वह इसे वापस ले लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी की बात गौर से सुनी लेकिन उससे तो मेरी शंका और बढ़ गयी। उन्होंने कहा कि जो बाहरी होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स मुकर्रर करते हैं और ऐसा होता है कि कुछ इनविजिलेटर्स बाहरी भी होते हैं और कुछ सेन्टर के होते हैं और इस कारण से तो यह व्यवस्था और भी आवश्यक है। इसलिये इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (२) के भाग (*bbb*) की पंक्ति एक में शब्द "who assists" के स्थान पर शब्द "appointed by the District Inspector of Schools to assist" रख दिये जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं विभाजन की मांग करता हूं।

(घंटी बजाई गई)

(इस समय २ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

(घंटी बंद होने पर।)

श्री अध्यक्ष--विभाजन के लिए अब समय नहीं है, ३ बज चुके। अब विभाजन फिर होगा।

१९५८-५९ का द्वितीय पूरक अनुदान

वित्त मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९५८-५९ का द्वितीय पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

१९५९-६० का आय-व्ययक

वित्त मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं १९५९-६० का बजट पेश करता हूं।

(बजट की प्रतियां सदन में वितरित की गयीं।)

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट और वार्षिक बजट एक ही दिन हाउस में आ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--जी हां, आ सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय,

२--आज मैं वित्त मंत्री की हैसियत से अपनी नयी जिम्मेदारियां अदा करने के लिये सदन के सामने अपना पहला बजट पेश करने जा रहा हूं। मुझसे पहले के वित्त मंत्री ऐसे ही कई अवसरों पर इस बात पर जोर दे चुके हैं कि इस राज्य में केंद्र में और देश के दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस सरकार की विशेष नीति कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। १९५५ में अवादी के कांग्रेस सेशन के फैसले से इस नीति की विशेषता और बढ़ गई है और केंद्र तथा राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये कार्य करेंगी। यह बात बिल्कुल साफ थी कि ऐसा समाज यहां की जनता की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिभा के अनुकूल बनेगा और वह न तो किसी तानाशाही या रेजीमेंटेशन (regimentation) के आधार पर कायम किया जायगा और न किसी दूसरे मुल्क के नमूने पर। हमारी विशेष नीति यह है कि पैदावार के मुख्य साधन समाजी मिल्कियत या कंट्रोल में रहेंगे ताकि पैदावार लगातार बढ़ती रहे और देश की दौलत का मुनासिब और न्यायोचित (equitable) बटवारा हो सके। हमारे अंतिम लक्ष्य (ultimate goal) के बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये थी, लेकिन अगर कोई थी तो वह अब नागपुर के हाल के कांग्रेस सेशन के फैसलों के कारण पूरी तौर से दूर हो गयी होगी। इस फैसले से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस राज्य, दूसरे राज्यों और केंद्र की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकारें लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये पूरी तौर से वचन-बद्ध हैं ताकि देश की दौलत का उचित वितरण हो सके और सभी लोगों को समान अवसर मिल सके। हमारी योजना का ध्येय भी यही है और इसे इस राज्य के लोगों की अलग-अलग और सम्मिलित कोशिशों से प्राप्त किया जायगा, जोकि आपस में भाई-चारे और प्रेम के धागे से बंधे हुए हैं और जिनके दुख-सुख समान हैं।

३—हमारे देश में, जिसकी अर्थ-व्यवस्था का विकास अभी पूरी तौर से नहीं हुआ है, लम्बे अर्से की समुचित योजनायें बनाकर ही लोगों को खुशहाल बनाया जा सकता है। हमें राष्ट्रीय आय (national income) बढ़ाकर जनता के रहन-सहन का स्तर ऊपर उठाना है और ऐसा एक बड़ी हद तक पैदावार बढ़ाकर ही किया जा सकता है। इस सिलसिले में पब्लिक (public) और प्राइवेट (private) दोनों सेक्टरों को अपने-अपने क्षेत्र में महत्व-पूर्ण कार्य करना है जबकि लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था में पैदावार के मुख्य साधनों पर समाजी कंट्रोल और राष्ट्रीय आय (national income) के समुचित वितरण की आवश्यकता है। उसी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर का भी यह कर्त्तव्य है कि वह इस काम में पूरी तरह से हाथ बटाये और तरक्की जो केवल अपने निजी लाभ की नीति से न हो बल्कि जिससे देश का लाभ हो। हम अपनी राष्ट्रीय दौलत अपने साधनों का विकास करके ही बढ़ा सकते हैं। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि कृषि, सिंचाई, बिजली-उद्योग, जंगलात, खनिज पदार्थ (minerals) और दूसरे प्राकृतिक साधनों के विकास और व्यापार व तिजारत की तरक्की के लिये हर तरह से कोशिश जारी रखी जाय। कृषि की तरक्की के लिये खेती के उन्नत तरीके अपनाना आवश्यक है और इसी तरह विकास के दूसरे सभी क्षेत्रों में भी यह आवश्यक है कि मनुष्य को उपलब्ध टेक्निकल और वैज्ञानिक ज्ञान का, उपयोग किया जाय। लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊपर उठाने के साथ-साथ सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना भी आवश्यक है ताकि हम अपने लोगों के लिये शिक्षा, चिकित्सा सुविधायें, मकान, पीने का पानी और सफाई का प्रबन्ध कर सकें और वे स्वस्थ और उपयोगी जीवन बिता सकें और अपने श्रम तथा प्रयत्नों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। योजना बनाने का उद्देश्य ही यह है कि इन सभी महत्वपूर्ण दिशाओं में समन्वित (co-ordinated) और संतुलित (balanced) विकास किया जाय।

४—हमारी जनता की बहुत-सी ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें लोकतांत्रिक तथा समाजवादी सरकार को हर हालत में पूरा करना चाहिये और उन समस्याओं को एक साथ ही पूरा करना राज्य की उन्नति के लिये आवश्यक है। साथ ही हमारे सीमित वित्तीय और टेक्निकल साधनों को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम अपनी योजना में अपनी कुछ आवश्यकताओं को प्राथ-मिकता दें। वर्तमान स्थिति में हमें अपनी योजना में कृषि उत्पादन (production) को उच्चतम प्राथमिकता (top priority) देनी चाहिये। हमें सिंचाई को भी, जो खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये निहायत जरूरी है, कृषि के साथ ही स्थान देना होगा। खेती की पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ उद्योग का विकास करना भी जरूरी है ताकि हमारे ज्यादा खुशहाल किसानों के उपभोग की वस्तुओं की मांग और उन्नत प्रकार की कृषि आदि की आवश्यकताएं दे के भीतर ही पूरी की जा सकें। बड़े और छोटे दोनों प्रकार के उद्योग इसलिये भी

[श्री सैयद अली जहीर]

जरूरी हैं कि अतिरिक्त आबादी खेती से हट कर उद्योगों में लग जाय। इससे जोतों का अलाभकर इकाइयों में बंटना रुक जायगा। जिस तरह खेती की पैदावार और अधिक बढ़ाने के लिये सिंचाई निहायत जरूरी है, उसी तरह उद्योगों को बढ़ाने के लिये ज्यादा बिजली पैदा करना भी अत्यन्त आवश्यक है। इस तरह सिलसिलेवार एक से दूसरी आवश्यकता का निकट संबंध पैदा होता है। जैसा कि पहले साफ तौर पर बताया जा चुका है, हमारा ध्येय समुचित योजनायें बनाकर ही प्राप्त होगा और आज जो मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उसी नीति के मुताबिक चलने पर पाबन्द है। हमारी योजनायें और विकास कार्य-क्रम पंचवर्षीय आधार पर तैयार किये गये हैं। इसलिये मेरा विचार है कि सदन मुझसे यह आशा न करेगा कि मैं कोई ऐसा आकर्षक बजट पेश करूं जिसमें बहुत सी नई-नई तजवीजें की गयी हों, क्योंकि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष का बजट है और इसमें सिर्फ उन्हीं मिले-जुले विकास-कार्यों की झलक मिल सकती है जो अधिकतर कुछ समय से जारी हैं और जो योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये किये जायंगे।

५--मैं अब इस राज्य की १९५७-५८ की वास्तविक आय और व्यय के आंकड़ों, १९५८-५९ के संशोधित तखमीनों और १९५९-६० के बजट के तखमीनों की चर्चा करूंगा।

६--१९५७-५८ के मूल बजट में आय का तखमीना ९६.६६ करोड़ रुपये लगाया गया था और व्यय का तखमीना १०८.३३ करोड़ रुपये लगाया गया था। इसके हिसाब से ११.६७ करोड़ रुपये का घाटा था। उस साल के वास्तविक आंकड़ों से यह मालूम हुआ कि राजस्व (revenue) आय बढ़कर १०४.९४ करोड़ रुपये हो गयी और राजस्व व्यय घट कर ९९.४२ करोड़ रुपये रह गया। इस तरह से ५.५२ करोड़ रुपये का सरप्लस (surplus) रहा। यूनियन उत्पाद शुल्कों (Union Excise Duties), रेलवे के भाड़े पर टैक्स और कारपोरेशन टैक्स को छोड़कर आय पर टैक्सों को शामिल करके केंद्रीय टैक्सों में राज्य का हिस्सा ६५० लाख रुपये अधिक रहा जिसका मुख्य कारण यह था कि दूसरे फाइनेंस कमीशन (Finance Commission) की सिफारिश के बाद इन टैक्सों के वितरण की व्यवस्था में संशोधन किया गया था और इन टैक्सों की वास्तविक वसूली के आधार पर भी यह बढ़ोत्तरी हुई। अन्य करों तथा शुल्कों से १८६ लाख रुपया अधिक मिला जिसका मुख्य कारण गन्ने के सेस (cess) के कुछ बकायों की वसूली थी। गवर्नमेंट बस सर्विस से अधिक आमदनी होने के कारण विविध विभागों (Miscellaneous Departments) की आमदनी में १०८ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। राजकीय आबकारी (State Excise) और जंगलात की आमदनी में क्रमशः ९५ लाख रुपये और ७५ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। असाधारण आमदनी, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट (Motor Vehicles Act) की आमदनी और एलेक्ट्रिसिटी स्कीमों की आमदनी में कुल मिलाकर १८२ लाख रुपये की वृद्धि हुई। मालगुजारी की वसूली में १६४ लाख रुपये की कमी हुई और सिंचाई की वास्तविक आमदनी में १०१ लाख रुपये की कमी हुई। विकास योजनाओं के लिए भारत सरकार से कम सहायता मिलने की वजह से २२२ लाख रु० की कमी शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और नियोजन (planning) विभागों की आमदनी में हुई। खर्च की मद में कर्जे की अदायगी में ३९८ लाख रुपये की कमी हुई, जिसका मुख्य कारण यह था कि भारत सरकार से कम कर्जा मिला और जमींदारी विनाश संबंधी मुआवजे और पुनर्वासन (rehabilitation) बांडों पर किस्तों के तौर पर कम रुपया दिया गया। योजना और एकीकरण (planning and co-ordination) के खर्च में २०७ लाख रुपये की कमी मुख्यतया इस कारण हुई कि भारत सरकार के कहने पर नये एन० ई० एस० ब्लाक (N. E. S. Blocks) खोलने और उन्हें आई० डी० ब्लाकों (I. D.

Blocks) में बदलने के प्रोग्राम की प्रगति धीमी कर दी गई। प्लान की कुछ योजनाओं को देर से शुरू करने और कुछ दूसरी योजनाओं को वित्तीय वर्ष के आरम्भ से ही पूर्ण रूप से कार्यान्वित न किये जा सकने के कारण मुख्यतया खर्च में लगभग ३०८ लाख रुपये की कमी शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशु-चिकित्सा, सहकारिता, समाज कल्याण, उद्योग और श्रम (labour) के अन्तर्गत हुई। इन कमियों के मुकाबले में ८९ लाख रुपये की अधिक रकम सहायता के कामों (relief measures) पर खर्च की गई जो बाढ़ और दूसरी दैवी आपदाओं (natural calamities) से पीड़ित इलाकों के लिये मंजूर की गयी थी। अनुसूचित (scheduled) और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार तथा उत्थान (uplift) और ट्रांसपोर्ट विभाग के खर्च में भी ६० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। इस प्रकार से तथा अन्य कमी-बेशी के कारण वर्ष समाप्त होने पर राजस्व में ५.५२ करोड़ रुपये का सरप्लस (surplus) हो गया। बजट के पूंजी भाग (capital portion) में ३३.९५ करोड़ रुपया खर्च हुआ जबकि मूल तखमीना ३८.६८ करोड़ रुपये का था। सिविल वर्क्स में ३२८ लाख रुपये, औद्योगिक विकास में १४१ लाख रुपये और एलेक्ट्रिसिटी स्कीमों में ५१ लाख रुपये का पूंजी व्यय (capital expenditure) कम हुआ। केंद्र के एकमुश्त अदा होने वाले ऋणों के सिंकिंग फंड (Sinking Fund) के लिए पूंजी (capital) सेक्शन में २०९ लाख रुपये की जो रकम रखी गई थी उसका भी इस्तेमाल भारत सरकार की सलाह पर नहीं किया गया। सिंचाई के कामों पर १०० लाख रुपये का अधिक पूंजी व्यय हुआ और १७४ लाख रुपये की अधिक रकम कृषि-सुधार और अनुसंधान (research) की योजनाओं पर खर्च की गई।

७—१९५८–५९ के मूल बजट में राजस्व आमदनी और व्यय के तखमीने क्रमशः १०८.२३ करोड़ रुपये और ११२.७७ करोड़ रुपये थे। इस तरह से ४.५४ करोड़ रुपये के खसारे का अनुमान था। वर्ष के दोहराये हुए तखमीनों में राजस्व प्राप्तियां ११०.३१ करोड़ रुपये की ह और राजस्व व्यय ११०.६८ करोड़ रुपया है। इस तरह से वर्ष समाप्त होने पर राजस्व का खसारा घटकर ३७ लाख रुपये हो जाने की आशा है और इसे रेवेन्यू रिजर्व फंड (Revenue Reserve Fund) से पूरा किया जायगा। मुख्यतया बिक्री-कर के बकाये की वसूली और अन्तर्राज्य (inter-State) बिक्री-कर से अधिक आमदनी होने के कारण अन्य कर और शुल्कों (other taxes and duties) के अन्तर्गत २२४ लाख रुपये की अधिक आमदनी होने की आशा है। विविध विभागों (Miscellaneous Departments) की आमदनी में ९४ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी का अनुमान है, क्योंकि गवर्नमेंट बस सर्विस से अधिक आमदनी होने की आशा है। यह भी आशा है कि यूनियन उत्पाद शुल्कों (Union Excise Duties) में राज्य को जो हिस्सा मिलेगा उसमें ७६ लाख रुपये बढ़ जायेंगे। राजकीय आबकारी, स्टाम्प, जंगलात और मोटर वेहिकिल्स के टैक्सों से अधिक आमदनी होने के कारण कुल मिलाकर ११७ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने के खर्च के लिये केंद्र से सब्सिडी (subsidy) के तौर पर ६४ लाख रुपये की अधिक रकम मिलने की आशा है। यह रकम इसलिये मिलेगी कि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की रूपरेखा में परिवर्तन कर दिया गया है। दूसरी तरफ मालगुजारी की वसूली में २६१ लाख रुपये की कमी होने की संभावना है जिसका मुख्य कारण यह है कि बाढ़ और दूसरी दैवी आपदाओं से पीड़ित इलाकों में उदारता से मालगुजारी की छूट दी गई है और मालगुजारी की वसूली मुल्तवी की गई है। प्लान में शामिल किये हुये सिविल वर्क्स (civil works) के लिये तथा स्थानीय विकास के कामों के लिये केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी (subsidy) और ग्रांट में कुल मिलाकर १३८ लाख रुपये की कमी होगी। खर्च की मद में भारत सरकार से प्राप्त कर्जों पर सूद के तौर पर लगभग ६० लाख रुपये की कम रकम दिये जाने की संभावना है। कुछ विकास योजनाओं को वर्ष के आरम्भ से ही पूरी तौर पर अमल में नहीं लाया जा सका। इस तरह से शिक्षा, कृषि, पशु-पालन, सहकारिता और उद्योग के खर्च में ९४

[श्री सैयद अली जहीर]

लाख रुपये की अनुमानित कमी हुई है। सिविल वर्क्स के खर्चे में ७० लाख रुपये की कमी होने की संभावना है। ६२ लाख रुपये की एक और बचत होने की आशा है, क्योंकि एक तो भारत सरकार ने नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस (N.E.S.) स्कीम की रूपरेखा बदल दी है और दूसरे स्थानीय विकास कार्यों के लिये भारत सरकार से कम रकम मिलने की आशा है जिसके कारण इन कार्यों के लिये कम धनराशि की व्यवस्था की गई है। विविध नियोजन संगठन (Miscellaneous Planning Organization) के अन्तर्गत विविध व्यय और खर्चे में ५२ लाख रुपये की कमी होने की संभावना है। दूसरी तरफ, इस वर्ष सहायता के ऐसे कार्यों (relief measures) के वास्ते जो बाढ़ और दूसरी दैवी आपदाओं (natural calamities) से पीड़ित क्षेत्रों के लिये मंजूर किये गये हैं, ८९ लाख रुपये की अधिक रकम खर्च होने की संभावना है। विविध विभागों (Miscellaneous Departments) के खर्चे में भी ३५ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी होने की आशा है। इस प्रकार से तथा अन्य कमी-बेशी के कारण इस वर्ष के समाप्त होने पर ३७ लाख रुपये का मामूली राजस्व घाटा (revenue deficit) होने की संभावना है।

पूंजी व्यय (Capital expenditure) में, जिसका तखमीना मूल बजट में ३२·८५ करोड़ रुपये था, अब दोहराये हुये तखमीनों के अनुसार १.२५ करोड़ रुपये की मामूली कमी होने की आशा की जाती है। इस कमी का कारण यह है कि विदेशी मुद्रा (foreign exchange) की कठिनाइयों और कुछ दूसरी वजहों से कुछ निर्माण-कार्यों की प्रगति धीमी रही।

८—१९५९-६० का आमदनी और खर्चे का तखमीना क्रमशः ११९.६१ करोड़ रुपया और १२१·४७ करोड़ रुपया लगाया गया है। इस तरह से १.८६ करोड़ रुपये का घाटा (deficit) होने का अनुमान है। गवर्नमेंट बस सर्विस से होने वाली आमदनी में १६० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी की आशा है। इसका कारण मुसाफिरों की संख्या का बढ़ जाना तथा अगले साल नये रास्तों पर बसों का चलाया जाना है। मालगुजारी (नियत वसूलियों) का तखमीना इस आशा से १११ लाख रुपया अधिक रखा गया है कि बजट वर्ष में बड़े पैमाने पर छूटें नहीं देनी पड़ेंगी या मालगुजारी स्थगित नहीं करनी पड़ेगी। चकबन्दी (consolidation) की फीस से होने वाली आमदनी तथा जोतों की चकबन्दी की योजना पर होने वाले खर्चे के लिये केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी (subsidy) दोनों को मिल कर ११० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। यह तखमीना लगाया गया है कि स्टाम्प और वेहिकिल्स (vehicles) के टैक्सों से ७६ लाख रुपये की और अधिक आमदनी होगी, क्योंकि ड्यूटी और टैक्स की दरें बढ़ गई हैं। पहिली अप्रैल, १९५९ से एक स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (State Electricity Board) कायम करने का प्रस्ताव है और इसके कायम हो जाने पर रिहन्द बांध प्रोजेक्ट (Rihand Dam Project) के अलावा राज्य के सभी एलेक्ट्रिसिटी वर्क्स (Electricity Works) इसको मुन्तकिल कर दिये जायेंगे। इन वर्क्स पर लगायी गयी पूंजी के बारे में यह समझा जायगा कि वह बोर्ड को दिया गया कर्जा है। इस रकम पर सरकार को सूद मिलेगा। इसके कारण मुख्य रूप से सूद की आमदनी में २५४ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन वास्तव में यह बढ़ोत्तरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्कीमों की यह आमदनी बोर्ड ही के पास रहेगी और इन कारबारों को चलाने में उठाये गये नुकसानों की पूर्ति के लिये बोर्ड को सरकार से लगभग १६४ लाख रुपये का सबवेंशन (subvention) भी दिया जायगा। औद्योगिक उपभोक्ताओं (industrial consumers) को दी जाने वाली कुछ प्रस्तावित रियायतों के कारण जिसका उल्लेख आगे किया जायगा, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (Electricity Duty) की आमदनी में ५० लाख रुपये की कमी होने की संभावना है। खर्च की तरफ ऋण संबंधी व्ययों (debt services) के तखमीने में २९४ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। सरकार और लोकल बाडीज (Local Bodies) के कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्तों को बढ़ाने के लिये कुल २७२

लाख रुपये की अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की गई है। बजट तखमीनों में ट्रांसपोर्ट विभाग के अन्तर्गत १०६ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है क्योंकि गवर्नमेंट रोडवेज पर अधिक खर्चा होने की संभावना है। चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ७५ लाख और मालगुजारी, जंगलात तथा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट्स (Motor Vehicles Acts) के खर्चों में १२७ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी का अनुमान है। इन और दूसरी कमी-बेशियों की वजह से बजट वर्ष समाप्त होने पर १८६ लाख रुपये के राजस्व घाटे (revenue deficit) की संभावना है।

१९५८–५९ के मूल बजट में वास्तविक पूंजी व्यय का तखमीना ३२.८५ करोड़ रुपये था और १९५९–६० में ३२.१४ करोड़ रुपये का तखमीना है। बजट वर्ष में जो कर्जे राज्य सरकार देगी उनका तखमीना १२·७७ करोड़ रुपये और वसूलियों का तखमीना ४·४१ करोड़ रुपया रखा गया है।

९––अब मैं यह बतलाऊंगा कि चालू वित्तीय वर्ष में विकास संबंधी विभिन्न विभागों में क्या-क्या खास काम हुए और बजट वर्ष में उनका प्रोग्राम क्या होगा।

सामुदायिक विकास कार्य-क्रम

१०––पहले मैं सामुदायिक विकास आन्दोलन का उल्लेख करता हूं। यह आन्दोलन सारे राज्य में फैल गया है और देहाती इलाकों में की जाने वाली सभी कार्यवाहियों में व्याप्त हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष से सामुदायिक विकास कार्य-क्रम की रूप-रेखा में परिवर्तन हो गया है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई नई रूप-रेखा के अनुसार ब्लाकों में विकास कार्य-क्रम पांच-पांच साल के दो भागों में, जिन्हें पहला भाग (Stage I) तथा दूसरा भाग (Stage II) कहा जाता है, शुरू किया जायगा। पहिले भाग में पुराने एन० ई० एस० (N. E. S.) और आई० डी० (I. D.) दोनों ही सम्मिलित ह। इस भाग के लिये फी ब्लाक १२ लाख रुपये की रकम रखी गई है। दूसरा भाग पहले की पोस्ट इन्टेंसिव भाग (post-intensive phase) की जगह पर रक्खा गया है. लेकिन अब इस भाग के वास्ते ज्यादा रकम की व्यवस्था की गई है, जो ५ साल की अवधि के लिये ५ लाख रुपया है। ऐसे ब्लाक जो पहले ही से आई० डी० (I. D.) भाग में शामिल हैं, उस वक्त तक इसी भाग में रहने दिये जायेंगे, जब तक कि उनका काम पूरा न हो जाय। इस साल से यह भी निश्चय किया गया है कि जो भी नये ब्लाक खोले जायं उनमें हर एक क लिये एक साल की पूर्व विस्तार कार्यवाही (pre-extension activity) सिर्फ कृषि ही के लिये होनी चाहिये। इस समय मौजूदा ब्लाकों की कुल संख्या ३७० है जिनमें से २५५ ब्लाक पहले भाग में, ३३ दूसरे भाग में, ८२ प्रगाढ़ भ ग (intensive phase) में हैं। ये ब्लाक कुल रकबे के लगभग ४६.२ प्रतिशत में और कुल गांव की आबादी के ४६.८ प्रतिशत में फैले हैं। अगले साल पहिले भाग में ५६ ब्लाक और खोले जाने वाले हैं और इन ५६ ब्लाकों में से २८ ब्लाक अप्रैल, १९५८ से और बाकी २८ ब्लाक अक्तूबर, १९५८ से पूर्व-विस्तार (pre-extension) भाग में शामिल कर लिये गये हैं। बजट वर्ष में इन अतिरिक्त ब्लाकों के खोले जाने से सामुदायिक विकास कार्य-क्रम के अधीन उत्तर प्रदेश के कुल रकबे का लगभग ५२.६ प्रतिशत और गांवों की आबादी का ५३.४ प्रतिशत हिस्सा आ जायगा।

११––१९५८–५९ का साल राज्य के कृषि विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये दो प्रगाढ़ आन्दोलन (intensive drives) चलाये गये। एक खरीफ की फसल के लिये और दूसरा रबी की फसल के लिये। इन आन्दोलनों से गांवों में बहुत उत्साह पैदा हुआ और बहुत बड़ी संख्या में सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी लगन से इस कार्य-क्रम की सफलता के लिये काम किया। इन आन्दोलनों में खेती की तरक्की की कुछ ऐसी चुनी हुई मदों पर काम शुरू किया गया, जिनसे ठोस नतीजे निकलने की आशा थी। इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया कि धान की काश्त के लिए जापानी प्रणाली और गेहूं की काश्त के लिए उत्तर प्रदेशीय प्रणाली अपनायी जाय। इस आन्दोलन की एक विशेष बात यह थी कि इसमें लगभग ऐसे २,५०,००० गैर-सरकारी

[श्री सैयद अली जहीर]

कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, जिन्हें प्रगतिशील किसानों में से छांटा गया था और जिन्हें ग्राम सहायक कहा जाता है और जिन्होंने राज्य के कोने-कोने में इस आन्दोलन का प्रचार किया। कार्य-क्रम के मुताबिक खुद काम करने के अलावा हर ग्राम सहायक ने पांच या छः और किसानों को इस कार्य-क्रम के अनुसार काम करने के लिये तैयार किया और इसी कारण यह आन्दोलन सच-मुच में जनता का कार्य-क्रम कहे जाने के योग्य हो गया। इन आन्दोलनों का यह परिणाम हुआ कि जितने रकबे में जापानी ढंग से धान की काश्त होती थी उसमें सौ फीसदी बढ़ोत्तरी हो गई और उत्तर प्रदेशीय ढंग से की जाने वाली गेहूं की काश्त के रकबे में भी १२५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। पिछल साल के आंकड़ों की तुलना में ब्लाक रकबों में उर्वरकों (fertilizers) का उपयोग भी लगभग ८० प्रतिशत अधिक हुआ। इन आन्दोलनों के दौरान में ११० लाख रुपये की एक और रकम तकावी ऋण के रूप में दी गई, जिससे कि किसान इन उर्वरकों (fertilizers) का पहले से ज्यादा उपयोग कर सकें।

१२—रबी तथा खरीफ आन्दोलन के अलावा चालू वर्ष में ब्लाक क्षेत्रों में और बहुत-सा काम किया गया। अस्पतालों की ३३ नई इमारतें बन चुकी हैं या उनके बनाने का काम जारी है। ६,००० से अधिक 'सेनिटरी वेल्स' (sanitary wells) बना दिये गये हैं और ६,००० हैन्ड पंप लगा दिये गये हैं। विभिन्न अस्पतालों के सहयोग से सभी ब्लाकों में आंख का इलाज करने के कैम्प (eye relief camps) खोले गये। १९० नये प्राइमरी स्कूल, १,८११ लाइब्रेरियां और २,४५७ वयस्क शिक्षा केंद्र (adult education centres) स्थापित किये गये। १,६५५ सामुदायिक केंद्र (community centres) खोले गये और ४४४ रेडियो सेट बांटे गये। आई० डी० (I. D.) के ५४ और पहिले भाग (Stage I) के ७५ ब्लाकों में वेटेरिनरी अस्पताल खोले जा रहे हैं। १,६०८ नई सहकारी समितियां बना दी गई हैं जिनमें २·४ लाख नये मेम्बर हैं और ६० लाख रुपये के हिस्सों (shares) की और पूंजी इकट्ठा की गई है। ब्लाकों में छोटे-मोटे सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्यों के शुरू करने से चालू वर्ष में सिंचाई के रकबे में १·०५ लाख एकड़ की बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे क्षेत्रों में जिनमें जोतों की चकबन्दी का काम पहले ही से पूरा हो चुका है या जल्दी ही पूरा होने वाला है, पक्के कुएं बनाने की एक खास योजना भी चालू की गई और इस उद्देश्य के लिये करीब ८५ लाख रुपये की रकम और रख दी गई है। ये सभी लाभदायक कार्यवाहियां बजट वर्ष में पहले से अधिक उत्साह के साथ और बड़े क्षेत्र में की जायंगी। अगले वर्ष ५६ नये ब्लाक खुलने से यह रकबा एन० ई० एस० ब्लाक के अन्तर्गत आ जायगा।

कृषि

१३—सामुदायिक विकास के कार्य-क्रम की चर्चा के आने पर खेती का प्रश्न भी सामने आ ही जाता है, जो कि राज्य की उन्नति का एक प्रमुख अंग है। १९५७–५८ में दुर्भाग्य से राज्य के काफी बड़े इलाके में मौसम बहुत खराब रहा जिसका नतीजा यह हुआ कि उस वर्ष के लिये अतिरिक्त अनाज की पैदावार का लक्ष्य, जो ५.२१३ लाख टन रक्खा गया था, पूरा न किया जा सका। चालू वित्तीय वर्ष के लिये लक्ष्य ६.४९ लाख टन रखा गया है। सौभाग्य से पिछली खरीफ की फसल आमतौर पर सन्तोषजनक रही है और हालांकि लम्बे अर्से तक वर्षा होती रहने के कारण बाढ़ें आ गईं और बहुत से जिलों में बहुत अधिक पानी भी जमा हो गया, जिससे रबी की बुआई में कुछ देर हुई, फिर भी अंकुर सन्तोषजनक रूप से निकले हैं और यदि मौसम अच्छा रहा तो रबी की फसल काफी अच्छी होने की आशा है और राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में जो रबी और खरीफ के आन्दोलन चलाये हैं उनसे पूरा-पूरा लाभ किसानों को मिलेगा। किसानों को और अधिक मदद पहुंचाने के लिये पौध-संरक्षण सेवा (Plant Protection Service) को पुनर्संगठित किया गया जिससे कि जहां कहीं आवश्यकता हो, बचाव की कार्रवाइयां ठीक समय पर की जा सकें। चालू वित्तीय वर्ष में पूर्वी जिलों में हवाई जहाजों से छिड़काव किया गया और ५२,००० एकड़ के क्षेत्र को गन्धी लगने से बचाया गया।

१४—अनाजों की जायद फ़सलों की पैदावार बढ़ाने के लिये बागवानी कार्य-क्रम पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में ज़ोर-शोर से चलाया गया है। अब तक चालू वित्तीय वर्ष में ९,०९८ एकड़ भूमि पर नये बाग लगाये गये हैं और २,४६५ एकड़ भूमि पर लगे हुये पुराने बागों को सुधार कर नया कर दिया गया है।

१५—चालू वित्तीय वर्ष में जूट की पैदावार का लक्ष्य १.२५ लाख गांठें रखा गया था। यह लक्ष्य पूरा हो गया और १.३० लाख गांठें तैयार होने का तखमीना लगाया गया है। लेकिन कपास की पैदावार का लक्ष्य पूरा न हो सका, जिसका मुख्य कारण यह था कि मौसम मुआफिक न था। ९०,००० गांठों के लक्ष्य के मुकाबले ४०,००० गांठें तैयार होने का अनुमान है। तिलहनों के लिये ७,६६,२४० टन का लक्ष्य रखा गया था और हालांकि आखिरी आंकड़े अभी नहीं प्राप्त हुये हैं फिर भी यह उम्मीद की जाती है कि तिलहनों की पैदावार लक्ष्य से ज्यादा होगी।

१६—बजट वर्ष के लिये यह लक्ष्य रक्खा गया है कि ५,००,०००टन और अधिक अनाज पैदा किया जायगा। इसके अतिरिक्त यह भी उम्मीद की जाती है कि जूट की पैदावार १.३० लाख गांठें होंगी और कपास की पैदावार बढ़कर १,००,००० गांठें और तिलहनों की पैदावार बढ़कर ८,५८,४०० टन हो जायगी। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये बड़ी मिकदार में खलियों और दूसरी खादों के अतिरिक्त ५५.१९ लाख मन उन्नत किस्म के बीज, २.१६ लाख टन नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर (nitrogenous fertilizers) और ४०,००० टन फासफैटिक फर्टिलाइजर (phosphatic fertilizer) बांटने की तजवीज है। हरी खाद तैयार करने का कार्यक्रम तेजी से चलाया जायगा और यह भी आशा है कि ६.३७ लाख एकड़ भूमि में जापानी ढंग से धान बोया जायगा और २७.२१ लाख एकड़ भूमि पर उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूं बोया जायगा। पौध-संरक्षण (plant protection) की कार्रवाइयां और भी तेजी के साथ की जायंगी। मैदानी इलाकों के २७ और जिलों में नये पौध-संरक्षण केन्द्र कायम किये जायंगे ताकि हरेक जिले के पास अपना एक पौध-संरक्षण यूनिट हो जाय। बागवानी विकास कार्य-क्रम के मातहत १२,००० एकड़ में नये बाग़ लगाने और ६,००० एकड़ के पुराने बागों को सुधार कर नया करने का प्रस्ताव है। देहरादून जिले में जौनसार-बावर के गरीब इलाकों में बागवानी विकास की एक नयी योजना कुल १,९५,७०० रु० की लागत से चालू की जायेगी जिसमें से १,४६,५०० रुपया बजट वर्ष में खर्च किया जायगा। पहाड़ी जिलों में उर्वरकों (fertilizers) के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जो उर्वरकों (fertilizers) के लाने-ले जाने के खर्च को पूरा करने के लिये राज-सहायता के रूप में दी जायगी।

सिंचाई

१७—कृषि और सिंचाई का घनिष्ठ सम्बंध है। सामुदायिक योजना के क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में, जहां जोतों की चकबंदी का काम पूरा हो गया है या पूरा होने को है, सिंचाई की जो छोटी-मोटी योजनायें चालू हैं उनके बारे में कुछ चर्चा पहले की जा चुकी है। सिंचाई के बड़े निर्माण-कार्यों की प्रगति भी राज्य में तेजी से हो रही है। दूसरी योजना के पहले तीन वर्षों में उन स्कीमों का काम तेजी से किया गया जो पहली योजना से चली आ रही थी और कई नयी योजनायें चालू की गयीं। नौगढ़ बांध पर ज्यादा पानी जमा रखने की व्यवस्था करने के लिये फाटक लगाये गये, नारायणी गंडक पोखरा कैनाल पर एक ड्रेनेज साइफन (drainage siphon) बनाया गया, टांडा पम्प्ड कैनाल पर कुल १२० क्यूसेक क्षमता (capacity) के दो पम्प लगाये गये हैं और इसी क्षमता (capacity) के ४ पम्प डोरीघाट कैनाल पर लगाये गये हैं। ये दोनों पम्प पिछले दिसम्बर से कुछ हद तक काम करने लगे हैं। माताटीला स्पिलवे (Mata Tila Spillway) का काम क्रेस्ट लेविल (crest level) तक पूरा हो गया है। इसमें १६,००० मिलियन क्यूबिक फीट पानी जमा रखने की व्यवस्था है,जो सिंचाई के काम में लाया जा रहा है। बालमीकी या ओहेन रिजर्वायर (reservoir) का काम पूरा हो गया है। कोआपरेटिव ट्यूबवेलों को अधिकार में लेने, ट्यूबवेलों पर एक मील लम्बी और गूल बनाने और

[श्री सैयद अली जहीर]

पश्चिमी जिलों में नालियां बनाने का काम चालू है ताकि वहां बरसाती पानी इकट्ठा न हो सके। बजट वर्ष में पहली योजना की अधूरी योजनाओं का काम पूरा करने और दूसरी योजना की नयी स्कीमों पर काम को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि जिरगो, अपर खजुरी और नानक सागर योजनाओं का काम पूरा कर दिया जाय। दूसरी योजना में आरम्भ किये गये ६७० नलकूपों का काम बजट वर्ष में समाप्त हो जाने की आशा है और पहाड़ी जिलों में करीब २० मील लम्बी नालियां भी बनायी जायंगी।

१८--राजापुर और कनखल नगरों में बाढ़ से बचाव के निर्माण-कार्य पूरे हो चुके हैं और वाराणसी व बलिया में ऐसे निर्माण-कार्य किये जा रहे हैं। करीब ३४९ मील बांध और ५६० मील नालियां बनायी गयी हैं और पानी में डूब जाने वाले ४,३०० गांवों की सतह ऊंची कर दी गयी है। लेकिन बजट वर्ष में बाढ़ से बचाव की योजनाओं का काम धीमा करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी योजना की अवधि में ऐसे कामों के लिये राज्य को दी गयी रक़म खर्च हो चुकी है।

उद्योग

१९--कृषि और सिंचाई के बाद उद्योग का महत्व है। राज्य में औद्योगीकरण की प्रगति को बढ़ाने के लिये जो काम किये जा चुके हैं और जो किये जाते रहेंगे, उनके बारे में कुछ चर्चा बाद में की जायगी। लेकिन यहां कुछ औद्योगिक कामों की प्रगति का उल्लेख कर देना उचित है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क के विस्तार करने का काम, जो विदेशी मुद्रा (foreign exchange) की कठिनाइयों के कारण शुरू में धीमा पड़ गया था, अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया की मशीन बनाने वाली एक फर्म से डेफर्ड पेमेंट (deferred payment) की मुनासिब शर्तें तय हो गई हैं। इस प्लांट (plant) के संबंध में निर्माण कार्य-क्रम संतोषजनक रूप से चल रहा है और यह आशा की जाती है कि मशीनरी का काफी हिस्सा बजट वर्ष के अन्त तक वहां पहुंच जायगा। गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री अपनी नयी जगह पर ले आई गयी है और उसका काफी अधिक विस्तार किया गया है। इस फैक्ट्री ने बड़े पैमाने पर पानी के मीटर और माइक्रास्कोप (microscopes) बनाने के अलावा हाल में सर्जिकल (surgical) औजार बनाना भी शुरू कर दिया है। स्विटजरलैन्ड से कुछ मशीनरी आ जाने पर यह फैक्ट्री इंडस्ट्रियल जिवेल (industrial jewels) बनाने का काम प्रारम्भ कर देगी। फल उपयोग महकमे (Fruit Utilization Directorate) का भी विस्तार किया गया है और बजट वर्ष में तराई इलाके में फूलबाग में एक फ्रूट प्रीजर्वेशन फैक्ट्री खोलने का प्रस्ताव है।

२०--प्राइवेट सेक्टर में भी प्रगति हो रही है। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन यहां पर उन दो सहकारी चीनी मिलों की खास तौर से चर्चा कर दी जानी चाहिये, जिनमें से एक मेरठ जिले में बागपत में और दूसरी तराई के इलाके में बाजपुर में खोली गयी हैं। साथ ही साथ यह तजवीज है कि सहारनपुर जिले के सरसवा इलाके में भी एक सहकारी चीनी मिल खोली जाय और इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अगर विदेशी मुद्रा (foreign exchange) की कठिनाई न पैदा हो गयी होती तो प्राइवेट सेक्टर में अब तक किच्छा के पास शायद एक दूसरी सहकारी चीनी मिल खुल गयी होती। हाल ही में कायम हुए शुगर मिल मैनुफैक्चरर्स कन्सर्टियम (Sugar Mill Manufacturers' Consortium) से इस यूनिट के लिये जरूरी मशीनें प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। आगरा और कानपुर में इन्डस्ट्रियल इस्टेट कायम करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है और कानपुर में कुछ ऐसी फैक्ट्रियों को खोलने की जगहें भी लोगों ने ले ली हैं। तीन छोटे इन्डस्ट्रियल इस्टेटों के लिये भी काशी विद्यापीठ (वाराणसी), लोनी और देवबन्द में जमीनें हासिल की जा चुकी हैं और आशा की जाती है कि बजट वर्ष में इन जगहों पर निर्माण के काम में काफी प्रगति होगी। सरकार ने राज्य में विभिन्न उद्योग खोलने के लिये, जहां तक सम्भव था, वित्तीय

सहायता दी है। उद्योग को ऋण सहायता देने के लिये कुछ वर्ष पहले जो यू० पी० फाइनेन्शल कारपोरेशन (U. P. Financial Corporation) कायम किया गया था, उसका काम अब तेजी से आरम्भ हो गया है और कारपोरेशन लगभग १ करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत कर चुका है। इन ऋणों पर ६ प्रतिशत सालाना ब्याज लिया जाता है और किस्तों की अदायगी तुरन्त और नियत तारीखों पर करने की सूरत में आधे प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने भारत सरकार की उदार ऋण योजना (Liberalized Loan Scheme) के अनुसार हर छोटे उद्योगों के लिये अधिक से अधिक ५०,००० रु० तक का ऋण देने के हेतु यू० पी० फाइनेन्शल कारपोरेशन को रुपया दिया है। इन ऋणों पर ३ प्रतिशत सालाना ब्याज लिया जाता है और इस योजना के अनुसार ५३.७५ लाख रु० के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अलावा ऋण तथा अनुदान योजना (Loans and Grants Scheme) के अधीन ऋण और अनुदान दोनों की शक्ल में सरकार वित्तीय सहायता (financial assistance) देती है। इस योजना के अधीन १६.८८ लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं और आशा की जाती है कि वर्ष समाप्त होने के पहले यह रकम ३०.७४ लाख रुपये तक पहुंच जायगी। एक लाख रुपया जिला अधिकारियों को गुड़ विकास योजना के अधीन उन्नत किस्म के कोल्हू और कड़ाहे खरीदने के लिये किसानों को तकावी मंजूर करने के वास्ते दिया गया है।

बिजली

२१––इस राज्य में उद्योगों के विकास के लिये बिजली पैदा करना अत्यन्त आवश्यक है और इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि पिछले कुछ वर्षों में उद्योगों पर जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है उसके फलस्वरूप बिजली के साधनों के विकास पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाय। प्रथम योजना की अवधि के पहले एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट के काम कुछ पश्चिमी जिलों तक सीमित थे जिनको गंगा ग्रिड से बिजली मिलती थी। लेकिन १९५३ में पूर्वी क्षेत्र की बिजली योजना (Eastern Area Power Project) राज्य के पूर्वी जिलों में कृषि, उद्योग तथा दूसरे विकास प्रयोजनों के वास्ते बिजली की व्यवस्था करने के लिये प्रारम्भ की गई थी। १९५४ में मैनपुरी, फर्रुखाबाद और इटावा जिलों के विकास के लिये मैनपुरी स्टीम स्टेशन बनाने का काम शुरू किया गया। खटीमा में शुरू-शुरू की कुछ कठिनाइयों पर काबू पा जाने के बाद वहां का पावर स्टेशन भी चालू किया गया और गंगा नहर पर पथरी में एक पावर स्टेशन बनाया गया। १९५६ से १९६१ तक के वर्षों के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना (ambitious plan) बनाई गई और दूसरी स्कीमों में यह तजवीज की गयी कि यमुना हाइडल स्कीम (Hydel Scheme), माताटीला प्रोजेक्ट (Mata Tila Project) का बिजली का काम और हरदुआगंज में एक नया स्टीम स्टेशन कायम करने का काम प्रारम्भ किया जाय। यमुना हाइडल स्कीम के काम को दो हिस्सों में करना था, लेकिन भारत सरकार की सलाह से इस स्कीम के पहले हिस्से का काम इसलिये रोक दिया गया कि उस क्षेत्र के, जहां पहले हिस्से के अधीन पावर हाउस बनाया जाने वाला था, पंजाब में कुछ हाइड्रो एलेक्ट्रिक निर्माण-कार्य के कारण डूब जाने की आशंका थी इसलिये हमें यमुना हाइडल स्कीम (Hydel Scheme) के दूसरे हिस्से का काम सिर्फ कुछ अनुसंधान तक सीमित रखना पड़ा। माताटीला प्रोजेक्ट (Mata Tila Project) के बिजली के काम में विदेशी मुद्रा (foreign exchange) की दिक्कतें सामने आईं और इस वजह से उसे छोड़ देना पड़ा। हरदुआगंज पावर स्टेशन का विस्तार करने के लिये जितनी विदेशी मुद्रा (foreign exchange) की आवश्यकता थी वह भी हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाये हैं। लेकिन इस सिलसिले में भारत सरकार से बातचीत हो रही है और पूरे तौर पर यह आशा की जाती है कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट (project) को पूरा करने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा (foreign exchange) दे देगी। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा ग्रिड (Ganga Grid) पर पहले ही से बहुत ज्यादा भार है और अगर निकट भविष्य में हरदुआगंज पावर स्टेशन का विस्तार नहीं किया जाता है तो इस बात का डर है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास ठप हो जाय।

[श्री सैयद अली जहीर]

२२—दूसरी योजना के पहले तीन वर्ष के दौरान में पूर्वी जिलों में सोहावल, गोरखपुर और मऊ तीन स्टीम स्टेशन चालू किये गये। स्टेट ट्यूबवेल (State tube-well) और कस्बों में बिजली पहुंचाने के लिये बहराइच में भी एक डीजल (Diesel) स्टेशन चालू किया गया है। इस तरह पूर्वी जिलों में बड़ी मात्रा में बिजली पहुंचा दी गई है ताकि इस घनी आबादी के इलाके में छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योग-धंधों का विकास हो सके। पूर्वी जिलों में पैदा की गई बिजली से करीब १,५०० स्टेट ट्यूबवेल्स भी चल रहे हैं और इस तरह सूखा पड़ने की जो आशंका थी उसे दूर कर दिया गया है। शारदा क्षेत्र में भार (load) तेजी से बढ़ रहा है और बिजली की अधिकतम मांग (peak demand) १२,००० किलोवाट तक पहुंच चुकी है।

बजट वर्ष में सोहावल, गोरखपुर और मऊ के हर एक स्टीम स्टेशन में ५,००० किलोवाट क्षमता (capacity) की तीसरी मशीन लगा दी जायगी और सोहावल और गोंडा के दरमियान ६६ के० वी० लाइन (66 k.V. line) और मऊ और गोरखपुर के दरमियान एक दूसरी ६६ के० वी० लाइन (66 k.V. line) बनाने का काम पूरा कर दिया जायगा।

रिहन्द बांध

२३—रिहन्द प्रोजेक्ट, जिसकी तखमीनी लागत ४६·०५ करोड़ रुपये है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी योजनाओं में से एक है और जब वह तैयार हो जायगा तो उससे २,५०,००० किलोवाट बिजली मिलने की आशा है। नागरिक निर्माण-कार्य (civil works) की प्रगति हो रही है और जून, १९६१ तक उनके पूरे हो जाने की आशा है। जहां तक बिजली के काम का प्रश्न है जनरेटिंग प्लान्ट (generating plant) संबंधी ठेके (contract) को कुछ समय पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और निर्माताओं (manufacturers) को दिसम्बर, १९६१ तक मशीन लगाने का काम पूरा कर देना है। बांध के निर्माण में कुल ६०० लाख क्यूबिक फीट कंक्रीट लगेगी और २०० लाख क्यूबिक फीट कंक्रीट लगाई जा चुकी है। बिजली पहुंचाने की खास लाइनों (main transmission lines) के निर्माण के लिये भी आर्डर दिया जा चुका है। पावर हाउस के सब-स्ट्रक्चर में ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर्स लगा दिए गये हैं और उन्हें गाड़ दिया गया है। मशीन नं० २ और ३ की स्पाइरल केसिंग बनाई जा चुकी है और दूसरी मशीनों पर काम हो रहा है। मशीन नं० ३ की स्पीड रिंग्स (speed rings) बनाई जा चुकी हैं।

१९५९–६० के वर्ष में बांध में खुदाई, ग्रेडिंग और कंक्रीट का काम जारी रहेगा और आशा है कि २०० लाख क्यूबिक फीट कंक्रीट और लगा दी जायगी और खास बांध में पेन स्टाक गट, स्लुइस गट, टेंटर गेट और एलीवेटर्स लगा दिये जायेंगे। रिहन्द पावर स्टेशन में बिजली प्लांट का निर्माण जारी रहेगा और आशा है कि मशीन नं० १ के घूमने वाले हिस्से को लगाने का काम मार्च, १९६० तक प्रारम्भ हो जायगा। आउटडोर सब-स्टेशन के लिये स्टील स्ट्रक्चर्स लगाने का काम भी हाथ में ले लिया जायगा और पावर स्टेशन के लिये पावर और कंट्रोल केबुल की सप्लाई शुरू हो जायगी।

शिक्षा

२४—अब मैं सामाजिक सेवाओं के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र का उल्लेख करता हूं जिसमें शायद शिक्षा को गौरव का स्थान दिया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है और इसकी झलक खर्चे के उन आंकड़ों में मिलती है जो १९४६–४७ के लगभग ३१९ लाख रुपये से, जबकि कांग्रेस ने राज्य में शासन की बागडोर हाथ में ली थी, बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष में लगभग १६·०४ करोड़ रुपया हो गया है। १९४६–४७ में २०,०४८ प्राइमरी

स्कूल थे, जिसमें ४२,३१९ अध्यापक और १५,७५,५०८ विद्यार्थी थे, इसके मुकाबले में १९५७–५८ में ३५,०४७ प्राइमरी स्कूल थे, जिनमें ८५,३५३ अध्यापक और ३२,५७,००९ विद्यार्थी थे। जहां तक जूनियर हाई स्कूलों का प्रश्न है १९४६–४७ में १,८५० ऐसे स्कूल थे जिनमें ११,३८१ अध्यापक और २,४७,८४१ विद्यार्थी थे, इसके मुकाबले में १९५७–५८ में ३,९८१ स्कल, २१,१४४ अध्यापक और ४,५६,६०० विद्यार्थी थे। हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कालेजों की भी इसी तरह संख्या बढ़ी है। १९४६–४७ में कुल मिलाकर ५०६ हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कालेज थे जिनमें अध्यापकों की संख्या ९,१८७ थी और छात्रों की संख्या २,०३,२५५ थी। इसकी अपेक्षा १९५७–५८ में हायर सेकेंड्री स्कूलों की संख्या बढ़कर १,५८४ हो गई, जिनमें ३०,६६८ अध्यापक और ७,२३,३३७ छात्र थे। इसी अवधि में डिग्री कालेजों की संख्या १६ से बढ़कर ८४ हो गई और यूनिवर्सिटियों की संख्या ५ से बढ़कर ८ हो गई।

२५—दूसरी योजना की अवधि में शिक्षा-योजना के लिये १५ करोड़ रुपये का खर्च अंतिम रूप से तय हुआ है। देहाती इलाकों में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये योजना की अवधि में ५,००० नये प्राइमरी स्कूलों को खोलने का निश्चय किया गया है और इनमें से योजना के पहले दो वर्षों में १,५०० स्कूल खोले जा चुके हैं और चालू वित्तीय वष में १,२५० और स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके अलावा २,३३८ वर्तमान स्कूलों की इमारतों के सुधार और ८० नयी इमारतों के बनाने के लिये स्थानीय निकायों (Local Bodies) को सहायक अनुदान (Grants-in-aid) दिये गये हैं। योजना की चालू अवधि में ९२ नय सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये हैं। ३३० स्कूलों में क्रैफ्ट (craft), २२५ स्कूलों म जनरल साइंस (General Science) और ४० स्कूलों में कृषि का विषय शुरू कर दिया गया है और ६८० स्कूलों में लाइब्रेरियों (libraries) की व्यवस्था कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में ४० नये स्कूल खोले जा रहे हैं, ७० स्कूलों में क्रैफ्ट (craft) का विषय और १०० स्कूलों में जनरल साइंस का विषय प्रारम्भ किया जा रहा है और १५० स्कूलों में लाइब्रेरियों की व्यवस्था की जा रही है। हायर सेकेन्ड्री शिक्षा के क्षेत्र में भी योजना की चालू अवधि में काफी काम किया गया है। वेतन की अनिवार्य दरों (mandatory scales of pay) में तरक्की दिये जाने के कारण जो सरकार व्यय का हिस्सा देती है उसको एक तिहाई से बढ़ाकर तीन-चौथाई कर दिया गया है। ५५ स्कूलों के लिये इमारत बनाने के अनुदान (building grant) की व्यवस्था की गई है, २४ स्कूलों के लिये खेल के मैदानों की खरीद के लिये अनुदान (grant) की और ३० स्कूलों के लिये बसें खरीदने के अनुदान (grant) की व्यवस्था की गई ह। १२७ नये स्कूलों को सहायक अनुदान की फेहरिस्त (Grant-in-aid list) म रखा गया ह, १० स्कूलों में टेक्निकल (technical) शिक्षा जारी कर दी गई है और उतने ही स्कूलों में जनरल साइंस का विषय भी आरम्भ कर दिया गया है। २५० स्कूलों को अपनी लाइब्रेरियां बनाने के लिये सहायता दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग ६० नये स्कूलों को इस सहायक अनुदान की फेहरिस्त (Grant-in-aid list) में शामिल किया जा रहा है और इमारतों, फ़रनीचर वगरह के लिये वास्तविक अनावर्त्तक अनुदान (substantial non-recurring grants) दिये जा रहे हैं।

२६—बजट वर्ष के लिये शिक्षा की मद पर ३५७.५८ लाख रुपये की अधिकतम धनराशि (ceiling) रखी गई है। इस अधिकतम धनराशि (ceiling) से १५० सीनियर बेसिक स्कूलों और ९० हायर सेकेन्डरी स्कूलों में लाइब्रेरियों की व्यवस्था करने का इरादा है, १६ हायर सेकेंडरी स्कूलों को इमारत बनाने का अनुदान (building grant) दिया जायगा और ६० नये हायर सेकेंडरी स्कूलों को सहायक अनुदान (Grant-in-aid) की सूची (list) में शामिल कर दिया जायगा। भारत सरकार ने पढ़े-लिखे बेकारों की सहायता के लिये प्राइमरी स्कूल खोलने की एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम को भारत सरकार की सहायता से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और १९५९–६० में १,४२५ नये दो-अध्यापक (teacher) वाले प्राइमरी स्कूलों को खोलने का विचार है। इस स्कीम के अन्तर्गत रखी गयी अध्यापिकाओं के लिये २३० क्वार्टरों का भी व्यवस्था की जायगी।

[श्री सैयद अली जहीर]

चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य

२७—राज्य में चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के काम बराबर प्रगति कर रहे हैं। मलेरिया को जड़ से उखाड़ने के लिये एक राज्यव्यापी कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है। इस स्कीम के अधीन ४७ यूनिट खोलने की तजवीज है, जिनमें से २० यूनिट चालू वित्तीय वर्ष में खोल दिये गये हैं और बाकी बजट वर्ष में खोले जायंगे। राज्य में छः फाइलेरिया (filaria) कन्ट्रोल यूनिट चल रहे हैं और १९५९–६० में २ और यूनिट खोलने की तजवीज है। परिवार नियोजन योजना (Family Planning Scheme) के काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य में एक परिवार नियोजन बोर्ड (Family Planning Board) कायम कर दिया गया है और ६२ परिवार नियोजन केन्द्र पहले ही से चालू हैं। बजट वर्ष में पैंतीस और केन्द्र खोलने की तजवीज है और साथ ही एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जायगा। बजट वर्ष में कोढ़ियों की चिकित्सा के कार्य को भी फिर से संगठित किया जायगा और इसके लिये १ लाख रुपये की प्रतीक व्यवस्था (token provision) की गयी है। राज्य में पन्द्रह बी० सी० जी० (B. C. G.) टीमें पहले ही से काम कर रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में पांच टी० बी० क्लिनिक (Clinics) खोले जा रहे हैं और ७ और क्लिनिक बजट वर्ष में खोलने की तजवीज है। तपेदिक के जिन मरीजों की बीमारी बहुत काफी बढ़ चुकी हो उन्हें अलग से रखने की एक स्कीम हरद्वार में कार्यान्वित की जा रही है। चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य की मिली जुली सेवाओं (services) की व्यवस्था देहाती इलाकों में प्राइमरी हेल्थ स्कीम (primary health scheme) के अन्तर्गत की जा रही है। १९५७–५८ में ब्लाक इलाकों में १०४ प्राइमरी हेल्थ यूनिट (primary health unit) कायम किये गये थे और इस तरह की ३०५ यूनिटें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में कायम की जायंगी। बजट वर्ष में ३० और प्राइमरी हेल्थ सेंटर (primary health centre) एन० ई० एस० ब्लाकों के इलाकों में खोलने की तजवीज है। इलाज कराने वाले मरीजों को, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है, राहत देने के लिये लखनऊ में १९५९–६० में दो आउटडोर डिस्पेंसरीज (outdoor dispensaries) खोलने की व्यवस्था की गयी है और इस स्कीम को आगे चल कर कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद के शहरों में चलाने का भी इरादा है।

खाद्य और रसद

२८—अब मैं कुछ शब्द खाद्य-स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि मौसम विपरीत होने के कारण देश में १९५७–५८ में रबी के अनाजों की पैदावार पर बुरा असर पड़ा और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली खरीफ के समय बाजरे की फसल को व्यापक क्षति पहुंचने से स्थिति और भी बिगड़ गई। इन असाधारण परिस्थितियों के फलस्वरूप इस साल गल्ले की कीमतें असाधारण रूप से बढ़ गई हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने ४,५५२ सस्ते गल्ले की दूकानें (fair price shops) खोल दी हैं, जिनके द्वारा पहिली अप्रैल, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक की अवधि में १·२८ करोड़ मन गल्ला वितरित किया जा चुका है। सस्ते गल्ले की दूकानों (fair price shops) में बेचे जाने वाले इस गल्ले का दुरुपयोग न हो इसके लिये आठ प्रमुख शहरों में आइडेंटिटी कार्ड स्कीम (Identity Card Scheme) चालू की गई है। आशा है कि मार्च, १९५९ के अन्त तक इन दूकानों के जरिये चालू वित्तीय वर्ष में १.७५ करोड़ मन कुल गल्ला वितरित कर दिया जायगा। यह भी आशा की जाती है कि मौजूदा रबी की पैदावार के, जिसके कि अच्छी होने के लक्षण नजर आते हैं, बाजार में आ जाने पर अनाज की कमी दूर हो जायगी, और कीमतें अपने साधारण स्तर पर आ जायेंगी।

बजट की विशेष महत्वपूर्ण मदें

२९—अध्यक्ष महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कुछ ऐसी बातों की चर्चा करना चाहता हूं जिनमें इस सदन के माननीय सदस्यों को खास दिलचस्पी हो सकती है। माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से यूनियन का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा नहीं है। यहां जमीन की अपेक्षा आबादी बहुत ज्यादा है और कृषि के लिये इस बढ़ती हुई आबादी का भार उठाना अधिक कठिन होता जा रहा है। स्पष्ट है कि इस शीघ्र बढ़ती हुई आबादी के लिये कोई दूसरा धंधा ढूंढ़ निकालने के उद्देश्य से औद्योगीकरण (industrialization) को तेजी से बढ़ाना आवश्यक है। इसी कारण राज्य सरकार पिछले कुछ सालों से राज्य के औद्योगीकरण के लिये भरसक कोशिश करती आ रही है। भारत सरकार से हम जितने जोर के साथ कह सकते हैं कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर (public sector) और प्राइवेट सेक्टर में वह जो उद्योगों को खोल रही है उनमें उत्तर प्रदेश का आनुपातिक भाग होना चाहिये। भारत सरकार ने एक लोकोमोटिव कम्पोनेन्ट फैक्टरी वाराणसी में खोल दी है जिसके लिये हम उसके आभारी हैं और हमें आशा है कि बरेली में खोले जाने वाले एक सिंथेटिक रबर प्लांट के लिये भी वह हमें सहायता देगी। परन्तु इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े गुंजान आबादी वाले और महत्वपूर्ण प्रदेश के लिये यह बहुत कम है और अगर हमें अपने हिस्से भर के औद्योगिक कारखाने मिलें तो उत्तर प्रदेश में बहुत से कारखाने स्थापित होने चाहिये। श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी इस मांग का समर्थन करेगा कि उत्तर प्रदेश को उद्योगों का वाजिब हिस्सा मिलना चाहिये। यदि हमें इस राज्य में गरीबी और बेकारी की विषम समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाना है तो यह हमारे लिये जिन्दगी और मौत का प्रश्न है। हमें आशा है कि भारत सरकार भी इस मामले की आवश्यकता और महत्व का अनुभव करेगी और हमें वह हिस्सा देने से इंकार नहीं करेगी, जिसके हम देश के सुनियोजित विकास (planned development) के प्रोग्राम में हकदार हैं। सदन इससे सहमत होगा कि अगर सिर्फ उन्हीं राज्यों को, जहां पहले ही से काफी औद्योगीकरण हो चुका है और भी अधिक उद्योग दे दिये जायं और जो राज्य इस बारे में पिछड़े हुये हैं उन्हें इससे वंचित रखा जाय, तो प्लानिंग का कोई अर्थ नहीं रह जायगा।

३०—जहां हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हमें केंद्र-पोषित उद्योगों में वाजिब हिस्सा दे वहां स्वयं हमें भी राज्य में उद्योगों को बढ़ाने के लिये प्रयत्न करने होंगे। जैसा कि सदन को मालूम है, इसी उद्देश्य से पिछले चन्द सालों में हमने कुछ उद्योगपतियों (industrialists) को उत्तर प्रदेश में तरह-तरह की फैक्ट्रियां कायम करने के लिये ऋण दिये हैं। १.४५ करोड़ रुपये का एक कर्जा न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड (New Central Jute Mills Company Limited) को उत्तर प्रदेश में एक सोडा ऐश-कम-एमोनियम क्लोराइड फैक्ट्री (Soda Ash-cum-Ammonium Chloride Factory) कायम करने के लिये दिया गया था। यह फैक्ट्री मुगलसराय में खुल रही है। जमीन प्राप्त करने में शुरू में कुछ देरी हो गयी थी, क्योंकि अदालत ने पहले एक टेम्पोरेरी इन्जंकशन (temporary injunction) दे रक्खा था। अब फैक्ट्री बनने का काम जारी है और आशा की जाती है कि इस साल के मई या जून में तिजारती माल का तैयार होना शुरू हो जायगा। उत्तर प्रदेश में एक रेयां फैक्ट्री (Rayon Factory) और एक टेक्सटाइल मशीन्स फैक्ट्री (Textile Machines Factory) कायम करने के लिये भी थोड़ी रकम के ऋण दिये गये थे और यहां भी कारखाने खोलने की व्यवस्था हो रही है। इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर (private sector) में एक टैक्सटाइल फक्ट्री (Textile Factory) रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन के महकमे (Relief and Rehabilitation Department) द्वारा दिये गये कर्जे की मदद से नैनी में कायम की गई है। बाजपुर और बागपत में जो सहकारी चीनी मिलें (Co-operative Sugar Factories) कायम की जा रही हैं उनका उल्लेख मैं इस भाषण के प्रारम्भ में ही कर चुका हूं। स्विच गियर (Switch-gear) और ट्रांसफार्मर (Transformer) बनाने के लिए भी एक फैक्ट्री नैनी में बन रही

[श्री सैयद अली जहीर]

है। रिहन्द बांध के नजदीक एक एलूमिनियम फैक्ट्री स्थापित करने के लिये भी बातचीत चल रही है। इससे यह जाहिर है कि राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से राज्य के औद्योगीकरण के लिये हर इमकानी कोशिश कर रही है। हमें विश्वास है कि भारत सरकार की मदद से हम औद्योगीकरण को तरक्की देने में और बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। यहां पर इसका जिक्र करना भी शायद अनुचित न होगा कि वाराणसी-मुगलसराय-मिर्जापुर के इलाके में नये उद्योग स्थापित करने की अनेक सुविधायें मौजूद हैं। उद्योगों की एक विशेष आवश्यकता बिजली होती है जोकि निकट भविष्य में रिहन्द बांध प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर इस इलाके में बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगी। कोयले तथा लोहे की खानें भी यहां से दूर नहीं हैं और साथ ही इस इलाके से सभी मेन रेलवे लाइन (main railway lines) गुजरती हैं जो पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भाग, बिहार, बंगाल, दक्षिणी भारत, मध्य प्रदेश और बम्बई को मिलाती हैं। इसके अलावा इस इलाके में मजदूर भी काफी संख्या में हैं और भविष्य में विस्तार के लिये चारों तरफ खुली जमीन भी उपलब्ध है। राज्य सरकार को इसमें कोई संदेह नहीं है कि उद्योगपति इस इलाके की औद्योगिक सम्भावनाओं को जल्दी ही समझ लेंगे और इस इलाके में जो सुविधायें और लाभ उपलब्ध हैं उनके फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि बहुत से नये उद्योग रिहन्द बांध प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ-साथ मिर्जापुर, वाराणसी और मुगलसराय के आस-पास स्थापित हो जायेंगे।

३१—औद्योगीकरण के सिलसिले में हमने इस साल बिजली शुल्क (Electricity Duty) के संबंध में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हमारे राज्य में बिजली सप्लाई की बुनियादी दरें देश के और स्थानों में प्रचलित दरों के अनुरूप हैं, लेकिन इन दरों के अलावा जो बिजली शुल्क लिया जाता है उसके कारण उत्तर प्रदेश में कई और राज्यों की अपेक्षा बिजली का कुल दाम अधिक हो जाता है। करीब दो साल पहले उद्योगों को सहूलियत देने के लिये औद्योगिक खपत के वास्ते बिजली के शुल्क (duty) की दर २५ प्रतिशत से घटाकर २० प्रतिशत कर दी गयी थी और इस तरह हमने उत्तर प्रदेश में उद्योग को कुछ राहत दी थी। सरकार यह अनुभव करती है कि अब समय आ गया है जबकि उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इसलिये उसने यह निश्चय किया है कि अगले वित्तीय वर्ष के शुरू से औद्योगिक उपभोक्ताओं (industrial consumers) से यह शुल्क बिलकुल न लिया जाय। यह एक बहुत बड़ी रियायत है जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान तथा भावी उद्योगों को दी जा रही है और सरकार को पूरी आशा है कि इस रियायत की कद्र की जायगी और जिस प्रयोजन के लिये यह दी जा रही है वह पूरा होगा। इस रियायत के देने से सरकार की आमदनी हर साल लगभग ५० लाख रुपये कम होगी, लेकिन फिर भी सरकार ने राज्य के हितों का अधिक ख्याल करके इस रियायत को देना मंजूर कर लिया है।

३२—बिक्री-कर के संबंध में मैं यहां पर गल्ले पर लगाये गये बिक्री-कर की प्रणाली का उल्लेख कर देना चाहता हूं। इस समय गल्ले पर बिक्री-कर 'स्लैब आधार' पर कर-मुक्ति शुल्क (exemption fee) के रूप में लगाया गया है। ऐसे गल्ले के व्यापारियों को जिनका वार्षिक विक्रय-धन (turnover) १२,००० रु० तक हो, १८ रु० का वार्षिक शुल्क (annual fee) देना पड़ता है। १२,००० रुपये से अधिक और २५,००० रुपये तक के सालाना विक्रय-धन (turnover) पर १५० रुपये का वार्षिक शुल्क और उच्च स्लैब के वास्ते ८,००,००० रुपये तक के सालाना विक्रय-धन (turnover) के लिये क्रमशः उच्च दरें नियत की गई हैं, इसके बाद विक्रय-धन (turnover) में बढ़ती होने के साथ-साथ 'कर-मुक्ति शुल्क' (exemption fee) में बढ़ती नहीं होती। स्लैब आधार पर कर-मुक्ति शुल्क की इस प्रणाली से यह लाभ तो हुआ है कि इससे व्यापारियों को हिसाब बारीकी से नहीं रखना पड़ता, लेकिन साथ ही साथ इस प्रणाली में कुछ दोष भी है, जिन्हें यहां पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने गल्ले पर बिक्री-कर लगाने की प्रणाली पर काफी विचार किया है और उस समय भी जबकि यह मामला सरकार के विचाराधीन ही था, पिछले साल राज्यपाल

ने अपने भाषण में सदन को यह विश्वास दिला दिया था कि सरकार गल्ले के छोटे व्यापारियों को कुछ सुविधायें अवश्य प्रदान करेगी। मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस आश्वासन की बहुत कुछ पूर्ति होने जा रही है और अब सरकार ने यह निश्चय किया है कि अगले वित्तीय वर्ष से गल्ले के उन व्यापारियों से कोई बिक्री-कर न लिया जाय, जिनका वार्षिक विक्रय-धन (turnover) २५,००० रुपये सालाना से कम हो। केवल गल्ले के ऐसे बड़े-बड़े व्यापारियों पर जिनका वार्षिक विक्रय-धन (turnover) २५,००० रुपये या इससे अधिक हो, समान दर (uniform rate) से एक प्रतिशत बिक्री-कर लगाया जायगा। सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि यह एक अच्छी खासी रियायत है जो गल्ले के छोटे व्यापारियों को दी जा रही है। साथ ही यह नया तरीका अधिक न्यायोचित साबित होगा और यह कर, सभी कर देने योग्य व्यापारियों पर समान दर से लगेगा, चाहे उनका सालाना विक्रय धन कुछ भी हो। साथ ही साथ उपभोक्ता (consumers) पर कर का भार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वर्तमान स्लैब प्रणाली के अन्तर्गत भी अधिकतर स्लैबों में कर के भार का हिसाब एक प्रतिशत या उससे कुछ अधिक ही आता है। इसलिये सरकार को यह विश्वास है कि गल्ले पर लगाये जाने वाले बिक्री-कर की नयी प्रणाली से सभी संबंधित व्यक्तियों को राहत मिलेगी और इससे राज्य में गल्ले पर लगाये जाने वाले बिक्री-कर की रूप-रेखा स्थायी रूप से निश्चित हो जायगी।

३३—गल्ले के सिलसिले में मुझे एक और बात भी कहना है, जिसका संबंध हाल में बढ़ी हुई गल्ले की कीमतों और उसके फलस्वरूप विशेषकर सरकारी नौकरियों में कम तनख्वाह पाने वालों के रहन-सहन का व्यय बढ़ जाने से है। राज्य सरकार के कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की हालत सुधारने के प्रश्न पर सरकार ने हमेशा सबसे पहले ध्यान दिया है और सरकार ने अपने सीमित साधनों को देखते हुये समय-समय पर जो कुछ संभव हो सका है उनके लिये किया है। निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कुछ समय पहले २ रुपया प्रति महीने बढ़ा दी गयी थी। कुछ वर्ष पहले पुलिस कान्स्टेबुलों और हेड कान्स्टेबुलों को ४ रुपया प्रति महीने का खुराक भत्ता भी दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के शुरू में ४०० रु० प्रति महीना तक तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आधा भाग कई प्रयोजनों के लिये उनकी मूल तनख्वाह में शामिल कर दिया गया था। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों (Local Bodies) के ९५ रु० प्रति मास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में १०० रु० प्रति मास तक मार्जिनल ऐडजस्टमेंट (marginal adjustment) के साथ अगस्त, १९५७ से ५ रुपया प्रति मास की दर से अस्थायी रूप से वृद्धि की गई थी। मिलने वाले महंगाई भत्ते में ५ रु० प्रति महीने की इस अस्थायी वृद्धि करने के लिये केंद्रीय सरकार से सहायता मिलने के बावजूद राज्य का वित्तीय भार काफी बढ़ गया है। फिर भी रहन-सहन के खर्च में बढ़ती को देखते हुये और सरकार की इस नीति को ध्यान में रखते हुये कि इस राज्य के लोगों की आय की प्रत्यक्ष असमानता (disparity) दूर की जाय और कम तनख्वाह पाने वाले कमचारियों की आमदनी बढ़ाई जाय, सरकार ने उन कर्मचारियों के, जिनकी कुल तनख्वाह इस बढ़ती के बाद भी १०० रु० प्रतिमास से अधिक न हो, महंगाई भत्ते में २ रु० ५० न० पै० प्रति महीने के हिसाब से अस्थायी रूप से वृद्धि करने का निश्चय किया है। उद्योगों के अलावा दूसरी जगहों में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों (Local Bodies) के कर्मचारियों को भी इस बढ़ती का फायदा दिया जायगा। इस सुविधा के कारण शुरू में २१८ लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च होने का तखमीना है। मगर यह आशा की जाती है कि भारत सरकार इस व्यय का दो-तिहाई हिस्सा बरदाश्त करेगी और बकाया एक-तिहाई यानी लगभग ७३ लाख रुपये का भार इस सरकार पर पड़ेगा। हालांकि राज्य के साधनों को देखते हुए यह खर्च खुद ही बहुत ज्यादा है, फिर भी सरकार ने यह निश्चय किया है कि १०० रुपया और २०० रुपया प्रति महीने के बीच में तनख्वाह पाने वालों के महंगाई भत्ते में भी अस्थायी तौर पर ५ रुपया प्रति महीने की बढ़ोत्तरी की जाय। पहले की सुविधा के समान यह सुविधा स्थानीय निकायों (Local Bodies) के कर्मचारियों को भी

[श्री सैयद अली जहीर]

दी जायगी, और इस पूरे खर्च का भार राज्य सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार १०० रुपया प्रति महीने से अधिक पाने वालों पर किये जाने वाले किसी खर्च को उठाने को तैयार नहीं है।

३४—इस सुविधा के साथ ही साथ यह भी निश्चय किया गया है कि राज्य सरकार के उन सभी कर्मचारियों के, जिन्हें कोई भी महंगाई भत्ता मिलता है, पूरे मूल महंगाई भत्ते को उनकी तनख्वाह में शामिल कर दिया जाय। इस बात से सदन को यह अन्दाज होगा कि हम काफी इस मामले में आगे बढ़ गये हैं, क्योंकि अभी तक केवल ४०० रुपये प्रति माह की तनख्वाह तक सिर्फ आधा महंगाई भत्ता तनख्वाह में शामिल था। सफर भत्ते की बढ़ी हुई दरों, कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड में सरकार के और अधिक अंशदान और रिटायर होने पर पेंशन में होने वाली वृद्धि से कर्मचारियों को जो लाभ होगा वह अच्छा खासा होगा और मुझे विश्वास है कि इस सुविधा से लाभ उठाने वाले लोग इस बात की पूरी कद्र करेंगे।

३५—सरकारी और स्थानीय निकायों के कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के वेतन आदि में वृद्धि करने के प्रश्न के साथ ही साथ, सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं (aided educational institutions) में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन आदि में वृद्धि करने के प्रश्न की ओर भी सरकार बहुत अर्से से विचार कर रही है। शिक्षा के विषय का जिक्र करते हुये मैं उस बढ़े हुये भार का उल्लेख कर चुका हूं, जिसे सरकार उन वेतन-वृद्धियों के संबंध में अपने ऊपर ले चुकी है जिनकी व्यवस्था सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के लिये कई वर्ष पहले निर्धारित अनिवार्य वेतन-क्रमों (mandatory scales of pay) में की गई थी। किन्तु रहन-सहन के व्यय में हाल की वृद्धि को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों को शीघ्र ही कोई सहायता दी जाय। इसलिये सरकार ने जूनियर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पाये हुये अध्यापकों से लेकर डिग्री कालेजों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के सभी ग्रेडों के वेतन-क्रमों को संशोधित करने और उनके लिये पर्याप्त रूप से उच्चतर वेतन-क्रम निर्धारित करने का निश्चय किया है। मैं यहां उन वेतन-क्रमों के बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा, जिन्हें सरकार निर्धारित करने का विचार करती है। इनकी चर्चा बाद में मेरे सहयोगी गृह मंत्री जी सदन में शिक्षा अनुदान पर बहस होते समय करेंगे। यहां यह कहना काफी है कि सरकार के सीमित साधनों को देखते हुये ये वृद्धियां अच्छी खासी हैं और इनसे ऐसी श्रेणी के लोगों को काफी राहत मिलेगी जो सरकार की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण और कठिन कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं और जिनके कंधों पर हमारी भावी पीढ़ियों के चरित्र-निर्माण और विचारों को उन्नत करने का भारी उत्तरदायित्व है।

उपसंहार

३६—अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने बजट प्रस्तावों को पेश कर चुका। मुझे अब आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से सिर्फ यह निवेदन करना है कि वे बजट के प्रस्तावों का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करें और जिस नये उत्तर प्रदेश के निर्माण का स्वप्न हम देख रहे हैं और जिसे पूरा करने में हम सब लोग लगे हुये हैं, उसकी विशालता और पवित्रता को महसूस करें। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह फिर निवेदन करूंगा कि वे सिर्फ ऐसी उपयोगी और व्यावहारिक आलोचना और सुझाव देने की कृपा करें जिनसे सरकार को इस राज्य के लोगों की उन जटिल समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिले जो कि इस समय उनके सामने हैं। वित्तीय, टेक्निकल और अन्य साधनों के सीमित होने और साथ ही दूसरे कारणों से हमारी जो खामियां हैं उन्हें हम सब अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब लोग, जो इस समय यहां मौजूद हैं और राज्य के बाकी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पक्का

इरादा कर लें और उन सब कठिनाइयों को, जो कि हमारे सामने हैं, दृढ़ संकल्प, बुद्धिमानी और सच्चे सहयोग की भावना से दूर करने का प्रयास करें तो हम मुकाबलतन थोड़े ही समय में उसको प्राप्त कर लेंगे।

३७—श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं वित्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बजट के, जो मेरा पहला बजट है, बड़े परिश्रम से तैयार करने के लिये धन्यवाद देता हूं। श्री बी० बी० लाल, जो आयुक्त तथा वित्त सचिव हैं, इस राज्य का वित्त-प्रबन्ध बड़ी योग्यता और जागरूकता से कर रहे हैं। इस थोड़े से अर्से में जब से मैंने इस विभाग का कार्य-भार लिया है, उन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि और कर्तव्य-निष्ठा का परिचय देकर मुझे बड़ी सहायता दी है। वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों में मैं श्री वी० एम० भिडे का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं जो हाल ही में वित्त विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में आये थे और अब वित्त विभाग के विशेष सचिव नियुक्त किये गये हैं। श्री भरत नारायन एक और बहुत योग्य, परिश्रमी और लगन से काम करने वाले अधिकारी हैं, जिन्होंने इस बजट के तैयार करने तथा अन्य ऐसे कई मामलों में, जिनसे उनका संबंध है, बड़ी सहायता दी है। वित्त विभाग में बजट सेक्शन के इंचार्ज उप-सचिव, श्री एन० सी० रे को इस बजट के तैयार करने में अत्यधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ा है और मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि उन्होंने कार्यक्षमता, योग्यता तथा तत्परता से कार्य करने की अपनी ख्याति बनाए रखी है। इन अधिकारियों तथा वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का भी मैं बहुत आभारी हूं। गवर्नमेंट प्रेस के उन अधिकारियों और कर्मचारियों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने समय पर बजट साहित्य के प्रकाशन के लिये दिन-रात काम किया है। इसी के साथ-साथ मैं भाषा विभाग के कर्मचारियों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने बजट साहित्य की तैयारी में पूरी सहायता दी है और कठिन परिश्रम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं १९५९–६० का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—दि क्लाक सेज फोर ट्वेन्टी (The clock says 4·20.)।

श्री अध्यक्ष—माननीय गृह मंत्री अब अपना वक्तव्य दें।

माध्यमिक शिक्षक संघ की हड़ताल के नोटिस के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मन्त्री का वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, आपकी आज्ञा से नियम ५२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की हड़ताल के नोटिस के संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। पहले इसके कि मैं कुछ बातें कहूं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से कोई नोटिस परीक्षा के बहिष्कार तथा सामूहिक सत्याग्रह के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु यह प्रश्न किया गया है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकर्त्ता सरकार से बराबर मिलते रहते हैं और उनकी क्या आवश्यकतायें हैं इसकी कुछ जानकारी सरकार को रहती है। तदनुसार मैं आपकी आज्ञा से यह वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं कि माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की एक प्रतिनिधि संस्था है। समय-समय पर संघ के प्रतिनिधियों ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर प्रस्ताव पास किये और शासन के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया। शासन ने भी शिक्षकों की मांगों पर विचार किया। संघ के प्रतिनिधि मंडल समय-समय पर मिलकर मुझसे विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श भी कर चुके हैं। शिक्षकों के प्रतिनिधि २३ दिसम्बर, १९५७ तथा १७, १८ फरवरी, १९५८ को सरकार द्वारा आमंत्रित अध्यापक प्रबंधक सम्मेलन में भी अपनी मांगों को विशद रूप से रख चुके हैं। गत नवम्बर, १९५८ में पुनः एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिला और उसने अपनी मांगों के सम्बन्ध में एक स्मृति-पत्र दिया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

शासन बराबर शिक्षकों की विभिन्न मांगों के प्रति सजग रहा है और उन पर उसका दृष्टि-कोण सहानुभूतिपूर्ण रहा है । सदैव प्रयत्न यह रहा है कि यथासम्भव शिक्षकों की उचित मांगें पूरी की जायं । संक्षेप में शिक्षकों की मांगें निम्नांकित हैं :—

१—वेतन-क्रम तथा महंगाई भत्ते में समानता—राजकीय तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं में समान वेतन-क्रम और भत्ते हों ।

२—सेवा नियम—सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिये वैसे ही नियम हों जो सरकारी संस्थाओं के लिये हैं ।

३—प्राविडेंट फंड—सरकारी अंशदान बढ़ा दिया जाय ।

४—सेवा निवृत्ति की अवस्था—६० से ६५ वर्ष कर दी जाय ।

५—सेवा सुरक्षा—अध्यापक प्रबंधक एग्रीमेंट जिन मामलों में अभी नहीं हुये हैं, पूरे किये जायं ।

६—मध्यस्थ मंडल—इनका संचालन सुचारु रूप से हो और निर्णयों को कार्यान्वित कराया जाय ।

७—चिकित्सा संबंधी सुविधायें—सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को वे ही चिकित्सा संबंधी सुविधायें उपलब्ध हों जो राजकीय संस्थाओं के अध्यापकों को प्राप्त हैं ।

८—बोर्ड की परीक्षाओं में अन्वीक्षकों (इंविजिलेटरों) की सुरक्षा ।

९—निःशुल्क शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के बच्चों को किसी भी संस्था में निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध ।

१०—मैटरनिटी अवकाश—सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में महिला अध्यापकों को उक्त छुट्टी दी जाय ।

उक्त सभी मांगों पर विचार किया गया और वस्तुस्थिति प्रत्येक विषय पर निम्नांकित है :—

वेतन-क्रम तथा महंगाई भत्ते की समानता का प्रश्न वित्तीय है । राज्य सरकार के समक्ष अनेकों समस्याएं हैं जिन सब के लिये धन की आवश्यकता है । पंचवर्षीय योजना, खाद्य संकट प्रभृति सभी समस्याओं के लिये धन जुटाना एक विकट प्रश्न है । साथ ही साथ शिक्षा की उन्नति तभी सम्भव है जब कि शिक्षक वर्ग संतुष्ट हो और दत्तचित्त होकर अपना कार्य करे । समान कार्य के लिये समान वेतन की मांग के औचित्य पर आक्षेप करना तो उपयुक्त न होगा, परन्तु प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखकर ही ऐसे मामलों में जिनमें लाखों रुपये का वित्तीय प्रश्न हो, निर्णय लेना है । पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है । उसकी घोषणा बजट प्रस्तुत करते समय निश्चित तथा स्पष्ट शब्दों में शासन की ओर से आज ही हुई है । शिक्षा बजट प्रस्तुत करते समय मैं स्वयं अध्यापकों के वेतन-क्रम में जो बढ़ोत्तरी की गई है, उस पर पूर्ण प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा और उन्हें सविस्तार बताऊंगा । मुझे आशा ही नहीं वरन् विश्वास है कि इन नवीन वेतन-क्रमों से हमारे अध्यापकों को संतोष होगा और उनका आर्थिक कष्ट भी बहुत कुछ कम हो जायगा ।

उक्त वेतन-क्रमों को लागू करने में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को दिये जाने वाले सरकारी अनुदान में भी भारी वृद्धि हो जायगी ।

२—सेवा नियमों को दृढ़ता प्रदान करने तथा उन्हें कानूनी बल देने के लिए इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ बना दिया गया है । अधिनियम के अंतर्गत सेवा नियम बनाये जा रहे हैं और उन सब के लागू हो जाने पर यह समस्या स्वयमेव हल हो जायगी ।

३——प्राविडेंट फंड के सम्बन्ध में सम्प्रति अध्यापक प्रति रुपया एक आना तथा प्रबन्धक आधा आना देते हैं । अवकाश प्राप्ति के अवसर पर राज्य सरकार अध्यापक के फंड में जो भी जमा राशि रहती है उसके योग का आधा देती है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण राजकीय अंशदान की वर्त्तमान दर बढ़ाना सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य किंचित् सुविधाओं क प्रदान किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

४——अध्यापकों के सेवा काल के बढ़ाये जाने के प्रश्न पर भी अभी विचार हो रहा है । इससे सम्भव लाभ और हानियों को विचारगत रख कर ही निर्णय लिया जायगा ।

५——किसी भी अध्यापक को प्राइवेट ट्यूशन करने से रोका नहीं जाता, केवल प्रतिबन्ध है कि प्रत्येक अध्यापक दो ट्यूशन करे और प्रबन्धक की अनुमति से, दो से अधिक भी कर सकता है । ट्यूशनों के लिये खुली छूट दे देना शिक्षा तथा शिक्षकों के भी हित में न होगा ।

६——अध्यापक प्रबन्धकों के बीच एग्रीमेंट के लिये बराबर समय समय पर आदेश जारी किये गये हैं कि इनका पूरा होना अत्यन्त आवश्यक है । ऐसी संस्थाओं के, जिन्होंने एग्रीमेंट पूरे नहीं किये, अनुदान रोकने के भी आदेश दिये गये हैं । इसका और सख्ती से पालन किया जायगा ।

७——मध्यस्थ मंडलों का संचालन सुचारू रूप से होता है । अब इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा १६–जी के अन्तर्गत रीजनल अपीलेट समितियां बनेंगी जिनको कानूनी अधिकार प्राप्त होगा । अपीलेट कमेटियों का संचालन कानूनी ढंग से होगा । ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई कि वर्त्तमान मध्यस्थ मंडलों में कोई गड़बड़ी हुई । निर्णयों के कार्यान्वित कराने का कार्य विभाग द्वारा बराबर होता रहा है और अध्यापकों का बकाया वेतन संस्था के अनुदान से काट कर देने के आदेश पहले से ही हैं ।

८——आवश्यक राजकीय परिपत्र तथा शिक्षा संबंधी नियमों की प्रतियां जो अध्यापकों की सेवा आदि से सम्बन्धित हो उनको संघ को भी भेजने के आदेश दे दिये गये हैं ।

९——चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये बजट में १०० रुपये का टोकेन प्राविधान चालू वर्ष के बजट में है । प्रश्न व्यावहारिक दृष्टि से जटिल है । अस्पतालों में व्यवस्था आदि की समस्या है । सम्पूर्ण प्रश्न अभी चिकित्सा, शिक्षा तथा वित्त विभागों में विचाराधीन है ।

१०——बोर्ड की परीक्षाओं में इनविजिलेटरों तथा केन्द्राध्यक्षों को सुरक्षा प्रदान करने के हेतु इंटरमीडियेट (संशोधन) विधेयक, १९५९ सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके द्वारा उक्त व्यक्तियों को परीक्षा काल तथा उसके आगे पीछे पर्याप्त समय के लिये राजकीय कर्मचारी घोषित करने का प्रस्ताव है । इससे समस्या के समाधान हो जाने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

११——एजूकेशन कोड के पैरा १०७ के अन्तर्गत सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धकों को कहा गया है कि वे अपनी संस्था के २०० रुपये मासिक पाने वाले अध्यापकों के बच्चों को जो उसी संस्था में पढ़ते हों निःशुल्क कर दें । यह सुविधा संस्थाओं में प्रदान की जाती है । इससे अधिक देना एक वित्तीय प्रश्न है जिस पर अभी विचार करना सम्भव नहीं प्रतीत होता ।

१२——सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को वे ही अवकाश सम्बन्धी नियम, जो राजकीय संस्थाओं के अध्यापकों को प्राप्त हैं, दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है । मैटर्निटी छुट्टी उसी का एक अंग है । प्रश्न वित्तीय है । निर्णय होते ही यह सुविधा भी प्रदान की जा सकती है ।

१३——इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत यह प्राविधान कर दिया गया है कि रीजनल अपीलेट कमेटियों के निर्णय का किसी न्यायालय में विरोध नहीं होगा । ऐसी स्थिति में ऐसी सम्भावना कम है कि विरोध हो । परन्तु यदि किसी वैधानिक प्रश्न को ले कर विरोध होता है तो कमेटी के सदस्यों की रक्षा का भार सरकारी कोष से होगा ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इससे स्पष्ट है कि संघ की लगभग सभी प्रमुख मांगें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और शेष पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है। मैं ऐसी आशा नहीं करता कि अध्यापक वर्ग जो स्वयं प्रबुद्ध हैं और जिससे यह आशा की जाती है कि वह दूसरों का पथ-प्रदर्शन करेगा, वह कोई ऐसा कदम न उठायेगा जो शिक्षा तथा समाज के हित में न हो।

सरकार अध्यापकों के हित और कल्याण के प्रश्नों के सम्बन्ध में सतर्क और सजग है और हमें आशा है कि सुविधानुसार और शक्ति भर वह उनकी सहायता करने में पीछे नहीं रहेगी जिससे वे मन लगा कर और दत्तचित्त होकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बता सकते हैं कि उनके वेतन-क्रम की समानता की ओर सरकार कहां तक प्रगति इस बजट वर्ष में कर सकती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका तो स्पष्टीकरण मैंने निवेदन किया अपने वक्तव्य में ही कि बजट पेश करते समय पेश कर सकता हूं। उसमें अधिक विलम्ब तो है नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रीजनल आर्बीट्रेशन में कभी-कभी विभिन्न राय होने पर कोई कंसीलियेशन बोर्ड की व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह तो जो अब अमेंडमेंट इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट में हुआ है उसमें व्यवस्था है कि किस प्रकार यह बोर्ड काम करेगा उसी के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अध्यापकों के वेतन बढ़ाने हेतु कितना रुपया एकमुश्त इस बजट में रखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बजट की कापी मिल गयी है आपको।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मिल तो गयी है, लेकिन अभी वह आइटम मिल नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष--उन्हें भी नहीं मिल रहा है। दोनों को नहीं मिल रहा है। दोनों की एक सी ही परिस्थिति है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो चिकित्सा सम्बन्धी अध्यापकों का मसला वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के अन्दर अभी तक उलझा हुआ है वह कितने दिनों से उलझा है और कितने दिनों में सुलझ जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया आपसे कि कितने दिनों से यह प्रश्न विचारार्थ है कोई तिथि उसकी नोट नहीं की है डायरी में, लेकिन यह ऐसा प्रश्न है कि जिसके ऊपर सरकार ने आज से एक या डेढ़ वर्ष पहले ही ध्यान दिया है। जो चालू बजट हमारा है उसमें एक टोकेन अनुदान रखा भी गया था जो इस बात का संकेत था कि हम इस दिशा में कदम उठाना चाहते हैं। अब उसमें कुछ जटिलतायें हैं, अस्पतालों में उसकी व्यवस्था करनी है उसके विषय में केवल प्रश्न न चिकित्सा विभाग का है, न शिक्षा विभाग का है और न वित्त विभाग का है प्रत्युत उन तीनों का है और तीनों को मिलकर उसकी व्यवस्था करनी है। और मैं समझता हूं कि ये विभाग शीघ्र ही सम्पादन करने में अभी असमर्थ हैं। जैसे ही उसके सम्पादन के सम्बन्ध में हम समर्थ होंगे वैसे ही उसकी व्यवस्था सरकार कर देगी।

श्री गौरीशंकर राय--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में यह मेडिकल फैसिलिटीज उन अध्यापकों को मिल सकेगी ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उनको उत्तर के बाद अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैरसरकारी पाठशालाओं के शिक्षकों में भेद है जिसके लिये यह उनकी मांग है उसके दूर करने के लिये कब तक वह कान्क्रीट स्टेप्स विधान सभा के सामने रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो कुछ यहां की सरकार ने निश्चय किया है और जो कुछ वह कर सकेगी उसकी घोषणा शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय नम्रतापूर्वक और आदरपूर्वक आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं । शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय वह सब बातें स्पष्ट करने के लिये कहते हैं । इसलिये अब इस पर अधिक स्पष्टीकरण की इसी समय आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९

खंड २--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब जिस पर बजट उपस्थित करने के पूर्व विचार हो रहा था उस विधेयक को लिये लेता हूं । श्री मोतीलाल अवस्थी, क्या आप विभाजन के ऊपर अब भी स्थिर हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--जी हां ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (२) के भाग (*bbb*) की पंक्ति एक में शब्द "who assists" के स्थान पर शब्द "appointed by the District Inspector of Schools to assist" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--४८,

विपक्ष में--११८ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

३--मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् निम्नलिखि
१४-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"14-A. (1) A Superintendent of a centre and an Invigi
deemed to be a public servant under section 21
XLV of 1860 Penal Code, 1860, during the course of examinatio
tions conducted by the Board and for a period c
prior to the commencement of, and of two month
following, such examination or examinations.

(2) An assault on, or use of criminal force to, a Superintendent of a centre or an Invigilator during the period mentioned in sub-section (1) shall be deemed to be an obstruction voluntarily caused to a public servant in the discharge of his public functions and shall be a cognizable offence."

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा १४-ए की उपधारा (१) की पंक्ति ५ में शब्द "two months" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जांय, तथा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

खंड ३ में प्रस्तावित धारा १४ –ए की उपधारा (२) की पंक्ति १ में शब्द "on" और शब्द "or" के बीच में शब्द "or an intention to assault on" रख दिये जांय, शब्द "use of" के तथा शब्द "criminal" के बीच में शब्द "any kind of" तथा पंक्ति २ में शब्द "invigilator" और शब्द "during" के बीच में शब्द "by other than an examinee" रख दिये जांय ।

श्रीमन्, इन संशोधनों को रखने के जो कारण हैं उनको मैं सदन के सन्मुख रख देना अपना कर्तव्य समझता हूं । अभी तक इस बिल के सम्बन्ध में काफी बहस हुई है और तर्क तथा वितर्क में बहुत सी बातें कही गई हैं । उन सब बातों को ध्यान में रखते हुये कुछ बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । खंड १ और २ में जो ये संशोधन किये जा रहे हैं उनको देखने से पता लगता है कि एक तरफ तो जो सजा रखी गयी है उसको घटाने का प्रयास किया है और दूसरे खंड में पहले शब्द "or an intention to assault on" जोड़ने की कोशिश की है और क्रिमिनल फोर्स के साथ "any kind of" रखने की बात कही है । इसके साथ यह भी कहा है कि शब्द "इंविजिलेटर" और शब्द "ड्यूरिंग" के बीच शब्द "by other than an examinee" रख दिये जायं । इन तीनों बातों का मन्शा यह है कि जो संरक्षण की बात सोची जा रही है उसका एक तो व्यापक अर्थ होना चाहिये. . . . . .

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य आपस में बातें बहुत कर रहे हैं इसका वे ख्याल रखें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--और व्यापक अर्थ के लिये हमारे मित्र श्री गोविन्द सिंह जी ने अभी बताया परिभाषा बताते समय कि इंटेशन का जिक्र होना चाहिये । इंटेंशन के बिना क्रिमिनल फोर्स शामिल नहीं होता है । तो इसलिये मेरा सुझाव है कि इंटेंशन की बात जोड़ दी जाय । लेकिन मेरा मुख्य संशोधन जो है वह है शब्द "बाइ अदर देन एन एक्जामिनी" जोड़ने का । इसका स्पष्टीकरण ही मैं करना चाहता हूं । हो सकता है कि इसमें कुछ बातें विरोधी दिखायी पड़ें । मैं माननीय मंत्री जी का सारा भाषण बड़े गौर से सुनता रहा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद वह मुझ सरीखे अध्यापक की बात कभी भी सुनना पसंद नहीं करते । एक बात मुझे ध्यान में आयी, देहात में एक कहावत है--जबरा मारे और रोने न दे । मुझे ऐसा पता चला कि हमारे शिक्षा मंत्री जी मेरी शिक्षा संबंधी बातों का उल्लेख करने पर अप्रसन्न हो जाया करते हैं । उनके अप्रसन्न होने का विशेष लक्षण तो मुझे आज भी दिखायी पड़ा जब उन्होंने आज अनायास ही मेरे ऊपर बहुत सा क्रोध बरपा किया । उनको यह दिखायी पड़ा कि मेरा यह प्रस्ताव कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय. . . .

श्री अध्यक्ष--इस समय तो वह स्मित कर रहे हैं, क्रोध नहीं बरपा कर रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगर इस समय प्रसन्न हो गये हैं तो मेरा सौभाग्य है । उस समय की मुद्रा को देख कर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक अध्यापक पर वह इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं । मैं शिष्ट प्रार्थना करूंगा कि वह जरा एजेन्डा पढ़ लिया करें । उन्होंने कहा कि मोतीलाल जी हमेशा प्रवर समिति का प्रस्ताव रख दिया करते हैं । यह प्रस्ताव तो श्रीमन्, गोविन्दसिंह जी का है । मैंने तो. . . .

श्री अध्यक्ष--क्या आपने निश्चय कर लिया है कि आप असंगत होते ही रहेंगे ? आप विषय पर आयें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं असंगत नहीं हो रहा हूं । लेकिन जब उन्होंने २० मिनट तक बहुत सी बातें कहीं. . . . . .

श्री अध्यक्ष--उनकी पहली बातों का जवाब आप इसमें नहीं दे सकते ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उनका थोड़ा-सा भ्रम मैं दूर कर सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष--वह प्रस्तुत प्रसंग में नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैंने गोविन्दसिंह जी के प्रस्ताव में समय की एक सीमा बांधनी चाही । उनके प्रस्ताव में समय की कोई सीमा नहीं थी । उसमें मैंने एक सप्ताह की सीमा निर्धारित की । तो मेरा मंशा साफ है कि मैं उनके असीमित समय के प्रस्ताव को एक सीमा में कर रहा था । उसके बाद भी वह मुझसे नाखुश हो गये । मुझे आज इस संबंध में कुछ थोड़ी-सी बातें आपके सामने रखनी हैं । हमारे शिक्षा उपमंत्री श्री रामस्वरूप जी यादव से लगा कर शिक्षा मंत्री जी को शामिल करके और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को भी लेकर, प्रकाश जी को मैंने देखा था, एक गलतफहमी में हमारे सभी महानुभाव रहे । उनका यह खयाल है कि यह सब कुछ संरक्षण जो हम दे रहे हैं वह सब उन उद्दंड विद्यार्थियों को शान्त करने के सिलसिले में है । और यह उद्दंडता विद्यार्थियों में आ गई है, इसका निराकरण बगैर इस अमेन्डमेन्ट के नहीं हो सकता । उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं और उसी से सम्बन्धित मेरा अमेन्डमेन्ट है । इस बात को वे समझ गये होंगे कि मैं जो कह रहा हूं वह अपने स्थान पर सप्रमाण और सानुभव से कह रहा हूं । इससे आप यह साबित करते हैं कि आज हमारा शिक्षा क्रम उद्दंड हो चुका है, अनुशासनहीन हो चुका है उसके निराकरण के लिये उनके गुरुओं को संकट में कानून की सहायता लेनी पड़ेगी । मुझे इन सारी बातों में सन्देह है । सन्देह करने का मुझे अधिकार भी है क्योंकि मैं स्वयं अध्यापक रहा हूं और मैं स्वयं उन विद्यार्थियों, जो कि अनुशासन-हीन थे, के प्रेम का भाजन बना ।

गृहमन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय, जितना कि यह संशोधन कहता है, क्या उतने पर ही भाषण होगा या फिर से जनरल डिस्कशन शुरू हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--संशोधन पर ही भाषण होगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं उसमें तो जो पहले जनरल डिस्कशन हुआ था उसका भी उत्तर दे रहे हैं । अनुशासनहीनता से लेकर किसी भी विषय को वे नहीं छोड़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--(श्री मोतीलाल अवस्थी से) मैं कह रहा हूं कि आप अपने संशोधन पर अपने को सीमित रखें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं उसी पर अपने को सीमित रखूंगा लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे मन्त्री जी को आपको सचेत करने की क्या चिन्ता है ।

श्री अध्यक्ष--मैंने आपसे कहा कि आप अपने भाषण में श्री गोविन्द सिंह जी को न लाइये, आप इसी पर बात कीजिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, अगर आप गौर से देखें तो इसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है । जहां मैंने "एग्जामिनी" शब्द लिखा है वहीं पर मैं आ रहा हूं । मैं बिल्कुल टू दि प्वाइन्ट बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप जारी रखें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं कह रहा था कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके सम्बन्ध में चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे अधिकारियों की तरफ से हो, चाहे समाज की तरफ से हो, अगर यह कहा जाय कि उनकी तरफ से ऐसा हो गया है, उन्हीं के ही संकटों के विरुद्ध संरक्षण के लिये हम

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उपाय सोचते हैं तो इसको समझने में दिक्कत पैदा हो जाती है। म इस सम्बन्ध में अगर थोड़ी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा तो मन्त्री जी शायद फिर व्याकुलता में आ जायंगे लेकिन मैं इन सब बातों को न रख कर एक प्रश्न उनके सामने रखना चाहता हूं लेकिन इसके लिये पहले मैं चाहूंगा कि श्री अग्रवाल जी और श्री नवल किशोर जी मेरे इस प्रश्न को मन्त्री जी को सुनने दें। मैंने देखा है कि जब भी शिक्षा विभाग की बातें आती हैं तो अग्रवाल जी और नवल किशोर जी बीच में सहायता देने के लिये तैयार रहते हैं।

श्री अध्यक्ष--यह बातें असंगत हैं। मैं इजाजत नहीं दूंगा। मुझे कहना पड़ेगा कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप केवल मेरा ध्यान ऐसी बात में आकृष्ट करें, अपने भाषण में आप दूसरों को संबोधित करके टीका न करें। अग्रवाल जी और नवल किशोर जी शिक्षा मन्त्री जी को अवस्थी जी की बात सुनने दें, यह शायद अवस्थी जी का मतलब है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--मैं अवस्थी जी की ही बात मन्त्री जी को समझा रहा था।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं वे खुद समझ लेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--प्रश्न यह है कि आज हम सरकारी अनुभवों से यह कहते हैं कि विद्यार्थी छूरा लेकर बैठते हैं या हमलेवार स्थिति में बैठते हैं। दो एक घटनायें बताई गईं, अलीगढ़ के प्रिंसिपल इत्यादि की जिनमें कुछ अध्यापकों के ऊपर वार हुये, कुछ मारे भी गये। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन सब आंकड़ों और अनुभवों के साथ सरकार ने या मंत्री महोदय ने कभी यह जानने की कोशिश की....

श्री अध्यक्ष--आपके संशोधन के शब्द यह हैं कि "by other than an examinee" आप इसी पर बोलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--आप नहीं मानते तो अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं। अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेते तो अवश्य मुझसे सहमत होते कि मैं असंगत नहीं हूं। हजारों परीक्षार्थी होते हैं जो परीक्षा के परिणामस्वरूप आत्मघात कर लेते हैं। इसमें हमला करने के बाद परीक्षार्थी को सीमित करना अच्छा नहीं है। जो हमले दूसरों के द्वारा होते हैं उनका प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। परीक्षार्थी के ऊपर यह आरोप लगाना कि वह हमला करने वाला है, या उसकी ऐसी वृत्ति है, इस पर कानून बनाना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--इस पर आपने अपना मत बतला दिया है, अब आगे बढ़ें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं इस तरह कैसे बोल पाऊंगा, मुझे आश्चर्य है। मेरा ख्याल है कि परीक्षार्थी हमला कभी नहीं करते हैं, दूसरे लोग जो उनके सम्बन्धी या आउट साइडर होते हैं वे करते हैं। मैंने इसका प्रमाण भी दिया कि ठीक इसके उलटे हमारे समाज में यह होता है कि परीक्षार्थी परीक्षा के परिणामस्वरूप बजाय हमला करने के आत्मघात कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष--अगर एग्जामिनी उसे मार डाले तो कोई सजा नहीं होनी चाहिये, यह उक्त संशोधन से आपका मतलब है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ यह अपना संशोधन रखा है। ऐसी सम्भावना कभी भी नहीं है कि एग्जामिनी ने एसाल्ट करने की प्रवृत्ति पैदा की हो।

श्री अध्यक्ष---आप बोल चुके हैं, कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें।

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---श्रीमन्, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। वह २ महीने का १ महीना चाहते हैं। बदले की भावना समय के साथ कम होती जाती है और मई के लगभग छुट्टियां भी हो जाती हैं। इसलिये २ महीने होना आवश्यक है। कानून में इन्टेंशन कोई जुर्म नहीं बन सकता है। इसलिये उसका बढ़ाना भी अनावश्यक है। आपने दूसरे संशोधन में रखा है "any kind of criminal force" यह भी बिलकुल अनावश्यक है। क्योंकि सभी फोर्स क्रिमिनल फोर्स हो जाते हैं।

इसके आगे जो संशोधन है "by other than an examinee" इसके द्वारा तो जो संशोधन करने की मंशा है वह भी समाप्त हो जाती है कि अगर हमला करने वाला अगर एक्जामिनी हो तो उसको सजा न दी जाय। लेकिन हम चाहते हैं कि हमला करने वाला कोई भी हो उसको सजा मिलनी ही चाहिये। इसलिये यह संशोधन भी बिल्कुल अनावश्यक है। इसलिये मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं फिर से अपनी मंशा बतला देना चाहता हूं। मैं अब भी इसी चीज को मानता हूं कि एक्जामिनीज को इससे अलहदा रखा जाय क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वे कभी भी इस वृत्ति के नहीं हैं। इसलिये ऐसा कानून बनाकर उनका अपमान करना है। हम अध्यापक हैं, हम विद्यार्थियों की बात ज्यादा जान सकते हैं, सरकार उनकी बात अधिक नहीं जान सकती। सरकार उनको क्यों नहीं रोकती है जिनके द्वारा हमला हुआ करता है। केवल विद्यार्थियों पर जो बेकार की जिम्मेदारी आती है उसका बचाव मैंने किया है। हजारों विद्यार्थी जो रोज आत्महत्या करते हैं, उसके लिये तो सरकार ने आज तक कुछ किया नहीं है। २-१ घटना के ऊपर लोगों के बहकाने से अगर कोई बात हो गयी उस पर से विद्यार्थियों को बदनाम करना उनके साथ अन्याय करना है। इसलिये यह संशोधन ऐसा है कि जिसका पास किया जाना हमारा कर्त्तव्य है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा १४-ए की उपधारा (१) की पंक्ति ५ में शब्द "two months" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जायं; तथा

खंड ३ में प्रस्तावित धारा १४-ए की उपधारा (२) की पंक्ति १ में शब्द "on" और शब्द "or" के बीच में शब्द "or an intention to assault on" रख दिये जायं, शब्द "use of" तथा शब्द "criminal" के बीच में शब्द "any kind of" तथा पंक्ति २ में शब्द "invigilator" और शब्द "during" के बीच शब्द "by other than an examinee" रख दिये जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं विभाजन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जब तक विभाजन हो कर राय न ले ली जायगी तब तक यह सदन बैठा रहेगा तथा यह समय १५ मिनट से अधिक न होगा।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में---६,

विपक्ष में---५७।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

इंटरमीडियट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१

इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को कतिपय प्रयोजनों के लिए संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ का संशोधन किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९[The Intermediate Education(Amendment) Bill, 1959] जिसके ऊपर विचार हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि...

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं .....

श्री अध्यक्ष—मैंने राय लेना शुरू कर दिया, आप बाद में उठे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—हमेशा आधा मिनट दिया जाता है, ऐसा नियम है । आप आधा मिनट समय तो मुझे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप कृपा करके बैठें ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६०,
विपक्ष में—८ ।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं, १६ फरवरी, सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर सोमवार, १६ फरवरी, १९५९ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
१३ फरवरी, १९५९ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५४ पर)

(१) सरकारी जे० टी० सी० ट्रेनिंग कालेजों की सूची—

१—गवर्नमेंट जूनियर ट्रेनिंग कालेज, अल्मोड़ा।
२—गवर्नमेंट जूनियर ट्रेनिंग कालेज, कान्थ (मुरादाबाद, १९५८ में स्थापित)।
३— ,, ,, ,, ,, आगरा।
४— ,, ,, ,, ,, झांसी।
५— ,, ,, ,, ,, सकलदीहा (१९५८ में स्थापित)।
६— ,, ,, ,, ,, फैजाबाद।
७— ,, ,, ,, ,, गोरखपुर।
८— ,, ,, ,, ,, झांसी (लड़कियों के लिये)।
९— ,, ,, ,, देहरादून (लड़कियों के लिए—१९५८ में स्थापित)

(२) सरकारी बेसिक सी० टी० ट्रेनिंग कालेजों की सूची—

१—गवर्नमेंट जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद।
२— ,, ,, ,, ,, लखनऊ।
३— ,, ,, ,, ,, मुजफ्फरनगर।

(३) सरकारी एल० टी० ट्रेनिंग कालेजों की सूची—

१—गवर्नमेंट सैन्ट्रल पैडागोजीकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद।
२—गवर्नमेंट कन्स्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ (एल० टी० कन्स्ट्रक्टिव)।
३—गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ (मर्दों व औरतों के लिये) (एल० टी० बेसिक)
४—गवर्नमट ट्रेनिंग कालेज, (औरतों के लिये), इलाहाबाद।

(१) गैर-सरकारी जे० टी० सी० ट्रेनिंग कालेजों की सूची—

मेरठ रीजन

१—इंग्राहम इन्स्टीट्यूट गाजियाबाद, मेरठ।
२—किसान हा० से० स्कूल, मोहिउद्दीनपुर, मेरठ।
३—कल्याण कवि हा० से० स्कूल, बाघरा, मुजफ्फरनगर।
४—बी० एस० एम० वी० इन्टर कालेज, रुड़की, सहारनपुर।
५—ए० एच० जनता हा० से० स्कूल, दादरी, बुलन्दशहर।
६—साधुराम हा० से० स्कूल देहरादून।
७—आर० एम० वी० इंटर कालेज, नरसन, सहारनपुर (केवल १९५८–५९ के लिये)।

बरेली रीजन

८—श्री गुलाब राय हा० से० स्कूल, बरेली।
९—श्री कृष्णा हा० से० स्कूल, बदायूं।
१०—क० जी० के० हा० से० स्कूल, मुरादाबाद।
११—मैथाडिस्ट मिशन गर्ल्स हा० से० स्कूल, मुरादाबाद (लड़कियों के लिये)।

इलाहाबाद रीजन

१२--सेन्ट्रल ट्रेनिंग स्कूल, झूंसी, इलाहाबाद ।
१३--महिला सेवा सदन हा० से० स्कूल, इलाहाबाद (लड़कियों के लिये) ।
१४--डी० एन० कालेज और ए० के० के० स्कूल, तिरवा, फर्रुखाबाद ।
१५--धुसर वैश्य हा० से० स्कूल, कानपुर ।

वाराणसी रीजन

१६--महाबोधि हा० से० स्कूल, सारनाथ, वाराणसी ।
१७--किशान आदर्श हा० से० स्कूल, प्रतापगंज, जौनपुर ।
१८--गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, समुदपुर, जौनपुर ।
१९--आर० एस० के० डी० स्कूल, जौनपुर (मान्यता प्राप्त १९५८) ।
२०--टाउन हा० से० स्कूल, बलिया (मान्यता प्राप्त १९५८) ।

लखनऊ रीजन

२१--श्याम लाल गुप्ता हा० से० स्कूल, नवाबगंज, उन्नाव ।
२२--वाई० डी० हा० से० स्कूल, खीरी (मान्यता प्राप्त १९५८) ।
२३--प्रताप बहादुर हा० से० स्कूल, प्रतापगढ़ (मान्यता प्राप्त १९५८) ।

आगरा रीजन

२४--एस० आर० के० कालेज, फिरोजाबाद, आगरा ।
२५--चम्पा हा० से० स्कूल, मथुरा ।
२६--नारायण हा० से० स्कूल, शिकोहाबाद, मैनपुरी ।
२७--अभिनाशी सहाय आर्य हा० से० स्कूल, एटा (मान्यता प्राप्त १९५८) ।

गोरखपुर रीजन

२८--सेन्ट एन्ड्रूज हा० से० स्कूल, गोरखपुर ।
२९--मारवाड़ी हा० से० स्कूल, देवरिया ।
३०--हीरा लाल राम निवास हा० से० स्कूल, खलीलाबाद, बस्ती (मान्यता प्राप्त १९५८) ।

गैर सरकारी बेसिक सी० टी० ट्रेनिंग कालेज--

शून्य

गैर सरकारी एल० टी० ट्रेनिंग कालेज--

१--मेरठ ट्रेनिंग कालेज, मेरठ ।
२--बलवन्त राजपूत ट्रेनिंग कालेज, आगरा ।
३--धर्म समाज ट्रेनिंग कालेज, अलीगढ़ ।
४--किशोरी रमण ट्रेनिंग कालेज, मथुरा ।
५--के० पी० ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद ।
६--लखनऊ क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ ।
७--डी० ए० वी० ट्रेनिंग कालेज, कानपुर ।
८--तिलकधारी ट्रेनिंग कालेज, जौनपुर ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५६ पर)

तालिका

तहसील का नाम	स्वीकृत पेंशनों की कुल संख्या	स्वीकृत पेंशनों की कुल मासिक धनराशि	स्वीकृत एकमुश्त सहायता की कुल संख्या	स्वीकृत एकमुश्त सहायता की कुल धनराशि
		रु०		रु०
१—बलिया ..	२०१	४,५२३	४०	१९,०५०
२—बांसडीह ..	८०	१,८२३	२५	१०,९५०
३—रसड़ा ..	५०	१,१२८	२३	१०,४८०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६२ पर)

सन् १९५७ व १९५८ में पुलिस कर्मचारियों को दिये गये दण्ड का विवरण-पत्र

१९५७

	कर्मचारी	दण्ड जोदिया गया
४	एस० आई०	.. इंटिग्रिटी सर्टीफिकेट रोके गये
५	,, ,,	.. मिस्कन्डक्टएंट्री
३	,, ,,	.. रिड्यूस्ड
४	,, ,,	.. अन्य विभागीय कार्यवाही
१	आर० आई०	.. अन्य विभागीय कार्यवाही
२	हेड कांस्टेबिल	.. मिस्कंडक्ट एंट्री
४	,, ,,	.. अन्य विभागीय कार्यवाही
४	कांस्टेबिल	.. इंट्रेग्रिटी सर्टीफिकेट रोके गये
१	,,	.. रिड्यूस्ड
३	,,	.. डिस्मिस्ड
२१	,,	.. अन्य विभागीय कार्यवाही
५२		

१९५८

२	एस० आई०	.. इंटेग्रिटी सर्टीफिकेट रोके गये
२	,, ,,	.. मिस्कंडक्ट एंट्री
९	,, ,,	.. चेतावनी
२	हेड कांस्टेबिल	.. इंटेग्रिटी सर्टीफिकेट रोके गये
२	,, ,,	.. मिस्कंडक्ट एंट्री
३	,, ,,	.. चेतावनी
३	कांस्टेबिल	.. इंटेग्रिटी सर्टीफिकेट रोके गये
२	,,	.. चेतावनी
५	,,	.. अन्य कार्यवाही
३०		

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६३ पर)

१ अप्रैल, १९५६ से लेकर ३१ मार्च, १९५७ तक की रिपोर्टें

क्रम-संख्या	नाम थाना	डकैती	राहजनी	कत्ल	चोरी तथा नकबजनी	विवरण
१	कोतवाली ..	.	३	६	१५५	
२	शिकोहाबाद ..	९	१	१	१००	
३	सिरसागंज ..	८	.	१	७६	
४	घिरोर ..	३	.	२	२९	
५	जसराना ..	१	१	.	१६	
६	एका ..	२	..	.	३५	
७	फरिहा ..	.	..	.	२१	
८	भोगांव ..	३	२	७	७४	
९	बेवर ..	.	.	१	३७	
१०	किशनी ..	२	.	१	५०	
११	करहल ..	४	१	३	३४	
१२	कुर्रा ..	२	३	३	५९	
१३	कुरावली ..	२	.	४	८२	
	योग ...	३६	११	२९	७६८	

१ अप्रैल, १९५७ से लेकर ३१ मार्च, १९५८ तक की रिपोर्टें

क्रम-संख्या	नाम थाना	डकैती	राहजनी	कत्ल	चोरी तथा नक़बजनी	विवरण
१	कोतवाली ..	२	१	४	१४४	
२	शिकोहाबाद ..	५	५	..	८४	२ मुकदमे धारा ३९९/४०२ भा० द० वि०
३	सिरसागंज ..	३	२	२	५४	
४	घिरोर ..	१	..	..	२१	१ मुकदमा धारा ३९९/४०२ भा० द० वि०
५	जसराना ..	२	१	३	२२	
६	एका ..	३	२	१	२३	
७	फरिहा ..	..	..	..	२४	
८	भोगांव ..	५	३	३	७२	
९	बेवर ..	२	१	४	६०	१ मुकदमा ३९९/४०२ भा० द० वि० का
१०	किशनी ..	२	..	१	५६	
११	करहल ..	..	१	१	३८	
१२	कुर्रा ..	२	१	१	३०	
१३	कुरावली ..	२	..	२	४७	
	योग ..	२९	१९	२२	६७५	

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६४ पर)

सूची 'अ'

	१९५६		१९५७		१९५८ (जून तक)	
	प्राप्त आवेदन-पत्रों में से, कितने अस्वीकृत हुये	कितने अभी विचाराधीन हैं	प्राप्त आवेदन-पत्रों में से, कितने अस्वीकृत हुये	कितने अभी विचाराधीन हैं	प्राप्त आवेदन-पत्रों में से, कितने अस्वीकृत हुये	कितने अभी विचाराधीन हैं
सगड़ी ..	३	..	४	..	२	२
मुरादाबाद ..	१०	..	९	१	५	४
लालगंज ..	२	..	२	..	६	..
सदर ..	२	..	२४	५	७	९
फूलपुर ..	९	..	१७	९	४	८
घोसी ..	७	..	१७	१	१३	३
योग ..	३३	..	७३	१६	३७	२६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६४ पर)

सूची 'क'

तहसील सगड़ी में	आवेदन-पत्र देने वाले व्यक्तियों के नाम व पते	स्वीकृत या अस्वीकृत
१९५६	१—श्री असदुल्लाह खां, ग्राम मदनापार, थाना जीयनपुर ..	अस्वीकृत
	२—श्री अबुउबैदा उर्फ साहेब, ग्राम जयराजपुर, थाना कन्धरापुर	,,
	३—श्री मुहम्मद हकबाल वल्द अब्दुल वहीद, ग्राम जमालपुर, थाना कन्धरापुर	,,
१९५७	१—श्री ढोंढा राय, साकिन मखोना, थाना जीयनपुर ..	,,
	२—श्री रामकृष्ण राय, ग्राम तरोका, थाना जीयनपुर ..	स्वीकृत
	३—श्री मोतीराम, ग्राम छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर	अस्वीकृत
	४—श्री चन्द्रपत राय, ग्राम जुलाहापुर, थाना कन्धरापुर ..	,,
	५—श्री इब्ने अहमद, ग्राम विन्दवल, थाना कन्धरापुर ..	स्वीकृत
	६—श्री अच्छेलाल, ग्राम साहपुर मौलानी, थाना कन्धरापुर	,,
	७—श्री रामनरायन सिंह, ग्राम करखिया, थाना रौनापार ..	अस्वीकृत
३० जून, १९५८ तक	१—श्री अबुल करीम बेग, ग्राम शाहपुर मौलानी, थाना कन्धरापुर	,,
	२—श्री अखलाक अहमद बेग, ग्राम शाहपुर मौलानी, थाना कन्धरापुर	,,
	३—श्री जहीरउद्दीन, ग्राम अंजान शहीद, थाना जीयनपुर ..	स्वीकृत
	४—श्री रामअधार, ग्राम खेवरा कुंड, थाना जीयनपुर ..	विचाराधीन
	५—श्री सत्यदेव पाठक, ग्राम जोढ़वाबर, थाना महाराजगंज	,,
	६—श्री चन्द्रपति तिवारी, ग्राम तिलऊर, थाना मुबारकपुर	स्वीकृत

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६४ पर)

सूची 'ख'

तहसील सगड़ी में	उन व्यक्तियों के नाम व पते जिनके लाइसेंस जब्त किये गये	कारण
१९५६	१—श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम जीयनपुर, थाना जीयनपुर ..	स्वेच्छया
	२—श्री सीताराम सिंह, ग्राम रामगढ़, थाना जीयनपुर ..	पुलिस की रिपोर्ट पर।
	३—श्री अब्दुल गफ्फार, ग्राम रोजा सैफनपट्टी थाना जीयनपुर	,,
	४—श्री फजल रब, ग्राम छींहीं, थाना जीयनपुर ..	,,
	५—श्री रामप्रसाद सिंह, ग्राम भगतपुर, थाना जीयनपुर ..	,,
	६—श्री राजाराम, ग्राम अजमतगढ़, थाना जीयनपुर ..	,,
	७—श्री मुहम्मद इदरीस, ग्राम धौरहरा, थाना जीयनपुर ..	रिन्यूवल न कराने के कारण।
१९५७	१—श्री सचेन्द्रनाथ गुप्त, अजमतगढ़, थाना जीयनपुर ..	स्वेच्छया

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७० पर)

सूची

सन् १९५७–५८ में जिला फर्रुखाबाद में हरिजनों के पानी पीने के लिये निम्नलिखित तहसीलों में कुल पांच कुओं का निर्माण कराया गया—

तहसील	नये निर्माण किये गये कुओं की संख्या
१—छिबरामऊ	४
२—कन्नौज	१
योग ..	५

उत्तर प्रदेश विधान सभा